खण्ड-445, अंक-3
मंगलवार, 13 फाल्गुन, शक संवत् 1924
(4 मार्च, 2003 ई0)

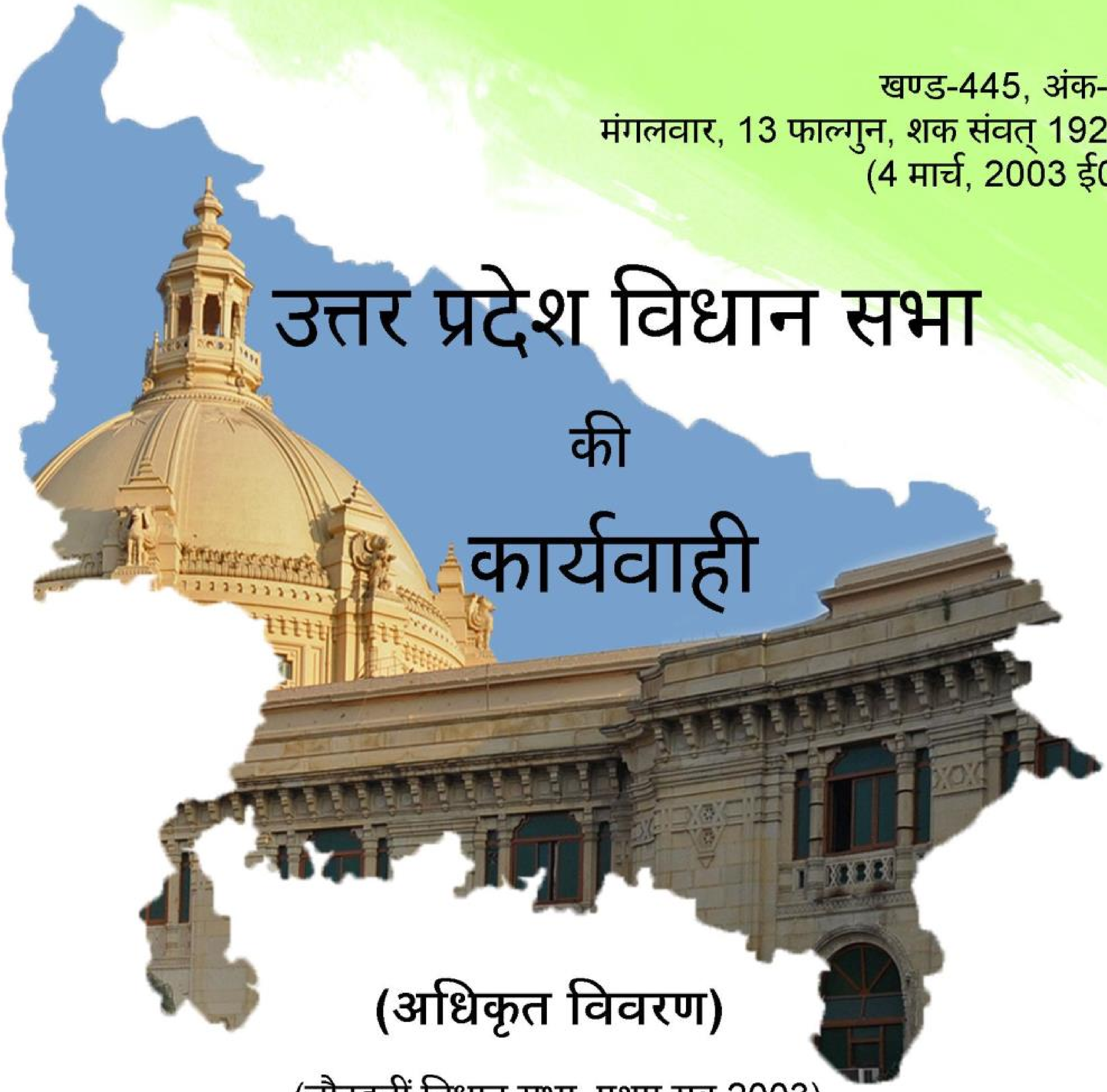

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2003)

खण्ड 445 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2003

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क–च
विधायक निधि से विधायकों से पैसा मांगे जाने सम्बन्धी नियम–311 की सूचना को सर्वप्रथम लिए जाने की मांग (जारी)	1–3
प्रश्नोत्तर	4-70
विधायक निधि से विधायकों से पैसा मांगे जाने सम्बन्धी नियम–311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग (जारी)	70-71
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	71-72
जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील मुख्यालय डुमरियागंज में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना किये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	72
जनपद आजमगढ़ के मेहनगर क्षेत्रान्तर्गत कुवा गतवा भुवालपुर मार्ग के बीच में लोनी नदी पर पुल निर्मित कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	72
जनपद हरदोई के थानों/कोतवाली में थानाध्यक्षों का आरक्षण कोटा पूरा करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	72
जनपद खीरी के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, ओयल में प्रभारी चिकित्सक के भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	73
जनपद गाजीपुर में रसूलपुर हबीबुल्ला के पास मगई नदी पर स्वीकृत पुल का निर्माण शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	73
महिला कल्याण निदेशालय में व्याप्त अनियमितताओं की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	73
जनपद बलिया के सिकन्दरपुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मार्गों की मरम्मत कराने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	74
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	74
लखनऊ महानगर को सुअरों के आतंक से मुक्त कराने विषयक श्रीमती ऊषा किरन गुप्ता निवासीगण जनपद लखनऊ आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ..... (उपस्थित की गयी)	74
विधायक निधि से विधायकों से पैसा मांगे जाने सम्बन्धी नियम 311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग ..... (जारी)	74-75
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशों विषयक प्रस्ताव ..... (जारी)	75

विषय	पृष्ठ-संख्या
विधायक निधि से विधायकों से पैसा मांगे जाने सम्बन्धी नियम 311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग ..... (जारी)	75
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशों विषयक प्रस्ताव ..... (स्वीकृत)	75-76
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के प्रबन्धक बोर्ड में कार्य करने के लिए विधान सभा के एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव ..... (स्वीकृत)	77
आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिए विधान सभा के एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव ..... (स्वीकृत)	77
सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मोदीपुरम् मेरठ के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव ..... (स्वीकृत)	77-78
विधायक निधि से विधायाकों से पैसा मांगे जाने सम्बन्धी नियम 311 की सूचना को सर्वप्रथम लिए जाने की मांग	78
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2003 ..... (पुरःस्थापित)..	78
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं ..... (जारी)...	79-81
टेप प्रकरण पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर व्यवस्था का प्रश्न ...	82-85
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं ..... (जारी)	85-96
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव ..... (जारी) ...	96-97
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	97
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशों विषयक प्रस्ताव ..... (स्वीकृत)	97-98
वित्तीय वर्ष 2002-2003 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों के विवरण का प्रस्तुतीकरण	98
वित्तीय वर्ष 2003-2004 के अन्तरिम आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण ...	98-100
वित्तीय वर्ष 2003-2004 के एक भाग के लिए लेखानुदान का प्रस्तुतीकरण ...	100
उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2003 ..... (पारित)	100-102
उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2003 (विधेयक पारित) ...	102-105
उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2003 ..... (विधेयक पारित) ...	105-107
उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2003 (विधेयक पारित) ...	107-108
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	108-109
नत्थियाँ	110-113

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार दिनांक 04 मार्च, 2003

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अधिष्ठाता श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी' के सभापतित्व में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य–394

अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर
अजय कुमार, श्री	बागपत
अजय राय, श्री	वाराणसी
अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री	बदायूं
अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद
अताउल रहमान, श्री	बरेली
अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा
अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री	सीतापुर
अनिल कुमार पासवान, श्री	हरदोई
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री	देवरिया
अनुराधा चौधरी, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री	बस्ती
अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद
अब्दुल कलाम, श्री	वाराणसी
अब्दुल कलाम, श्री	संत कबीर नगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्बास अली जैदी उर्फ रुशदी मियां, श्री	बाराबंकी
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर
अमरमणि, श्री	महराजगंज
अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री	हाथरस
अमिता सिंह, श्रीमती	सुल्तानपुर
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा०	जालौन
अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अली बहादुर, श्री	बहराइच
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अशोक कुमार कटियार, श्री	कानपुर देहात
अशोक बाजपेयी, डा०	हरदोई
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री	सिद्धार्थनगर
आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
आनन्द सेन, श्री	फैजाबाद
आर०एस० कुशवाहा, श्री	खीरी
आर० के० चौधरी, श्री	लखनऊ
आर०के० सिंह पटेल, श्री	चित्रकूट
आलम बदी, श्री	आजमगढ़
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
आशीष यादव, श्री	बदायूं
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इन्द्रदेव सिंह, डा०	बिजनौर
इलम सिंह, श्री	सहारनपुर
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदयभान सिंह, श्री	वाराणसी
उदयराज, श्री	उन्नाव
उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर

उमा शंकर कुशवाहा, श्री	गाजीपुर
उषा वर्मा, श्रीमती	हरदोई
ओइमवेश, स्वामी	बिजनौर
ओमकार सिंह यादव, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर
ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर
ओम प्रकाश (ओ० पी० सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कपिल देव यादव, श्री	मऊ
कमला प्रसाद रावत, श्री	बाराबंकी
कमलेश कुमार पासवान, श्री	गोरखपुर
कमलेश कुमार पाठक, श्री	कानपुर देहात
कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
कल्यान सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब	रामपुर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशी राम, श्री	रामपुर
किरण पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
किरनपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
कुतुबुद्दीन अन्सारी, श्री	बिजनौर
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार सिंह उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्णानन्द राय, श्री	गाजीपुर
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
कैलाश, श्री	गाजीपुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कैलाश नाथ सिंह यादव, श्री	वाराणसी
कोविद कुमार, श्री	शाहजहांपुर
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत
कौशल किशोर, श्री	खीरी
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
गंगा बक्श सिंह, डा०	उन्नाव
गंगा भक्त सिंह, श्री	हरदोई
गया चरन दिनकर, श्री	बांदा
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
घनश्याम शुक्ल, श्री	गोण्डा
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रदेव राम यादव करैली, श्री	आजमगढ़
चन्द्र भद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
छेदी राम, श्री	गाजीपुर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जगदीश नारायण (राय), श्री	जौनपुर
जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर/पडरौना
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जगदीस सोनकर, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जयराम विमल, श्री	अम्बेडकर नगर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री	गोरखपुर
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दया शंकर वर्मा, श्री	जालौन
दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ भाष्कर, श्री	सन्त रविदास नगर,भदोही
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दुर्गा प्रसाद यादव, श्री — आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री — हाथरस
देव नारायन उर्फ जी०एम० सिंह, श्री — गोरखपुर
देवेन्द्र नागपाल, श्री — ज्योतिबाफूलेनगर
देवेन्द्र प्रताप, श्री — एटा
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — रायबरेली
द्वारिका प्रसाद, श्री — सन्त कबीर नगर
धर्मपाल सिंह, श्री — गाजियाबाद
धर्मपाल सिंह, श्री — बरेली
धर्मराज निषाद, श्री — अम्बेडकर नगर
धर्म सिंह सैनी, डा० — सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री — बरेली
धू राम, श्री — हमीरपुर
नत्थू सिंह, श्री — उन्नाव
नरेन्द्र कुमार, श्री — गौतमबुद्ध नगर
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा० — इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री — सीतापुर
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रूखाबाद
नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री — गाजियाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री — हरदोई
नवाब सिंह नागर, श्री — गौतमबुद्ध नगर
नारद राय, श्री — बलिया
पकौड़ी लाल, श्री — मिर्जापुर
परमेश्वर दयाल, श्री — सोनभद्र
पारस नाथ यादव, श्री — जौनपुर
पी० के० राय, डा० — कुशीनगर/पडरौना
पीटर फैन्थम, श्री — नाम-निर्देशित
पीतम राम, श्री — पीलीभीत
पूरन सिंह बुन्देला, श्री — ललितपुर
पूर्णमासी देहाती, श्री — कुशीनगर/पडरौना
प्रताप चौधरी, श्री — हाथरस
प्रदीप माथुर, श्री — मथुरा
प्रभु दयाल, श्री — मेरठ
प्रभु नारायण, श्री — वाराणसी
प्रमोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री — अलीगढ़
प्रागी लाल अहिरवार, श्री — झांसी
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री — बदायूं
प्रेम लता कटियार, श्रीमती — कानपुर नगर
प्रेम सिंह, श्री — मथुरा
फसीहा मुराद लारी उर्फ गजाला, श्रीमती — देवरिया
फागू, श्री — मऊ
बंशीधर राज, श्री — खीरी
बलराम यादव, श्री — आजमगढ़
बादशाह सिंह, श्री — हमीरपुर
बाबू राम, एम०काम०, श्री — जालौन
बाबू लाल, श्री — गोण्डा
बाबू लाल, चौधरी — आगरा
बाबू लाल कुशवाहा, श्री — बांदा
बिजय सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
बीजू पटनायक, श्री — गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती — रामपुर
बृजेन्द्र कुमार ब्यास (डमडम महराजे), श्री — झांसी
बृजेन्द्र प्रताप सिंह, कुंवर, एडवोकेट — जालौन
बैजनाथ पासवान, श्री — मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री — गोण्डा
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री — देवरिया
भगवत शरन गंगवार, श्री — बरेली
भगेलू राम, श्री — सुल्तानपुर
भरत सिंह, श्री — बलिया
भारतेन्द्र सिंह, कुंवर — बिजनौर
भूपेन्द्र सिंह, श्री — बदायूं
मुंशीलाल गौतम, श्री — बुलन्दशहर
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री — कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री — फतेहपुर
मदन चौहान, श्री — गाजियाबाद
मदन भैया, श्री — बागपत
मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री — इटावा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री — रायबरेली
मलिक मसूद, श्री — आजमगढ़
मशहूद खां, श्री — बलरामपुर
मस्त राम चौ०, एडवोकेट — उन्नाव
महबूब अली, श्री — ज्योतिबाफूलेनगर
महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री — आगरा
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीनबाबू, श्री — सीतापुर
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री — इटावा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

महेश त्रिवेदी, श्री	कानपुर देहात
महेश नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
मान पाल सिंह, श्री	एटा
माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी
मायावती, सुश्री	सहारनपुर
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहांपुर
मुकुट बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मुस्ताक सोलंकी, हाजी	कानपुर नगर
मूलचन्द्र, श्री	बिजनौर
मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खां, श्री	लखनऊ
मोहम्मद बशीर, श्री	आगरा
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
मो० शफीर, श्री	फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
यशवन्त सिंह, डा०	मुजफ्फरनगर
याकूब, हाजी	मेरठ
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
योगेश प्रताप सिंह उर्फ	
योगेश भइया, श्री	गोण्डा
रणवीर राणा, श्री	मेरठ
रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर/पडरौना
रमेश कान्त लवानिया, श्री	आगरा
रमेश कुमार शर्मा, श्री	झांसी
रमेश चन्द बिन्द, डा०	मिर्जापुर
रविन्द्र पुण्डीर, प्रो०	मेरठ
राकेश कुमार वर्मा, श्री	बाराबंकी
राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकर नगर
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज किशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
राजपाल सिंह सैनी, श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजवीर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
राजा राम, श्री	प्रतापगढ़
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ	
मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	खीरी
राधा मोहन दास अग्रवाल, डा०	गोरखपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राधेश्याम सिंह, श्री	कुशीनगर/पडरौना
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम किशुन, श्री	वाराणसी
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम कृष्ण, श्री	सीतापुर
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
रामजी शुक्ला, श्री	औरैया
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
रामपाल यादव, श्री	सीतापुर
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम बाबू हरित, डा०	आगरा
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम भुआल निषाद, श्री	गोरखपुर
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
रामहेत, श्री	सीतापुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबा फूले नगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रेवती रमण सिंह, कुं०	इलाहाबाद
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा०	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लाल जी वर्मा, श्री	अम्बेडकर नगर
लाल बहादुर यादव, श्री	जौनपुर
लुईस खुर्शीद, श्रीमती	फर्रूखाबाद
वकार अहमद शाह, डा०	बहराइच
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय बहादुर पाल, श्री	फर्रुखाबाद
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विजेन्द्र सिंह, श्री	हाथरस
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्या सागर गुप्ता, श्री	लखनऊ
विनय शाक्य, श्री	औरैया
विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री	गोण्डा
विनोद कुमार यादव कक्का, श्री	इटावा
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विनोद तिवारी, डा०	पीलीभीत
विमल कृष्ण अग्रवाल उर्फ पप्पी, श्री	बदायूं
विवेक बंसल, श्री	अलीगढ़
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना, श्री	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सिंह बुन्देला 'भगत राजा', श्री	ललितपुर
वीरेश्वर, श्री	अलीगढ़
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शंख लाल मांझी, श्री	सन्त कबीर नगर
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
शब्बीर, श्री	बहराइच
शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव चरन, श्री	हमीरपुर
शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप यादव, डा०	बलरामपुर
शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर	प्रतापगढ़
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री	जौनपुर
श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा
श्याम देव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम नारायन, श्री	महराजगंज
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सत्य नारायण, श्री	हरदोई
सन्ध्या कठेरिया, कु०	मैनपुरी
समरपाल सिंह, श्री	बागपत
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुं०	मुरादाबाद
सलिल विशनोई, श्री	कानपुर नगर
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा
सियाराम सागर, डा०	बरेली
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुख देवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुरेन्द्र पाल वर्मा, डा०	बांदा
सुरेन्द्र प्रकाश गोयल, श्री	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी

सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर	हरि ओम यादव, श्री	फिरोजाबाद
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ	हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ	हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
सुल्तान बेग, श्री	बरेली	हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी'', श्री	वाराणसी
सुशील चौधरी, डा०	सहारनपुर	हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा	हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर	होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी	जंग बहादुर, श्री	सुल्तानपुर
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली	अरविन्द सिंह, श्री	बाराबंकी

नोटः– श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी परिवहन एवं आबकारी मंत्री, श्री बाबू सिंह कुशवाहा, भूतत्व एवं खनिज मंत्री तथा श्री रवि गौतम राजस्व मंत्री भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 4 मार्च, 2003

विधायक निधि से विधायकों से पैसा मांगे जाने सम्बन्धी नियम-311 की सूचना को सर्वप्रथम लिए जाने की मांग

* नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खां)-

अधिष्ठाता महोदय, सदन की किसी भी कार्यवाही से ज्यादा अहम है वह मुद्दा जो मैं उठाने जा रहा हूं। आपकी उसमें आज्ञा चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्नकाल समाप्त होने पर।

श्री मोहम्मद आजम खां-

उससे ज्यादा जरुरी है जो कुछ मुझे कहना है। अधिष्ठाता जी आज पूरा देश.....

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न काल पहले पूरा होने दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

प्रश्न काल क्योंकि विपक्ष का हिस्सा है। यह विपक्ष का अधिकार है। इसलिए विपक्ष ही अपने अधिकार को मांग रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

मैं सदन के हित के लिए ही कह रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां-

देश और प्रदेश लूटा कैसे जाएगा, कैसे उसे बचाया जाएगा ? इस आधार पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपकी इजाजत चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

यह सदन सबका है। पहले प्रश्न काल पूरा होने दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं विपक्ष का अधिकार आपसे मांग रहा हूं। इस समय यह पूरा प्रदेश और पूरा देश इस सच्चाई को जानना चाहता है।

श्री अधिष्ठाता-

आप कोई सूचना के बारे में कह रहे हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री मोहम्मद आजम खां–

नियम-311 में मेरी लिखित नोटिस आपकी सेवा में पहुंची है ।

श्री अधिष्ठाता–

नियम-311 में आपकी नोटिस है उसे नियम-56 में ले लिया गया है । उसी समय इसे सुना जाएगा ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

आपके इस पीठ पर बैठे हुए होने से हमारे अधिकारों का हनन नहीं होगा ।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आपके अधिकारों की रक्षा होगी ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

एक गम्भीर समस्या मैं रखना चाहता हूं । यह तहलका डाट काम की.....

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, आपने व्यवस्था दे दी कि प्रश्न काल के बाद इसको ले लिया जाएगा और नियम-311 की सूचना को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है । प्रश्नकाल सभी सदस्यों का हक है । इसको छीना जा रहा है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

यह इतनी गम्भीर बात है, जो इस प्रदेश के खजाने का मालिक है वह खजाना लूट रहा है । नेता विरोधी दल को सबसे पहले सुना जाए यह कोई साधारण बात नहीं है ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, जब व्यवस्था हो गयी कि इस नियम-311 की सूचना को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है और इसे प्रश्नकाल के बाद ले लिया जाएगा उसके बाद चर्चा का कोई औचित्य नहीं है ।

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान जारी)

(श्री बीजू पटनायक समाचार पत्र उठाकर दिखा रहे थे)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्नकाल चलने दीजिए ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, नियम-311 की जो मेरी सूचना है इसको सारे नियमों को लम्बित करके इस पर चर्चा करा ली जाए ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने अनुमति नहीं दी है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री जगदम्बिका पाल–

आप संरक्षण नहीं देंगे तो कौन देगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैं प्रश्नकाल के समय के अपने अधिकार को मांग रहा हूं । यह हमारा अधिकार है । हम अपना अधिकार मांग रहे हैं । इससे ज्यादा प्रश्नकाल में और जरूरी क्या बात होगी कि पूरे प्रदेश को एग्जीक्यूटिव एथोरिटी के हाथों, पौलिटिकल एथोरिटी के हाथों में.....

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, पीठ से एक निर्देश हो गया । आपने एक व्यवस्था दे दी उसके बावजूद आपके आदेशों की अवहेलना हो रही है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने आपकी सूचना को नियम-56 में कन्वर्ट कर दिया है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं ।

(व्यवधान)

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

इस समय आपकी नोटिस को नहीं लिया जा रहा है । मैंने आपसे अनुरोध किया कि प्रश्नकाल पूरा होने के बाद नियम-56 में आपकी सूचना को ले लिया जायेगा ।

(विपक्ष के कई सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री मोहम्मद आजम खां–

हमारी राजनैतिक व्यवस्था में मुख्यमंत्री किसी राजनैतिक दल का व्यक्ति होता है । उसको यह अधिकार है कि अपने विधायकों को, अपने सांसदों को चोर कहे, बेईमान कहे, रिश्वतखोर कहे, कमीशनखोर कहे ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन की कार्यवाही को 20 मिनट के लिये स्थगित करता हूं ।

(घोर व्यवधान के कारण 11 बजकर 07 मिनट पर श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी । 11 बजकर 27 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है ।)

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में उच्च शिक्षा के विकास हेतु योजना का प्रारूप

**1–श्री जगदम्बिका पाल–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उच्च शिक्षा में हो रहे निरन्तर ह्रास और संसाधनों की कमी को दूर करने के लिये सरकार कोई समग्र विकास योजना तैयार कर रही है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री श्याम सुन्दर शर्मा)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विगत दो वर्षों में सभी पाठ्यक्रमों का पुनरीक्षण किया गया है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के न्यूनतम 80 प्रतिशत पाठ्यक्रम प्रदेश के विश्वविद्यालयों द्वारा अपने पाठ्यक्रमों में समावेसित करने तथा 20 प्रतिशत पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम अद्यतन कर शैक्षिक सत्र, 2003-2004 से लागू किए जाने के सम्बन्ध में कुलपति सम्मेलन में निर्णय लिया जा चुका है । प्रदेश में उच्च शिक्षा का उन्नयन हो रहा है, ह्रास का प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए विश्वविद्यालयों को निदेशित किया गया है कि वे अपने आर्थिक स्रोतों में वृद्धि करें तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा केन्द्रीय शैक्षिक परिषदों यथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी०एस०आई०आर०) से सम्बद्ध शैक्षिक परिषदों यथा राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (एन०बी०आर०आई०), राष्ट्रीय ड्रग अनुसंधान संस्थान (सी०डी०आर०आई) आदि से शैक्षिक सहयोग एवं आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु अपना मूल्यांकन राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यापन परिषद् (नाक) से प्राप्त करें ।

अतः उक्त कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त योजना का प्रारूप बनाये जाने का औचित्य नहीं है ।

उ० प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम–41 के अनुसार सभी प्रश्न उत्तरित माने गये ।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षकों के पदों को स्थायी करने की मांग

*1–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षकों के अंशकालिक व पूर्ण कालिक पदों को स्थायी कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त पदों को स्थायी करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री महेन्द्र सिंह यादव)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता । क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा योजनान्तर्गत अंशकालिक व पूर्णकालिक पद सृजित ही नहीं हैं । अध्यापन का कार्य अतिथि विशेषज्ञों को आमंत्रित करके कराया जा रहा है ।

नेशनल एसेस्मेन्ट एण्ड एक्रीडेशन कौंसिल के माध्यम से विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा रेटिंग कराये जाने सम्बन्धी जानकारी

*2–श्री धनन्जय सिंह–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि एन०ए०सी०सी० (नेशनल एसेस्मेन्ट एण्ड एक्रीडेशन कौंसिल) के माध्यम से कितने महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों ने रेटिंग करवाई है ? क्या सरकार रेटिंग न कराने वाले महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

दो विश्वविद्यालयों द्वारा रेटिंग करायी गयी है । किसी महाविद्यालय द्वारा रेटिंग अभी तक नहीं करायी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शेष विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा रेटिंग कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है । राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की तिथि 31 दिसम्बर, 2003 तक बढ़ा दी गयी है ।

प्रदेश के कालेजों में कम्प्यूटर की शिक्षा हेतु निर्धारित मापदण्ड

*3–श्री चितरंजन स्वरूप–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के तीन सौ इण्टरमीडिएट कालेजों में कम्प्यूटर की शिक्षा दिये जाने हेतु सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो इसके लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं ? क्या सरकार प्रदेश के सभी इण्टरमीडिएट कालेजों में कम्प्यूटर की शिक्षा दिये जाने हेतु मान्यता प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह यादव–

जी नहीं । केन्द्र पुरोनिधानित क्लास प्रोजेक्ट योजनान्तर्गत 300 कालेजों को कम्प्यूटर शिक्षा हेतु चिन्हित किया गया है ।

निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं :–

1–विद्यालय राजकीय अथवा राज्य सरकार से सहायता प्राप्त अशासकीय मान्यता प्राप्त हो ।

2–विद्यालय में पर्याप्त स्थाई पक्का स्वयं का भवन हो, कम्प्यूटरों के रख-रखाव एवं संचालन हेतु कम से कम 20X25 आकार का पक्का एवं सुरक्षित कक्ष उपलब्ध हो तथा अतिरिक्त कक्षों/हाल के निर्माण के लिये पर्याप्त निजी भूमि उपलब्ध हो ।

3–बिजली कनेक्शन हो तथा कनेक्शन बटा हुआ न हो ।

4–विद्यालय में कम से कम कक्षा–9 से 12 तक 400 छात्र/छात्रायें तथा कक्षा–6 से 12 तक 550 छात्र/छात्रायें उपलब्ध हों ।

5–हाईस्कूल अथवा इण्टर में परीक्षाफल 60% से अधिक हो ।

6–अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के सम्बन्ध में प्रबन्धतंत्र विवाद रहित हो अथवा विवादित प्रबन्धतंत्र की स्थिति में प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त हो ।

7–विद्यालय में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था हो ।

8-टेलीफोन की सुविधा हो तथा विद्यालय इण्टरनेट सुविधा की सीमान्तर्गत हो ।

सम्बन्धित विद्यालयों द्वारा आवेदन किये जाने तथा कम्प्यूटर शिक्षा हेतु निर्धारित मानकों के पूर्ण होने पर उसे कम्प्यूटर शिक्षा हेतु मान्यता प्रदान की जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद रामपुर में नहरों द्वारा सिंचित भूमि व पानी टेल तक पहुंचने का विवरण

*4-काशीराम-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद रामपुर में कुल कितनी नहरें हैं और इन नहरों से वर्ष 2002 के जुलाई माह तक कितने एकड़ भूमि की सिंचाई की गई ? क्या उक्त नहरों में पानी टेल तक पहुंच रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

जनपद रामपुर में कुल नहरों की संख्या-118 है । जुलाई, 2002 तक जनपद रामपुर में 30.887 एकड़ भूमि की सींच की गयी है ।

उक्त 118 नहरों में से 100 नहरें चलित अवस्था में है । खरीफ 1410फसली में जुलाई माह के अन्त तक 22 नहरों में पानी टेल तक पहुंचा है ।

इस वर्ष नगण्य वर्षा होने के कारण जनपद रामपुर, प्रथम बार, में सूखाग्रस्त घोषित किये जाने वाले जनपदों में से एक जनपद है एवं उत्तरांचल राज्य में स्थित तुमरिया, हरीपुरा एवं बौर जलाशयों में भी कम पानी उपलब्ध होने के कारण जनपद हेतु निर्धारित पानी में से जनपद की नहरों हेतु आवश्यकता का मात्र 50-60 प्रतिशत पानी ही उपलब्ध हुआ है ।

प्रदेश में सहायता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेजों में रिक्त पदों पर आरक्षण के अनुसार नियुक्ति की मांग

*5-श्री कल्यान सिंह दोहरे-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूरे प्रदेश में सहायता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेजों में विषय विशेष के अध्यापकों के रिक्त पदों पर अभियान चलाकर आरक्षण के अनुसार नियुक्ति करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह यादव-

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महोबा के राजकीय बीर भूमि डिग्री कालेज में एल०एल०बी० की कक्षाएं आरम्भ करने का प्रकरण

*6-श्री सिद्ध गोपाल साहू-

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय बीर भूमि डिग्री कालेज, महोबा में एल०एल०बी० की कक्षाएं आरम्भ करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बार काउन्सिल आफ इण्डिया से प्राप्त निर्देशों के आधार पर एल०एल०बी० पाठ्यक्रम को पूर्व से संचालित महाविद्यालयों में प्रारम्भ न करने तथा उक्त पाठ्यक्रम के संचालन के लिये पूर्णतः पृथक स्थापित विधि महाविद्यालय को ही मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है ।

प्रदेश में गन्ना मूल्य के बकाये के भुगतान हेतु प्रयास

*7–श्री शारदा नन्द अंचल–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में पेराई सत्र वर्ष 2001-2002 में किसानों का कितना-कितना गन्ना मूल्य बकाया है ? बकाये मूल्य के भुगतान हेतु सरकार क्या उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्रीमती प्रेमलता कटियार)–

पेराई सत्र 2001-02 में कृषकों के कुल देय गन्ना मूल्य रुपये 5093.77 करोड़ के सापेक्ष रुपये 5065.04 करोड़ (99.44 प्रतिशत) का भुगतान हो गया है । कुल देयता का मात्र 0.56 प्रतिशत भुगतान धनराशि रुपये 28.73 करोड़ की देयता निजी क्षेत्र की 3 चीनी मिलों पर, क्रमशः मैजापुर रुपये 15.38 करोड़, कप्तानगंज रुपये 07.58 करोड़ तथा मझावली रुपये 05.77 करोड़, अवशेष है ।

जिसके शीघ्र भुगतान हेतु प्रयास किये जा रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में उच्च शिक्षा को रोजगार परक बनाने की रूपरेखा की जानकारी

*8–श्री संजय गर्ग–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार प्रदेश मे उच्च शिक्षा को रोजगार परक बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा रोजगारपरक पाठ्यक्रमों में एम०बी०ए०, एम०सी०ए०, एम०एड०, एम०पी०एड०, एम० लाइब्रेरी साइंस, बी०बी०ए०, बी०सी०ए०, बी०एड०, बी०पी०एड०, एम०एस०सी०, कम्प्यूटर साइंस, एल०एल०बी०, एल०एल०एम०आदि विषयों को सम्मिलित किया गया है ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त सामान्य शिक्षा के कतिपय पाठ्यक्रमों में समावेशित करने के लिए पूर्व में कुलपति सम्मेलन में विचार विमर्श के उपरान्त विश्वविद्यालयों को निर्देश दिये गये है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में नदियों के कटाव से प्रभावित गांवों को बचाने की मांग

*9–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा में केन नदी तथा यमुना नदी की भीषण कटान से ग्राम पैलानी तारा, खुजरी, चिल्ला, सादीमदनपुर तथा लसड़ा ग्राम प्रभावित हो रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार उक्त ग्रामों की कटान रोकने हेतु चालू वित्तीय वर्ष में कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी नहीं,

उक्त ग्रामों के कटाव रोकने हेतु चालू वित्तीय वर्ष में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सामान्यतः फ्लड प्लेन जोन में स्थित ग्रामों को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने की शासन की नीति नहीं है ।

प्रदेश में प्राइमरी विद्यायकों के अध्यापकों की कमी को दूर करने की योजना

*10–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में प्राइमरी विद्यालयों में अध्यापकों की कमी को दूर करने हेतु कोई विशेष कार्य योजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

जी हां ।

अध्यापकों की कमी को दूर करने के लिए बी०एड०/एल०टी० प्रशिक्षित अभ्यार्थियों को प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के रूप में नियुक्त किए जाने से सम्बन्धित कार्यवाही मा० उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अवरुद्ध है । शिक्षकों की कमी को दूर करने के निमित्त वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में विशिष्ट बी०टी०सी० को बी०टी०सी०की समकक्षता प्राप्त करने के सम्बन्ध में नेशनल काउंसिल आफ टीचर एजूकेशन (एन०सी०टी०ई०) को प्रस्ताव भेजा जा रहा है । बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवानियमावली में बी०एड०/एल०टी० तथा समकक्ष योग्यताधारी अभ्यर्थियों को अप्रशिक्षित अध्यापक के रूप में नियुक्त किए जाने से सम्बन्धित बिन्दु को सम्मिलित करने हेतु सेवानियमावली में परिवर्तन भी विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*11–श्री राम सरन आर्य–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

केन्द्र सरकार द्वारा पूर्वांचल के जनपद बस्ती में विक्रम जोत धुसवा, जनपद कुशीनगर में ए०पी०, तथा जनपद मऊ में वी०वी० पुर वैलौली बांधों की सुरक्षा हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में जानकारी

*12–श्रीमती शारदा देवी–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि केन्द्र सरकार द्वारा पूर्वांचल की तीन क्रीटीकल एन्टीरोजन परियोजनाओं जनपद बस्ती में विक्रम जोत धुसवा बांध की सुरक्षा, जनपद कुशीनगर में ए०पी० बांध की सुरक्षा तथा जनपद मऊ में वी०वी० पुर वैलौली बांध की सुरक्षा हेतु माह नवम्बर, 2001 में रु० 400.00 लाख का धनावंटन किया गया था ? क्या यह सही है कि उक्त धनराशि फरवरी, 2002 में उ० प्र० सिंचाई विभाग को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त धन संबंधित जनपद के खण्डों में भेज दिया गया ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसके दोषियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत धनराशि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग को मार्च, 2002 तक उपलब्ध करा दी गयी है ।

उक्त धनराशि प्रश्नगत परियोजनाओं से सम्बन्धित खण्डों को वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 में अवमुक्त की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बुन्देलखण्ड में वर्षा जल संचयी योजनाओं को प्रोत्साहन

*13–डा० अरुण कुमार मेहरोत्रा–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए वर्षा, जल संचयी योजनाओं को प्रोत्साहन देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई मंत्री (श्री राम शंकर पाल)–

जी हां ।

बुन्देलखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए वर्षा जल संचयी योजनाओं को प्रोत्साहन देने हेतु लघु सिंचाई विभाग द्वारा निम्नलिखित 02 योजनायें बुन्देलखण्ड क्षेत्र में चलायी जा रही हैं :–

(1) बुन्देलखण्ड क्षेत्रान्तर्गत चेकडैमों के निर्माण की योजना जनपद झांसी, जालौन, बांदा, महोबा, हमीरपुर व चित्रकूट में चल रही है, जिसकी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 176 चेकडैमों का निर्माण किया जा रहा है ।

(2) ग्याहरवें वित्त आयोग की संस्तुति अन्तर्गत तालाबों/पोखरों के जीर्णोद्धार की केन्द्र पोषित योजना झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा व चित्रकूट में वर्ष 2001-2002 से प्रारम्भ है, जिसके अन्तर्गत 56 तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य सम्पादित किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया, तहसील सिकन्दरपुर एवं बांसडीह में घाघरा नदी के कटान से प्रभावित गांवों को बचाने की मांग

*14–श्री जियाउद्दीन रिजवी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद में सिकन्दरपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत तहसील सिकन्दरपुर एवं बांसडीह में घाघरा नदी के कटान से दो दर्जन गांव, विहरा, डूहां, लिलवर, कठौडा, गोसाईपुर, प्रशन्तिपट्टी खरीद निपनिया, गोडौली, नक्का गांव, खादीपुर, सुल्तानपुर, ककरघट्टा की हजारों एकड़ भूमि घाघरा नदी में समाहित हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कटान को रोकने का कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

बलिया जनपद में सिकन्दरपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत तहसील सिकन्दरपुर व बांसडीह में तुर्तीपार श्रीनगर बांध एवं घाघरा नदी के मध्य फ्लड प्लेन जोन में स्थित विहरा, डूहा, लिलकर, कठौड़ा, गोसाईपुर, पुरुषौत्तमपट्टी, खरीद, निपनिया, गोडौली, नक्का गांव, खादीपुर, सुल्तानपुर, ककरहट्टा ग्रामों की कृषि भूमि घाघरा नदी से कटी है ।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश के प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत पदानुसार अध्यापकों की नियुक्ति की कार्यवाही

1–श्री राम नरेश यादव तथा डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने प्राथमिक विद्यालय व कितने पूर्व माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें अध्यापन हेतु केवल एक अध्यापक कार्यरत है ? उक्त समस्त विद्यालयों में अध्यापन कार्य हेतु स्वीकृत पदानुसार अध्यापकों की व्यवस्था सरकार द्वारा कब तक करा दी जायेगी ?

सुश्री मायावती–

प्राथमिक विद्यालय 3382 एवं पू०मा० विद्यालय 274, उ० प्र० बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवानियमावली 1981 में निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की कार्यवाही गतिमान है ।

जनपद आगरा में मान्यता प्राप्त विद्यालयों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की मांग

2–श्री जगन प्रसाद गर्ग–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में विगत 5 वर्षों से कितने प्राथमिक/जू०हा० स्कूल को मान्यता प्रदान की गयी है तथा वर्तमान में कुल कितने प्राथमिक/जू०हा० स्कूल मान्यता प्राप्त हैं ? क्या सरकार यह भी बताने का कष्ट करेगी कि विगत 2 वर्षों से कुल कितने विद्यालयों को छात्रवृत्ति कितनी-कितनी प्रदान की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

2–(क) विगत पांच वर्षों में जनपद आगरा, में 1060 प्राइमरी तथा 306 जू०हा० स्कूलों को मान्यता दी गयी है ।

(ख) 2026 प्राइमरी तथा 646 जू०हा० स्कूल मान्यता प्राप्त है ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर के नलकूप खण्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

3–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 27-7-02 जो नलकूप खण्ड शाहजहांपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में था जिलाधिकारी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जिलाधिकारी शाहजहांपुर द्वारा अपने पत्र संख्या–1958 दिनांक 28-7-02 को अधिशासी अभियन्ता नहर विभाग शाहजहांपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा है ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जांच में विलम्ब के लिए जिम्मेदार अधिकारी को दण्डित किया गया है । पुनः जांच हेतु प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक) उ० प्र० सिंचाई विभाग, लखनऊ के पत्रांक–226/भ्र०वि०प्र०/यां०/612 जी०सी०, दिनांक 13-2-2003 द्वारा आदेश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद कानपुर नगर के विधूना, सरसौल व कल्यानपुर ब्लाकों में प्राइमरी विद्यालयों की रंगाई-पुताई में व्यय की गयी धनराशि की जांच की मांग

4–श्रीमती अरूणा तोमर–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद कानपुर नगर के विधूना, सरसौल व कल्यानपुर ब्लाकों में प्राइमरी विद्यालयों की रंगाई-पुताई व अनुरक्षण कार्यों में वित्तीय वर्ष 2001-2002 व 1 अप्रैल, 2002 से अब तक कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी है ? क्या सभी विद्यालयों में कराये गये कार्यों का जिलाधिकारी द्वारा सत्यापन कराया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि सत्यापन में फर्जी भुगतान व अनियमिततायें प्रकाश में आयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां । ब्लाक विधूना में रु० 8,12,000/-, ब्लाक सरसौल में रु० 8,35,000/- तथा ब्लाक कल्यानपुर में रु० 2,08,000/- की धनराशि प्राइमरी विद्यालयों की रंगाई–पुताई एवं अनुरक्षण कार्यों में व्यय की गयी है ।

जी नहीं । जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन कराया गया है ।

जी हां । बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा करायी गयी जांच में अनियमितताएं प्रकाश में आयी हैं ।

जांच में दोषी पाये गये शिक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इटावा के नलकूप चालक सहायक चतुर्थ खण्ड के बकाये वेतन भुगतान के सम्बन्ध में जानकारी

5–श्री आलोक कुमार शाक्य–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप चालक सहायक चतुर्थ इटावा खण्ड में तैनात श्री राम कृष्ण का दिनांक 1-9-93 से 1-3-94 का वेतन बकाया है ? यदि हां, तो उक्त बकाये वेतन का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम कृष्ण नलकूप चालक का दिनांक 1-9-93 से 1-3-94 तक बिना वेतन का अवकाश स्वीकृत किया गया था जिसके कारण नियमानुसार उक्त अवधि का वेतन दिये जाने का औचित्य नहीं है ।

क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी के कर्मचारियों के उत्पीड़न की जांच सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

6–श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि माननीय शाकिर अली, विधायक का पत्र दिनांक 17-8-2002 जो क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी के कर्मचारियों के लगातार उत्पीड़न की आर्थिक अपराध शाखा से जांच कराने संबंधी था माननीय मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (माध्यमिक शिक्षा) को प्राप्त है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह यादव–

जी हां ।

शिक्षा निदेशक (मा०) एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से जांच करायी गयी, जांच में शिकायतें निराधार पायी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश की चीनी मिलों में गन्ना किसानों के बकाये मूल्य का ब्याज सहित भुगतान कराये जाने सम्बन्धी न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण

7–श्री मशहूद खां–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थित चीनी मिलों द्वारा आगामी पेराई सत्र से गन्ना किसानों से नकद गन्ना क्रय किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार गन्ना क्रय की तिथि से भुगतान की तिथि तक गन्ना मूल्य ब्याज सहित भुगतान करने हेतु चीनी मिलों को निर्देशित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार–

जी नहीं ।

गन्ना मूल्य भुगतान बैंकों के माध्यम से ही कराने की व्यवस्था है । प्रकरण मा० उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है ।

जनपद बलरामपुर की चीनी मिलों पर गन्ना किसानों के बकाये मूल्य का भुगतान कराये जाने की मांग

8–श्री मशहूद खां–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामुर में स्थित चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों से कितने रुपये का गन्ना पेराई सत्र वर्ष 2002 में क्रय किया गया है ? क्या सभी गन्ना किसानों को क्रय किये गये गन्ने के मूल्य का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो गन्ना किसानों की कितनी धनराशि बकाया है तथा उसका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार–

जनपद–बलरामपुर में स्थित दो चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2001-2002 में रुपये 24,395.42 लाख का गन्ना क्रय किया गया है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर के अरविन्द कुमार पूर्व माध्यमिक विद्यालय में न्यायालय के आदेश पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति एवं वेतन के भुगतान की जानकारी

9–श्री अनिल कुमार वर्मा–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अरविन्द कुमार, पूर्व माध्यमिक विद्यालय करस्योरा ब्लाक लहरपुर जनपद–सीतापुर के अंशकालिक अनुचर के पद पर रिट पिटीशन सं०–6300 (एस०बी०) 1992 में पारित आदेश दि० 28-10-1993 के अनुसार क्रम सं०–11 पर अंकित नाम के क्रम में चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियमित नियुक्ति कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या नियमित वेतन प्रदान करने के आदेश जि०बे०शि० अधिकारी सीतापुर ने दे दिये हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के पत्रांक वाद/3505–12/2002–03 दिनांक 8-11-2002 द्वारा प्रदत्त आदेशों के अनुपालन में नियुक्ति प्राधिकारी, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी के पत्रांक परि०–3537–45/2002-03 दिनांक 11-11-02 द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

दिनांक 8-11-2002 को ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर की कमलापुर शुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि० द्वारा विगत वर्षों में गन्ना पेराई एवं क्रय करने का विवरण

10–श्री अनिल कुमार वर्मा–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के कमलापुर शुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि० द्वारा वर्ष 2000-2001 वर्ष 2001-2002 वर्ष 1 जनवरी, 2002 से अब तक कुल कितने लाख क्विन्टल गन्ना पेराई की गयी ? क्या उक्त गन्ना सहकारी गन्ना समिति कमलापुर एवं अन्य सहकारी गन्ना समितियों के माध्यम से खरीदा गया था ? यदि हां, तो कुल कितने की खरीद की गयी ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार–

जनपद सीतापुर की कमलापुर चीनी मिल द्वारा पेराई सत्र 2000-2001 में 28.62 लाख क्विंटल, सत्र 2001-2002 में 42.50 लाख क्विंटल तथा 1 जनवरी, 2002 से 31-1-03 तक कुल 47.78 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई की गयी ।

जी हां ।

सहकारी गन्ना समिति, कमलापुर एवं अन्य समितियों के माध्यम से वर्ष 2000-2001 में 29.07 लाख क्विंटल, 2001-2002 में 42.65 लाख क्विंटल तथा 1 जनवरी, 2002 से 31 जनवरी, 2003 तक कुल 47.96 लाख क्विंटल गन्ने की खरीद की गयी ।

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर में विभिन्न वर्गों में स्वीकृत पद एवं उनके विरुद्ध कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण की मांग

11–श्री अनिल कुमार वर्मा–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सीतापुर के कार्यालय में कितने कार्यालय अधीक्षक, आशुलिपिक, लिपिक, लेखालिपिक, कम्प्यूटर प्रोग्रामर एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत हैं और उनके विरुद्ध कितने अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं ? उक्त अधिकारी एवं कर्मचारी विगत कितने वर्षों से एक ही पद पर कार्यरत हैं ? क्या सरकार द्वारा स्थानान्तरण नीति के तहत ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर में निम्न पद स्वीकृत हैं :–

1–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	एक पद
2–आशुलिपिक	एक पद

3–वरिष्ठ सहायक	एक पद
4–वरिष्ठ लिपिक	दो पद
5–कनिष्ठ लिपिक	एक पद
6–जीप चालक	एक पद
7–अर्दली	एक पद

सृजित पदों के विरुद्ध कार्यरत कर्मचारी एवं उनके कार्यरत रहने की अवधि निम्न प्रकार है :–

1–श्री वी० के० वर्मा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	21-9-2002 से
2–श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव आशुलिपिक	25-7-94 से
3–श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्र वरिष्ठ लिपिक	18-8-2001 से
4–श्री जमुनादीन मौर्य वरिष्ठ लिपिक	30-5-98 से
5–श्री राम पाल बाथम वरिष्ठ लिपिक (वरिष्ठ सहायक के पद के विरुद्ध समायोजन में कार्यरत)	1-4-2001 से
6–श्री बहाजुल जीप चालक	1-3-2001 से
7–श्री बच्चू लाल अर्दली	1-4-91 से

निर्धारित अवधि पूर्ण होने पर ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर की कमलापुर शुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि० द्वारा कृषकों की अधिग्रहीत भूमि के फलस्वरूप प्रति परिवार एक व्यक्ति को नौकरी देने का कथित प्रकरण

12–श्री अनिल कुमार वर्मा–

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद की कमलापुर शुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि० द्वारा समस्त अधिग्रहीत जमीन के मुआवजे का भुगतान कृषकों को कर दिया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जिन कृषकों की जमीन अधिग्रहीत की गई थी उन कृषकों के परिवारों के प्रति परिवार के व्यक्ति को नौकरी दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार–

जी नहीं । कोई भूमि अधिग्रहीत नहीं की गयी थी । आपसी समझौते पर खरीदी गयी भूमि का पूरा मूल्य भुगतान कर दिया गया था । मुआवजा का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जी नहीं । किसी भू-धारक को नौकरी देने का कोई समझौता नहीं था !

कमलापुर शुगर एण्ड इन्डस्ट्रीज लि० कमलापुर द्वारा चीनी मिल निर्माण हेतु 15.690 हेक्टेयर भूमि पुनर्ग्रहण (रिजम्पसन) के आधार पर लीज पर एवं 14.307 हेक्टेयर भू भू-धारकों से आपसी बातचीत

करके सीधे क्रय की गयी थी । किसी प्रकार की भूमि का अधिग्रहण चीनी मिल द्वारा नहीं कराया गया है । अतः मुआवजा अथवा नौकरी का प्रश्न निहित नहीं है ।

जनपद रामपुर, शाहाबाद में चीनी मिल स्थापना की स्वीकृति

13–श्री काशीराम–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद रामपुर शाहाबाद में चालू वित्तीय वर्ष में चीनी मिल स्थापित करने हेतु शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक शुरू करा दिया जायेगा ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं ।

वर्तमान में भारत सरकार की औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति विभाग के प्रेसनोट संख्या–12 (1998 सीरीज) दिनांक 31-8-98 द्वारा चीनी मिल स्थापना हेतु लाईसेंस/आशय-पत्र प्राप्त करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी है । इस प्रकार कोई भी उद्यमी चीनी मिल स्थापना के लिए स्वतंत्र है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद अम्बेडकर नगर तहसील जलालपुर के ग्राम गौरी बड़ाह में स्थापित राजकीय नलकूप को संचालित कराने सम्बन्धी जानकारी

14–श्री राकेश पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद अम्बेडकर नगर के जलालपुर तहसील के गौरी बड़ाह गांव में स्थित सरकारी नलकूप विगत चार वर्षों से खराब पड़ा है, जिससे फसल की सिंचाई न हो पाने के कारण किसान परेशान हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नलकूप को ठीक कराने एवं विलम्ब के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं । जनपद अम्बेडकर नगर के जलालपुर तहसील के विकास खण्ड भियांव के अन्तर्गत गौरी बड़ाह गांव में राजकीय नलकूप संख्या–145 ए०जी० स्थित है, जो कार्यशील है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

15–श्री राकेश पाण्डेय–

[पहले बुधवार के अता० प्र० सं०–143 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद अम्बेडकर नगर विधान सभा क्षेत्र जलालपुर में नहरों का पानी टेल तक पहुंचने सम्बन्धी जानकारी

16–श्री राकेश पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जपनद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर में नहरों की सफाई न होने से पानी टेल तक नहीं पहुंच रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार नहरों की सफाई कराकर टेल तक पानी पहुंचायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

विधान सभा क्षेत्र जलालपुर की कुल 30 नहरों में से 28 नहरों की टेल तक पानी पहुंच चुका है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

17–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

[2 सरे बुधवार के अता० प्र० सं०–51 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गोरखपुर के क्षे० प० पाली के ग्राम-सभा भुआशहीद में प्राथमिक विद्यालय भवन के निर्माण में की जा रही अनियमितता सम्बन्धी शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

18–डा० पूर्णमासी देहाती–

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–गोरखपुर के क्षे०प० पाली के ग्राम–भुआशहीद में प्राथमिक विद्यालय भवन के निर्माण कार्य में की जा रही अनियमितता की जांच के संबंध में उप प्रधान/अध्यक्ष शिक्षा समिति तथा अन्य सदस्यों द्वारा तहसील दिवस में दिनांक 23-7-2002 को पत्र दिया गया है ? यदि हां, तो उसपर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा से जांच करायी गयी । शिकायत निराधार पायी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों के ऊपर हुयी लाठी चार्ज व फर्जी मुकदमें वापस लेने एवं मृतक कन्हैया लाल के आश्रितों को मुआवजा दिलाने विषयक पत्र पर कार्यवाही की मांग

19–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (मुन्ना)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों के ऊपर हुयी लाठी चार्ज तथा फर्जी आपराधिक धाराओं से संबंधित मुकदमें वापस लेने तथा मृतक अनुदेशक कन्हैया लाल के आश्रितों को मुआवजा दिलाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 26-8-02 पर मा० मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये आदेश के अनुपालन में प्रमुख सचिव/सचिव बेसिक शिक्षा द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

मा० सदस्य विधान सभा श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (मुन्ना) द्वारा मा० मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित दिनांक रहित पत्र मा० मुख्य मंत्री कार्यालय के पृष्ठांकन दिनांक 26-8-2002 के साथ बेसिक शिक्षा विभाग में प्राप्त हुआ था । उक्त पत्र के साथ श्री कुलदीप सिंह राणा का दिनांक रहित पत्र भी संलग्न था । मा० विधायक तथा श्री कुलदीप सिंह राणा के पत्र में दिनांक 26-9-2001 की शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज तथा फर्जी मुकदमें आदि वापस लेने एवं मृतक श्री कन्हैया लाल के आश्रितों को मुआवजा देने का उल्लेख था ।

प्रकरण मूलतः गृह विभाग से सम्बन्धित होने के कारण मा० सदस्य, विधान सभा के पत्र तथा श्री कुलदीप सिंह राणा के पत्र को गृह विभाग को दिनांक 11-9-2002 को सन्दर्भित करते हुए पत्र दिनांक 11-9-2002 के द्वारा ही मा० सदस्य विधान सभा को भी अवगत करा दिया गया था । जहां तक मामला अनुदेशक से सम्बन्धित होने का प्रश्न है, इस सन्दर्भ में सूचना एकत्र की जा रही है । स्थिति स्पष्ट होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जा सकेगी ।

उपरिवर्णित स्थिति से स्पष्ट है ।

जनपद एटा, हाथरस एवं अलीगढ़ होकर माचुआ राजबहा के टेल तक पानी पहुंचाने की मांग

20–श्री शिशुपाल सिंह यादव–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद एटा, हाथरस एवं अलीगढ़ होकर माचुआ राजवहानिकलता है जिसकी लम्बाई 76 कि०मी० है परन्तु इसमें केवल 30 किमी० तक की पानी आता है, शेष भाग में पानी नहीं आता है, जिससे किसानों की हजारों एकड़ जमीन असिंचित रह जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार माचुआ राजबहा के टेल तक पानी पहुंचाने हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

माचुआ राजबहा की सिल्ट सफाई रबी 1410 फसली में करा दी गयी है । वर्तमान रबी फसल के दौरान टेल भाग पर पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंच रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के उबटी रजबाहा से निकली कतिपय माइनरों की सिल्ट की सफाई कराकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

21–श्री हरिओम यादव–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत उबटी रजवाह से निकली लोहरई माइनर आठेपुर माइनर से नजला हरी सिंह, लखनपुर से नोनमऊ गुडहा माइनर तथा कटौरा से नाइन माइनर में विगत दो वर्षों से सिल्ट की सफाई न होने के कारण कृषकों को पानी न मिलने से सिंचाई में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो उक्त माइनरों की सफाई कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

लौहरई माइनर, ग्राम नगला हरीसिंह तक हनुमन्तपुर खेड़ा माइनर तथा ग्राम लखनपुर से ग्राम नोनेमऊ होते हुए ग्राम गुढ़ा तक केसरी माइनर की सम्पूर्ण लम्बाई में सिल्ट सफाई तथा नाइन राजबहा के शीर्ष से 5.00 कि०मी० लम्बाई में सिल्ट सफाई वर्ष 2001-2002 में करायी गयी है । सभी नहरों की टेल पर वर्ष 2001-02 में खरीफ तथा रबी में पानी पहुंचा है, परन्तु इन चारों नहरों के टेल भाग में पर्याप्त पानी न होने के कारण सिंचाई प्रभावित रही है ।

वित्तीय वर्ष 2002-2003 में भी नाइन राजवहा में सफाई पूर्ण करा दी गयी है तथा शेष तीनों नहरों में सफाई का कार्य ''सम्पूर्ण रोजगार योजना'' के अन्तर्गत खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद फिरोजाबाद के क्षेत्र शिकोहाबाद की कतिपय उबटी राजबहा से निकली माइनर की सिल्ट की सफाई का प्रकरण

22–श्री हरिओम यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत हरगनपुर माइनर मोहब्बतपुर अहीर से लेकर मोहब्बतपुर नादई तक विगत दो वर्षों से सफाई नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त माइनर की सफाई करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

हरगनपुर माइनर न होकर यह राजबहा की है, जो उबटी राजबहे के दायें तट से निकलता है। हरगनुपुर राजबहा की कुल लम्बाई 17.4 कि०मी० है जो ग्राम मुहब्बतपुर अहीर से लेकर मुहब्बतपुर नादई तक है। सीमित संसाधनों के कारण इस राजबहे के कि०मी० 0.8 से 4.8 तक सिल्ट सफाई वर्ष 2001-02 में करायी गयी थी। वर्तमान में इस राजबहे की टेल तक सुचारू रूप से पानी उपलब्ध हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में जलेसर रोड से राष्ट्रीय राज मार्ग होते हुए जाने वाले नाले की सफाई कराने की मांग

23–श्री मोहन देव शंखवार–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि फिरोजाबाद जनपद में जलेसर रोड से न्यू रायगढ़, कौशल्या नगर होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पार कर लेबर कालोनी के पीछे से जाने वाला बम्बा (नाला) दुकानदारों द्वारा जलेसर रोड के पास मिट्टी डाल कर समतल कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस नाले की सफाई करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

फिरोजाबाद जनपद में टापा खुर्द नाला जलेसर रोड से न्यू रायगढ़, कौशल्या नगर एवं फिरोजाबाद के शहरी क्षेत्र से राष्ट्रीय राजमार्ग पार कर लेबर कालोनी होते हुए यमुना नदी में गिरता है जिसमें कुछ व्यक्तियों ने अनाधिकृत रूप से किनारा पाटकर कुछ निर्माण कार्य कर लिया है। उनके विरुद्ध कैनाल एण्ड ड्रेनेज ऐक्ट, 1873 की धारा 70 के अन्तर्गत मुकदमें की कार्यवाही चल रही है।

उक्त नाले की सफाई कराने का प्राविधान जिला योजना के अन्तर्गत किया गया है।

धन उपलब्धता पर ही सफाई करायी जायेगी।

जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक नारखी के गांव–रैमजा में राजकीय नलकूप स्थापित कराने की मांग

24–श्री मोहन देव शंखवार–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में ब्लाक नारखी के अन्तर्गत गांव–रैमजा में शासन स्तर से एक राजकीय नलकूप स्थापित कराये जाने हेतु दो वर्ष पूर्व सर्वे कराया गया था ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसका निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्नगत विकास खण्ड, भूगर्भ जल की उपलब्धता के आधार पर क्रिटिकल क्षेत्र वर्गीकृत होने के कारण, इस विकास खण्ड में भू-जल दोहन प्रतिबन्धित है।

जनपद मैनपुरी में मात्र एक अध्यापक वाली प्राइमरी पाठशालाओं की संख्या एवं उसमें अध्यापकों की कमी को दूर करने की मांग

25–श्री आलोक कुमार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मैनपुरी में कितनी प्रा० पाठशालायें ऐसी हैं जिनमें एक अध्यापक कार्यरत है ? क्या यह सही है कि अध्यापकों की कमी के कारण शिक्षण कार्य बाधित हो

रहा है ? क्या सरकार अध्यापकों की संख्या बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो उसकी नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

मात्र 91 प्राइमरी पाठशालायें ।

शिक्षण-कार्य बाधित न हो इसलिए एकल विद्यालयों में शिक्षा मित्र की नियुक्ति की गयी है ।

सृजित पदों में से मानकानुसार अध्यापकों की व्यवस्था की जाएगी ।

प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की उपलब्धता पर ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री राम गोविन्द प्रसाद का फर्जी पेंशन के भुगतान सम्बन्धी कथित प्रकरण

26–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या माननीय राजनैतिक पेंशन मंत्री जी को जानकारी है कि श्री राम गोविन्द प्रसाद पुत्र महेश प्रसाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बेल्थरा रोड, बलिया उ० प्र० द्वारा फर्जी साक्ष्यों के आधार पर पेंशन प्राप्त करने के संबंध में अनुसचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार जैसलमेर हाउस मानसिंह रोड, नई दिल्ली ने अपने पत्र संख्या–132/1012/94 एफ०एफ० (यू०पी०) एन० जेड० दि० 24-4-2001 के द्वारा जिलाधिकारी, बलिया को सूचित किया था ? यदि हां, तो केन्द्रीय पेंशन के फर्जी होने के बाद भी प्रदेश सरकार ने किस अधिकारी की संस्तुति पर उसे राजनैतिक पेंशन जारी किया है ? क्या सरकार राज्य पेंशन की संस्तुति करने वाले अधिकारी के वेतन से एवं व्यक्तिगत सम्पत्ति से तथा फर्जी पेंशन लेने वाले से रिकवरी की कार्यवाही करेगी ? क्या सरकार इस सम्पूर्ण प्रकरण की जांच सी०बी०आई० से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

श्री राम गोविन्द प्रसाद को केन्द्रीय पेंशन स्वीकृत होने के पूर्व से ही राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन दो सहबन्दियों के प्रमाण-पत्र श्री राम गोविन्द प्रसाद के शपथ-पत्र के आधार पर शासनादेश दि० 13-4-1994 के द्वारा स्वीकृत की गयी थी । राज्य पेंशन को फर्जी साक्ष्य के आधार पर स्वीकृत करने विषयक प्राप्त शिकायत की जांच जिलाधिकारी, बलिया से करायी गयी तथा जांचोपरान्त शिकायत निराधार एवं वास्तविकता के विपरीत पायी गयी । अतः किसी से वसूली का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के स्त्री/पुरुष के साक्षरता प्रतिशत का विवरण

27–श्री धनन्जय सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी, कि प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति के पुरूष और महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत देहाती और शहरी इलाकों में कितना है ? क्या सरकार इसके गुणात्मक सुधार की कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का देहाती एवं शहरी इलाकों में साक्षरता प्रतिशत निम्नवत् है :–

अनुसूचित जाति	पुरुष	महिला	कुल
ग्रामीण (देहाती)	38.87	8.47	24.76
शहरी	54.79	27.36	42.30
कुल	40.80	10.69	26.85
अनुसूचित जन जाति	पुरुष	महिला	कुल
ग्रामीण (देहाती)	48.20	17.94	33.81
शहरी	74.90	51.06	64.34
कुल	58.78	19.86	35.70

इसमें गुणात्मक सुधार हेतु योजनायें संचालित हैं ।

प्रदेश में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत साक्षरता कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत प्रथम चरण के कार्यक्रम सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत सभी जनपदों में 15-35 वय वर्ग के निरक्षर प्रतिभागी की पहचान कर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के मापदण्डों के आधार पर कार्यात्मक साक्षरता प्रदान की जा रही है । कार्यक्रम के द्वितीय चरण के रूप में उत्तर साक्षरता तथा तृतीय चरण में सतत् शिक्षा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसमें प्रथम चरण में बनाये गये साक्षरों की साक्षरता बनाये रखने हेतु कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं तथा छूटे हुये निरक्षरों या राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के मापदण्डों के आधार पर साक्षरता न प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान की जाती है । राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम में विशेष रूप से अनुसूचित जाति/जनजाति के 15-35 वय वर्ग के निरक्षरों को प्राथमिकता के आधार पर साक्षरता प्रदान किया जाता है ।

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद की उवटी रजवाहा की सफाई कराने की मांग

28–श्री हरि ओम यादव–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद स्थित उवटी रजवाह जिसकी लम्बाई 35 कि०मी० है । गत दो वर्ष से केशरी से खंगर ग्राम तक सफाई न होने के कारण पानी टेल तक नहीं पहुंच पाता जिससे कृषकों की हजारों एकड़ भूमि असिंचित रह जाती है ? यदि हां, तो उसकी सफाई न किये जाने के क्या कारण है ? उक्त रजबहे की सफाई कब तक करा दी जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद में भोगनीपुर शाखा से निकलने वाले उवटी राजवहे की लम्बाई 35 कि०मी० नहीं बल्कि 26.07 कि०मी० है । प्रश्नगत राजवहा के कि०मी० 8 के निकट स्थित ग्राम केशरी से ग्राम खंगर जो इसके कि०मी० 22.5 के निकट स्थित है, तक कोई सफाई नहीं करायी गयी है । राजवाह के टेल के 2 कि०मी० भाग में लगभग 500 हेक्टेयर सिंचित भूमि पर्याप्त पानी के अभाव में प्रभावित रही ।

विभागीय सिल्ट सफाई मद में सीमित संसाधनों के कारण सफाई प्रस्तावित नहीं की जा सकी ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता बहुत ही सीमित है । अतएवं समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

जनपद बलरामपुर विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर में सिंचाई नलकूपों की संख्या व खराब नलकूप को ठीक करवाने की मांग

29–श्री मशहूद खां–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर में सिंचाई हेतु कुल कितने नलकूप किन-किन स्थलों पर लगाए गये हैं ? क्या वर्तमान समय में सभी नलकूप ठीक हैं ? यदि नहीं, तो खराब नलकूपों को कब तक ठीक करवा दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई हेतु 60 नलकूप लगाये गये हैं । जिनकी सूची संलग्न है ।

जी नहीं ।

संलग्न सूची में अंकित नलकूप संख्या–67 बी०एल०जी०, ग्राम पंचायत–रमवापुर व 50 बी० एल० जी०, ग्राम पंचायत बिलोहा बनकसिया फेल हैं । फेल नलकूपों का पुनः निर्माण होना जनपद योजना के अन्तर्गत प्राप्त स्वीकृतियों पर निर्भर करेगा । उक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत देवीपाटन में नलकूप संख्या–58 बी०एल०जी० की कमाण्ड का वृहद् भाग शहरी आबादी के अन्तर्गत आ जाने के कारण उसका परित्याग किया जाना प्रस्तावित है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 110 पर ।)

जनपद बलरामपुर के कतिपय जलाशयों के बन्धों का उच्चीकरण कर क्षमता पुर्नस्वापना का कार्य

30–श्री मशहूद खां–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर स्थित जलाशयों क्रमशः भगवानपुर, बघेल खण्ड, गनेशपुर, गिरगिटही में जमा हो रहे शिल्ट की सफाई न होने के कारण पानी भण्डारण की क्षमता कम हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार शिल्ट की सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिल्ट सफाई न कराकर, बांधों का उच्चीकरण कर क्षमता, पुनर्स्थापना का कार्य कराया जायेगा ।

जनपद बलरामपुर विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर में और राजकीय नलकूपों का निर्माण कराने की मांग

31–श्री मशहूद खां–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर में लगाए गये राजकीय नलकूप सम्पूर्ण असिंचित क्षेत्र के लिए पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार असिंचित क्षेत्र में और नलकूप लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

शासन की नीति के अनुसार नये राजकीय नलकूपों का निर्माण पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है ।

जनपद बलरामपुर में सरकारी हाई स्कूलों व प्राइमरी पाठशालाओं में रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

32–श्री मशहूद खां–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलरामपुर में स्थित सरकारी जूनियर हाई स्कूलों एवं प्राइमरी पाठशालाओं में स्वीकृत पदों के अनुसार अध्यापक एवं अन्य कर्मचारी नियुक्त है ? यदि नहीं तो किन स्कूलों में कौन-कौन से पद रिक्त है ? रिक्त पदों पर नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

जनपद बलरामपुर में स्वीकृत पद के सापेक्ष प्राथमिक विद्यालयों में प्र०अ० के 50 स० अ० के 1577 एवं जू० हा० स्कूलों में प्र०अ० के 62, स०अ० के 21 तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 47 पद रिक्त हैं ।

पदोन्नति की कार्यवाही गतिमान है ।

नियुक्ति हेतु अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध होते ही रिक्त पदों पर नियुक्तियां कर दी जायेंगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फिरोजाबाद के सिरसा नदी तथा हाथरस माइनर को बड़ी नहर से जोड़ने विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

33–श्री मोहन देव शंखवार–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के अन्तर्गत सेंगर एवं सिरसा नदी तथा हाथरस माइनर को बड़ी नहर से जोड़े जाने विषयक प्रश्नकर्ता द्वारा अगस्त 2002 में दिया गया पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? क्या यह भी सही है कि सिंचाई मंत्री द्वारा उक्त पत्र पर अपेक्षित कार्यवाही किये जाने हेतु प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग को निर्देशित किया है ? यदि हां, तो शासन द्वारा उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

सिरसा एवं सेंगर नदियों को बड़ी नहर से जोड़ा जाना तकनीकी दृष्टिकोण से व्यवहारिक नहीं है । मांट शाखा एवं हाथरस शाखा की पुनर्स्थापना के कार्य की योजना रु० 11755 लाख की विभाग में परीक्षाधीन है, जिसमें फिरोजाबाद राजवहा एवं बरहन राजवहा की पुनर्स्थापना का भी सम्मिलित है । परियोजना का तकनीकी परीक्षण में उपर्युक्त पाये जाने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कराया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया के भगवान परशुराम धाम इण्टरमीडिएट कालेज सोइनाम सलेमपुर के एल०टी० ग्रेड शिक्षकों के वेतन भुगतान का प्रकरण

34–श्री बैजनाथ दुबे–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भगवान परशुराम धाम इण्टरमीडिएट कालेज सोइनाम सलेमपुर जिला देवरिया के एल०टी० ग्रेड के शिक्षकों का वेतन भुगतान किये जाने हेतु मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24-5-96 को उप शिक्षा निदेशक, सप्तम मंडल गोरखपुर को आदेश

निर्गत किया गया था ? यदि हां, तो उक्त एल०टी० ग्रेड के शिक्षकों के वेतन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह यादव–

जी नहीं । मा० उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24-5-96 को वेतन भुगतान हेतु दोनों पक्षों को सुनकर प्रकरण निस्तारित करने का आदेश पारित किया गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उप शिक्षा निदेशक द्वारा मा० उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में वेतन अनुमन्य न पाये जाने के फलस्वरूप आदेश दिनांक 16-11-96 द्वारा अस्वीकार कर दिया ।

जनपद सीतापुर के शारदा सहायक नहर परियोजना से सम्बन्धित क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराने की मांग

35–श्री अनिल कुमार वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद के अन्तर्गत शारदा सहायक नहर परियोजना के कि०मी० 99 से 104 के मध्य वर्ष 1998-99 व 1999-2000 में स्लोप लाइनिंग के साथ मिट्टी का कार्य भी कराया गया है ? यदि हां, तो क्या एजिंग ड्रेन तथा सर्विस रोड के मध्य बड़े-बड़े गड्ढे बन गये हैं जिससे स्लोप लाईनिंग क्षतिग्रस्त हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

लाइनिंग के साथ निर्मित क्योरिंग ड्रेन तथा सर्विस रोड के मध्य कहीं-कहीं पर वर्षा के कारण गड्ढे हो गये हैं ।

जी नहीं ।

जी हां ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता बहुत ही सीमित है अतएव समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र लहरपुर के कतिपय गांवों की भूमि को सीपेज से बचाने के उपाय

36–श्री अनिल कुमार वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि सीतापुर जनपद के लहरपुर विधान सभा क्षेत्र में ग्राम–ककराही से लेकर ग्राम लश्करपुर तक शारदा नहर की सीपेज से हजारों एकड़ भूमि कृषि योग्य नहीं रह गयी है ? यदि हां, तो उक्त सीपेज की रोकथाम हेतु सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद सीतापुर के लहरपुर विधान सभा क्षेत्र में ग्राम ककराही से लेकर लश्करपुर तक जमीन नीची होने के कारण लगभग 650 एकड़ भूमि में जल भराव की समस्या है ।

सर्वेक्षणोपरान्त इस क्षेत्र में पड़ने वाले नालों की सफाई की योजना तैयार की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में वर्षों से कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण की मांग

37–श्री अनिल कुमार वर्मा––

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, जनपद सीतापुर में कुल कितने अधिकारी एवं कर्मचारी ऐसे हैं जो विगत 8–10 वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? उनके स्थानान्तरण न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार उनको अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह यादव–

अधिकारी कोई नहीं । तृतीय श्रेणी के तीन तथा चतुर्थ श्रेणी के तीन कर्मचारी कार्यरत हैं ।

जनहित एवं प्रशासकीय दृष्टिकोण के अन्तर्गत स्थानान्तरण नहीं किये गये ।

प्रशासकीय हित में यदि आवश्यक होगा, तो स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा ।

जनपद हरदोई के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तक कला की ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाया जाना

38–श्री विश्राम सिंह यादव–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा–6 से कक्षा 8 तक के छात्रों को पुस्तक कला विषय जिले के कितने विद्यालयों में पिछले कितने वर्षों से पढ़ाया जा रहा है ? क्या नये शिक्षा सत्र में कक्षा–6 से कक्षा–8 तक पुस्तक कला विषय के स्थान पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई द्वारा कृषि विज्ञान की पुस्तकों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है, यदि हां, तो क्यो ? क्या सरकार को जानकारी है कि नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत पूर्व-माध्यमिक विद्यालयों से पुस्तक कला विषय को पाठ्यक्रम से हटा दिया है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

सुश्री मायावती–

उ० प्र० बेसिक शिक्षा परिषद् के गठन 1972 के पूर्व से ही जनपद के 359 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तक कला ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद रामपुर के ग्राम पटवाई में कन्या जू०हा० स्कूल के निर्माण में अनियमितता की जांच

39–श्री काशीराम–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि 23 शाहाबाद जनपद रामपुर के पटवाई ग्राम में कन्या जू० हा० स्कूल का निर्माण वर्ष 2002 में कराया गया है ? क्या यह सत्य है कि इस स्कूल में निर्माण कार्य मानक के हिसाब से नहीं हुआ तथा स्कूल का भवन अभी से क्षतिग्रस्त होने लगा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भवन की टी० ए० सी० जांच कराकर से कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

ग्राम पटवाई में उच्च प्राथमिक विद्यालय का पूर्व निर्माण वर्ष 2002 में ग्राम प्रधान, पटवाई एवं प्रधान अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय, पटवाई द्वारा संयुक्त रूप से कराया गया । भवन निर्माण

मानक के अनुसार न कराये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जांच के अनुसार विद्यालय भवन निर्माण मानक के अनुसार न कराये जाने की शिकायत सही पायी गयी, जिसके लिए श्री पासीराम, प्र० अ० उच्च प्राथमिक विद्यालय, पटवाई को निलम्बित कर दिया गया । मुख्य विकास अधिकारी, रामपुर द्वारा पांच सदस्यीय समिति विद्यालय भवन की जांच हेतु गठित की गयी जिसमें अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रामपुर, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, रामपुर, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, रामपुर, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, रामपुर एवं परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, रामपुर को नामित किया । गठित समिति द्वारा विद्यालय भवन निर्माण की जांच गतिमान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अम्बेडकर नगर के क्षेत्र जलालपुर के जीर्ण-शीर्ण विद्यालयों के पुनर्निर्माण की मांग

40–श्री राकेश पाण्डेय–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर में कितने प्राथमिक विद्यालय भवन विहीन है और कितने विद्यालय भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं ? क्या सरकार भवन विहीन विद्यालयों में नये भवन एवं पुराने भवनों के नवीनकरण हेतु कोई योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर में कोई विद्यालय भवनविहीन नहीं है । 07 विद्यालय जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं ।

07 जर्जर विद्यालयों के पुनर्निर्माण हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2003-04 की वार्षिक कार्य योजना में प्रस्ताव रखा जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महोबा में स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों की स्थापना का निर्णय

41—श्री सिद्ध गोपाल साहू–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद महोबा के विधान सभा क्षेत्र महोबा में कोई बालिका डिग्री कालेज नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां बालिका डिग्री कालेज खोलने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रदेश की वर्तमान कठिन अर्थोपाय की स्थिति के दृष्टिगत असेवित क्षेत्रों में निजी प्रबन्ध तन्त्रों के माध्यम से स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों की स्थापना का निर्णय लिया गया है । उक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में आय-व्ययक में नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना के मद में कोई प्राविधान नहीं है ।

42—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद बहराइच के तारा महिला इण्टर कालेज द्वारा हाई स्कूल संस्थागत के अपात्र प्रमाण-पत्र भेजने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

43—डा० वकार अहमद शाह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्राचार्य, तारा महिला इण्टर कालेज बहराइच द्वारा अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र० क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी को हाई स्कूल संस्थागत (2001) के अप्राप्त प्रमाण-पत्र भेजने के संबंध में भेजा गया पत्रांक–171, दिनांक 24-8-02 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत प्रमाण-पत्र विद्यालय भेजे जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसमें विलम्ब के लिए कौन उत्तरदायी है ? शासन द्वारा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार सन्दर्भगत पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र० क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी में प्राप्त नहीं है ।

हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2001 के उक्त विद्यालय के सभी उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के प्रमाण-पत्र विद्यालय को भेजे जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बहराइच के शासकीय माध्यमिक विद्यालयों के समस्त शिक्षक/शिक्षिकाओं का वेतन निर्धारण पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार किये जाने की मांग

44—डा० वकार अहमद शाह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद बहराइच के शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत समस्त शिक्षक/शिक्षिकाओं का वेतन निर्धारण पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो किन-किन शिक्षकों का वेतन निर्धारण नहीं हो पाया है और इसके क्या कारण हैं ? क्या शासन इन शिक्षकों का वेतन निर्धारण करायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह यादव–

जी हां, जनपद बहराइच के शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत समस्त शिक्षक/शिक्षिकाओं का वेतन निर्धारण पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा में गन्ना आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु बाईपास बनवाये जाने सम्बन्धी जानकारी

45—श्री राम करन आर्य–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोण्डा के गन्ना किसानों को बभनान खोड़ारे रोड से बभनान बाजार होकर बलरामपुर चीनी मिल इकाई बभनान को गन्ना आपूर्ति में कठिनाई का

सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम सदकरपुर से मिल तक बाईपास बनवाये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

जी नहीं ।

धनाभाव के कारण निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद गाजीपुर की जमानिया तहसील के बेसिक प्राइमरी पाठशाला देहवल की भूमि पर अवैध कब्जा हटाये जाने की मांग

46—श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की जमानिया तहसील के अन्तर्गत ग्राम देहवल मौजा उसिया में बेसिक प्राइमरी पाठशाला देहवल की भूमि पर अवैध कब्जा हटाये जाने के संबंध में मा० मुख्य मंत्री के आदेश दिनांक 5-9-2002 शिक्षा निदेशक को दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त अवैध कब्जेदारी समाप्त हो गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जेदारी समाप्त कराने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में गिरते हुए भूगर्भ जल स्तर को सुधारने की योजना

47—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद बांदा में भूगर्भ जल स्तर गिरता जा रहा है, जिससे नलकूप, हैण्डपम्प, कुएं सूख गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां गिरते हुए जल स्तर को सुधारने हेतु कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री राम शंकर पाल–

जी हां ।

जी नहीं ।

जल स्तर सुधारने हेतु चेकडैम एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग योजनायें संचालित/प्रस्तावित हैं ।

(1) गिरते हुए जल स्तर को सुधारने के लिए बांदा में लघु सिंचाई विभाग द्वारा अब तक 126 चेकडैमों का निर्माण किया जा चुका है तथा 18 चेकडैम निर्माणाधीन हैं । जनपद बांदा के लिए भूस्तरीय जल को रोकने के लिए 158 चेकडैमों के निर्माण हेतु मु० 1496.50 लाख रुपये की योजना प्रस्तुत की गयी है ।

(2) पेयजल की आपूर्ति एवं भूजल के घटते स्तर को रोकने हेतु जल निगम द्वारा बांदा जनपद में निम्न ग्रामों में चेकडैम बनाने हेतु योजना प्रस्तावित की गयी है :-

1-पिपरहरा 2-जसईपुर 3-भुरवल 4-टोला कलॉ 5-गोपरा मुगली ।

(3) भूजल स्तर रिचार्जिंग हेतु रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोर वेल के साथ बनाने हेतु जनपद बांदा के ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामों में 200 यूनिट के निर्माण की योजना प्रस्तावित की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

48—श्री विनोद कुमार यादव (कक्का)-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

49—श्री विनोद कुमार यादव (कक्का)-

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

जनपद बांदा के कतिपय पम्प कैनाल में अलग से फीडर बनाने सम्बन्धी कथित प्रकरण

50—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा की चिल्ला, सादीमदनपुर, लघुडाल नहर, त्रिवेनी पम्प कैनाल व अलोना पम्प कैनाल व जौहरपुर पम्प कैनाल में अलग से फीडर बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कब तक पूर्ण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान में प्रदेश की विद्युत आपूर्ति की स्थिति को देखते हुए इन पम्प नहरों पर अलग से फीडर बनाना व्यवहारिक नहीं है ।

प्रदेश में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की समाधि स्थलों व प्रतिमाओं के रख-रखाव व सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने की मांग

51—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की समाधि स्थलों व उनकी प्रतिमाओं के रख-रखाव व उनकी सुरक्षा हेतु कोई व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि जनपद जालौन के जिला मुख्यालय उरई में स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व० तुलसीराम त्रिपाठी की समाधि स्थल को बुलडोजरों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी को दण्डित कराकर समाधि स्थल की मरम्मत एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

शासकीय अनुदान से निर्मित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मूर्तियों एवं शहीद स्मारकों एवं इससे लगे स्थलों के रख-रखाव हेतु जिला प्रशासन को निर्देश दिये गये हैं । सुरक्षा हेतु सामान्य व्यवस्था है ।

जी नहीं । स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी स्व० तुलसीराम त्रिपाठी की समाधि के निकट से नगर पालिका द्वारा मार्ग निकाला जाना था, उस स्थान को समतल करने में नगरपालिका के बुलडोजर से समाधि को

हल्की खरोंच लग गयी, परन्तु समाधि ध्वस्त नहीं की गयी, तथापि मामले की संवेदन शीलता को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी, जालौन को मामले की जांच कराकर दोषी को दण्डित करने, समाधि स्थल की मरम्मत एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं ।

जनपद गोण्डा, क्षेत्र कटरा बाजार के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

52—श्री बैजनाथ दुबे–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र कटरा बाजार के अन्तर्गत कितने प्राथमिक विद्यालयों में एकल अध्यापक की व्यवस्था है तथा कितने विद्यालय अध्यापक विहीन होने के कारण बन्द हैं ? क्या सरकार मानक के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति अथवा रिक्त स्थानों पर वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत शिक्षा मित्रों की नियुक्ति किये जाने हेतु आदेश निर्गत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

कुल 07 प्राथमिक विद्यालयों में एकल अध्यापक की व्यवस्था है तथा कोई भी विद्यालय बन्द नहीं है ।

जी हां ।

शीघ्र ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद तहसील मिल्कीपुर के ग्राम देवगांव में राजकीय नलकूप के निर्माण की मांग

53—श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद, तहसील मिल्कीपुर, ब्लाक खण्डासा के अन्तर्गत ग्राम सभा मेवापुर, मुतालबे देवगांव में कोई राजकीय नलकूप न होने के कारण हजारों एकड़ भूमि असिंचित रह जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम सभा में एक राजकीय नलकूप लगवाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं । जनपद–फैजाबाद, तहसील–मिल्कीपुर, विकास खण्ड–अमानीगंज (खण्डासा) के अन्तर्गत ग्राम सभा मेवापुर, मुतालबे, देवगांव में दो राजकीय नलकूप संख्या–167 व 168 बी०जी० स्थापित हैं, जो कार्यशील हैं । फिर भी देवगांव में लगभग 500 एकड़ कृषि योग्य भूमि असिंचित है ।

उत्तर प्रदेश शासन राज्य योजना आयोग के पत्र संख्या–9/3-35-अ–2–2000–62, दिनांक 16-11-2000 के अनुसार नये नलकूपों के निर्माण पर पूर्णतया प्रतिबन्ध है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद हरदोई, तहसील सण्डीला के कोड़री माइनर में पानी पहुंचाने सम्बन्धी जानकारी

54—श्री राम करन आर्य–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला के अन्तर्गत सरेहरी रजवाहा से निकली कोड़री माइनर में लगभग 10 वर्षों से पानी नहीं आ रहा है और अनेक गांवों के किसानों की हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई नहीं हो पा रही है ? यदि हां तो क्या सरकार उक्त माइनर से पानी पहुंचाने की कोई व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं । विगत वर्षों में पानी पहुंचा है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर में उर्दू भाषा के सहायक अध्यापकों को पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन का भुगतान

55—श्री अनिल कुमार वर्मा–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–सीतापुर में वर्ष 1994 से उर्दू भाषा के अध्यापन हेतु नियुक्त सहायक अध्यापकों का वेतन क्या पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार जि० बे० शि० अधि०, सीतापुर द्वारा दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

56—श्री अनिल कुमार वर्मा–

[पहले सोमवार के अता० प्र० सं०–177 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मैनपुरी के उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (सेवानिवृत्त) श्री जय प्रकाश शर्मा के विरुद्ध आरोपों की जांच सम्बन्धी सदस्य, विधान सभा क्षेत्र तिलहर आदि से प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की मांग

57—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैनपुरी के कार्यालय से सम्बद्ध उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (सेवानिवृत्त) श्री जय प्रकाश शर्मा के विरुद्ध गम्भीर आरोपों के संबंध में श्री शिवराज सिंह यादव, संगठन मंत्री, जिला कांग्रेस कमेटी, मैनपुरी का पत्र दिनांक 5-9-2000 सदस्य, विधान सभा क्षेत्र तिलहर, शाहजहांपुर का पंजीकृत पत्र दिनांक 13/16 दिसम्बर, 2000 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

मा० सदस्य का पंजीकृत पत्र दिनांक 13/16 दिसम्बर, 2000 एवं श्री शिवराज सिंह यादव, संगठन मंत्री, जिला कांग्रेस कमेटी, मैनपुरी का पत्र दिनांक 5-9-2000 प्राप्त नहीं हुआ किन्तु श्री शिवराज सिंह यादव, संगठन मंत्री, जिला कांग्रेस कमेटी, मैनपुरी का दिनांक रहित अन्य पत्र प्राप्त हुआ । मा० सदस्य का इसी मामले से ही सम्बन्धित अन्य पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी जांच करायी गयी और जांच के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि शिकायती-पत्र में उल्लिखित समस्त बिन्दुओं पर जांच नहीं की गयी है । अतः पुनः जांच कराये जाने के आदेश दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

58—श्री काशी राम–

[दूसरे शुक्रवार के अता० प्र० सं०–56 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में सिंचाई हेतु हेड से टेल तक पानी पहुंचाने वाली नहरों की संख्या तथा जनपद बस्ती में लंगड़ी पम्प कैनाल में टेल तक पानी पहुंचाने सम्बन्धी जानकारी

59—श्री राम करन आर्य–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की कितनी नहरों में हेड से टेल तक पानी सिंचाई के लिए जाता है ? क्या बस्ती जनपद में लंगड़ी पम्प कैनाल में टेल तक पानी पहुंच रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

माह जनवरी, 2003 के अन्त तक प्रदेश में 7297 नहरों में हेड से टेल तक पानी पहुंचाया गया है।

जी नहीं।

जनपद बस्ती की लंगड़ी पम्प कैनाल पर विद्युत उपलब्धता मात्र 8 घन्टे प्रतिदिन होने के परिणाम स्वरूप टेल तक पानी नहीं पहुंच पाता है।

60—श्री धनन्जय सिंह–

[1ले सोमवार के अता० प्र० सं०–179 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

61—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद शाहजहांपुर के अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई द्वारा गत वर्ष फ्री बोरिंग में की गयी अनियमितताओं की जांच विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

62—श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय जिलाधिकारी, शाहजहांपुर के पत्र संख्या 2019 ओएसडी/02, दिनांक 24-8-02 के द्वारा अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई शाहजहांपुर को वर्ष 2001-02 में फ्री बोरिंग में की गयी अनियमितताओं की जांच कराने के संबंध में भेजा गया था ? क्या उक्त मामले की जांच पूर्ण हो गयी है ? यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शंकर पाल–

जी हां।

जी हां।

कोई अनियमितता नहीं पायी गयी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद हरदोई, कस्बा बिलग्राम के राजकीय बालिका हाई स्कूल को पुराने तहसील भवन में स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रकरण

63—श्री विश्राम सिंह यादव –

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2002 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न सं०–17 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई जनपद के कस्बा बिलग्राम में राजकीय बालिका हाई स्कूल जो किराये के जर्जर भवन में चल रहा है को पुरानी तहसील भवन में स्थानान्तरण हेतु राजस्व विभाग की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो उक्त स्वीकृति कब तक प्राप्त हो जायेगी ?

श्री महेन्द्र सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रकरण राजस्व विभाग में अभी विचाराधीन है ।

जनपद रामपुर, विधान सभा क्षेत्र शाहाबाद में विगत वर्षों में नहरों की सफाई एवं रोस्टरिंग के कार्य हेतु आवंटित धन का विवरण

64—श्री काशी राम–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र शाहाबाद, जनपद रामपुर की नहरों की वर्ष 2000-01 तथा 2001-2002 में सफाई एवं रोस्टरिंग के लिए कितना धन आवंटित किया गया और उक्त धनराशि से किस-किस नहर की सफाई उक्त वर्षों में कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

नहरों की सफाई एवं रोस्टरिंग के लिए विधान सभावार धन का आवंटन नहीं किया जाता है । रामपुर नहर खण्ड रामपुर के अन्तर्गत शाहाबाद विधान सभा क्षेत्र की नहरों की संलग्न विवरण के अनुसार वर्ष 2000-2001 व 2001-2002 में सिल्ट सफाई व स्केपिंग का कार्य कराया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 112 पर ।

जनपद देवरिया के बखरा इण्टर कालेज के श्री हरी प्रसाद के वेतन भुगतान का प्रकरण

65—श्री शारदा नन्द अंचल

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्री हरी प्रसाद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बखरा इण्टर कालेज, बखरा, जनपद देवरिया के वेतन भुगतान किये जाने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया के पत्र संख्या 4059/72, दिनांक 18-10-02 द्वारा अनु सचिव माध्यमिक शिक्षा–7 उ० प्र० लखनऊ को भेजा गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह यादव–

प्रश्नगत पत्र दिनांक 18-10-2002 अनु सचिव उ०प्र० शासन शिक्षा अनुभाग–12 को प्राप्त हुआ है ।

प्रकरण न्यायालय वाद से सम्बन्धित है । प्रकरण का विधिक परीक्षण कराया जा रहा है जिसके अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति सम्बन्धी कथित जानकारी

66—श्री माता प्रसाद पाण्डेय

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में कुल कितने ऐसे प्रा० विद्यालय हैं जिनमें एक भी अध्यापक नहीं हैं ? क्या सरकार उक्त विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यो ?

सुश्री मायावती–

कोई नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर के अनेक बांधों पर विगत पांच वर्षों में स्वीकृत धनराशि व ठेकेदारों द्वारा कराये कार्यों का विवरण

67—श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के बन्धा अरोकवा, मदरहवा व दलपतपुर परसोहन, बुद्धी गदार बौना बांध पर विगत पांच वर्षों में उनकी मरम्मत में कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी तथा उस पर किन-किन ठेकेदारों ने काम किया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

अशोगवा, मदरहवा व दलपतपुर परसोहन मूसा बांध (जिसका प्रश्न में त्रुटिपूर्ण नाम बुदी गवार बौना बांध उल्लिखित है । वस्तुतः बुदी गवार बौना से तात्पर्य दो गांवों से है, जिनके सही नाम गढखऊवा और बूंदी है पर विगत पांच वर्षों में उनकी मरम्मत में कुल रुपया 108.67 लाख की धनराशि खर्च की गयी है तथा उस पर सर्वश्री सूर्य मणि त्रिपाठी, मो० इदरीश, महमूद खां, रामशंकर सिंह, गणेशदत्त चौधरी, पुरूषोत्तम सिंह, सूर्य प्रकाश चतुर्वेदी, अजमेर खां, सुभाष चन्द्र गुप्ता, महमूद अहमद, पुजारी लाल जायसवाल, अजय प्रकाश सिंह, शैलेश कुमार तिवारी, गंगाराम, सुरेश चन्द्र, विजय बहादुर तिवारी, रवि त्रिपाठी, घनश्याम चौबे, फूलचन्द्र, दीप प्रकाश अग्रहरी, ए०के० सिंह, अली अहमद, भूपेन्द्र सिंह, संजय कुमार श्रीवास्तव, राम कैलाश मिश्रा, बद्री प्रसाद पाण्डेय, अनिल प्रताप सिंह, विपिन कुमार, श्रीमती कृष्णा देवी, मै० निरंकार सिंह एण्ड कम्पनी, गिरजा शंकर पाण्डेय, बी०एन० सिंह, अनिल कुमार दूबे, अब्दुल कादिर, मारकण्डेय सिंह, दिलीप कुमार, राम किशोर चौधरी, ओम प्रकाश चौधरी, दिनेश सिंह, भरत सिंह, रमेश कुमार आदि ठेकेदारों ने कार्य किया है ।

जनपद सिद्धार्थनगर के इटवा में चीनी मिल लगवाने सम्बन्धी जानकारी

68—श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सिद्धार्थनगर में गन्ने की अधिक खेती को दृष्टिगत रखते हुए एक चीनी मिल, इटवा में लगवाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

वर्तमान में भारत सरकार की औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति विभाग के प्रेस नोट संख्या–12(1998 सीरीज) दिनांक 31-8-98 द्वारा चीनी मिल स्थापना हेतु लाईसेंस/आशय पत्र प्राप्त करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी है । इस प्रकार कोई भी उद्यमी चीनी मिल स्थापना के लिए स्वतंत्र है ।

जनपद अम्बेडकर नगर के गन्ना मिलों पर किसानों की बकाया धनराशि तथा उसका भुगतान कराने की मांग

69—श्री राकेश पाण्डेय–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकर नगर में गन्ना मिलों पर गन्ना किसानों का कुल कितना रुपया भुगतान हेतु शेष है ? क्या सरकार उनके बकाये गन्ने के मूल्य का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार–

पेराई सत्र 2001-02 में जनपद-अम्बेडकर नगर के गन्ना किसानों का कुल रु० 1049.85 लाख गन्ना मूल्य हेतु देय था जिसका पूर्ण भुगतान किसानों को कर दिया गया है। जनपद की चीनी मिलों पर पेराई सत्र 2001-2002 व इसके पूर्व की कोई धनराशि भुगतान हेतु अवशेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के बेसिक शिक्षा परिषदीय स्कूलों में रिक्त प्रधानाध्यापकों के पदों को प्रोन्नतियों से भरे जाने की मांग

70—श्री अजीम भाई–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद के बेसिक शिक्षा परिषदीय स्कूलों में प्रधानाध्यापक के कितने पद रिक्त हैं ? क्या उन रिक्त पदों पर सहायक अध्यापकों की प्रोन्नतियां की जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद के पू० मा० विद्यालयों में 105 तथा प्राथमिक विद्यालयों में 142 प्रधानाध्यापकों के पद रिक्त हैं।

कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में उर्दू माध्यम से संचालित जूनियर हाई स्कूलों में हिन्दी माध्यम से चलाने के आदेश व जनपद फिरोजाबाद के हाजीपुरा जू० हाई स्कूल में भी उक्त व्यवस्था के सम्बन्ध में जानकारी

71—श्री अजीम भाई–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा उर्दू माध्यम से संचालित जूनियर हाई स्कूलों को हिन्दी माध्यम से चलाने का कोई आदेश दिया गया है ? यदि नहीं, तो फिरोजाबाद का हाजीपुरा जूनियर हाई स्कूल जो उर्दू माध्यम से स्वीकृत है हिन्दी माध्यम से चलाये जाने का क्या कारण है ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं।

वर्ष 1995 में स्थापित पूर्व माध्यमिक विद्यालय, हाजीपुरा में विद्यालय के गठन के समय से ही हिन्दी माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही है, तथा उर्दू को एक विषय के रूप में शिक्षा प्रदान की जाती है। तद्नुसार ही शिक्षकों की तैनाती की जाती रही है। वर्तमान में भी सभी छात्र/छात्राओं को विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार ही शिक्षा प्रदान की जा रही है।

जनपद बांदा में झझरी पुरवा के ग्राम प्रधान द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बांदा को विद्यालय की जमीन हड़पने के सम्बन्ध में दिये गये शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

72—श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम प्रधान झझरीपुरवा द्वारा दिया गया शिकायत पत्र दि० 10-10-02 जो विद्यालय की जमीन हड़पने सम्बन्ध है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बांदा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश सरकार द्वारा संचालित, बन्द पड़ी व रुग्ण चीनी मिलों की संख्या तथा बन्द पड़ी मिलों को संचालित कराये जाने सम्बन्धी जानकारी

73—श्री राम करन आर्य–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितनी सरकारी चीनी मिलें हैं उनमें से कितनी चीनी मिलें बन्द हैं ? और कितनी चीनी मिलें रुग्ण हैं ? क्या सरकार बीमार चीनी मिलों के पुनरुद्धार तथा बन्द चीनी मिलों को चालू कराने की किसी कार्य योजना पर विचार करेगी ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार–

प्रदेश सरकार के अधीन केवल उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की चीनी मिलें आती हैं । उ०प्र० राज्य चीनी निगम की 33 चीनी मिलें हैं जिसमें से 11 चीनी मिलें स्थायी रूप से बन्द हैं एवं निगम के लगातार घाटे में चलने तथा अनार्थिक एवं नेटवर्थ ऋणात्मक होने के कारण बी०आई०एफ०आर० में सन्दर्भित है । अतएव चीनी निगम सम्पूर्ण रूप से रुग्ण है ।

उ०प्र० सहकारी चीनी मिल संघ की कुल 29 चीनी मिलें जिसमें से 27 चीनी मिलें संचालित हैं । एक चीनी मिल धुरियापार बन्द है तथा एक इकाई जेवर निर्माणाधीन स्थिति में ही परिसमापन में हैं । संचालित चीनी मिलों में से 6 चीनी मिलों की नेटवर्थ धनात्मक है एवं शेष चीनी मिलों की नेटवर्थ ऋणात्मक है ।

उ० प्र० राज्य चीनी निगम की रुग्ण चीनी मिलों के पुनरुद्धार की योजना बी०आई०एफ०आर० में सन्दर्भित है तथा स्थायी रूप से बन्द चीनी मिलों के निजीकरण की कार्यवाही की जा रही है ।

उ०प्र० सहकारी चीनी मिल संघ की एक मात्र बन्द धुरियापार चीनी मिल को पुनः संचालित करने के लिए इसे लीज पर दिये जाने पर विचार किया जा रहा है ।

उत्तर प्रदेश सम्बद्ध प्राइमरी शिक्षक आर्गनाइजेशन के प्रतिनिधियों की प्रमुख सचिव के साथ हुई बैठक में लिए गए निर्णय के क्रियान्वयन का मामला

74–श्री ओमकार सिंह यादव तथा डा० अशोक बाजपेई–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 23 जनवरी, 1996 को प्रमुख सचिव, शिक्षा की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सम्बद्ध प्राइमरी शिक्षक आर्गनाइजेशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई थी ? यदि हां, तो आर्गनाइजेशन की ओर से प्रस्तुत मांग-पत्र की मुख्य मांगें क्या थीं ? उनके संबंध में

क्या निर्णय लिये गये थे ? उक्त बैठक में लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश निर्गत करा दिये गये ? यदि नहीं, तो निर्णयों से सम्बन्धित शासनादेश कब तक निर्गत करा दिये जायेंगे ?

सुश्री मायावती–

(क) सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों/प्राइमरी शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण हेतु हुई बैठक के निर्णय के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जानकारी

75—श्री ओमकार सिंह यादव तथा डा० अशोक बाजपेई

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग के शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के निमित्त उत्तर प्रदेश सम्बद्ध प्राइमरी शिक्षक आर्गनाइजेशन द्वारा प्रस्तुत मांग-पत्र के सन्दर्भ में विचार-विमर्श हेतु दिनांक 13-7-2001 को तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई थी ? यदि हां, तो उक्त बैठक में क्या निर्णय लिया गया था ? क्या उसका क्रियान्वयन हेतु शासनादेश निर्गत करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

समस्याओं के निराकरण हेतु शिक्षा निदेशक (मा०) से अपेक्षित प्रस्ताव प्राप्त कर कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया था ।

जी हां ।

उक्त आर्गनाइजेशन द्वारा प्रस्तुत मुख्य मांग के परिप्रेक्ष्य में शासनादेश संख्या–259/15–7–03–1(3)/03, दिनांक 17–2–03 द्वारा सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग के शिक्षक/शिक्षिकाओं की पदोन्नति एल०टी० वेतनक्रम में 25 प्रतिशत पदों पर किए जाने के आदेश निर्गत किए जा चुके हैं । शेष सेवा शर्तों के सम्बन्ध में कार्यवाही गतिमान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ के नवयुग कन्या विद्यालय इण्टर कालेज के प्राइमरी विभाग की शिक्षिकाओं को संशोधित वेतनमान आदि समस्त भुगतान यथाशीघ्र कराये जाने की मांग

76—श्री देवकी नन्दन कोरी–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2002 के तीसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–117 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या मा० बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित नवयुग कन्या विद्यालय इण्टर कालेज के प्राइमरी विभाग की समस्त शिक्षिकाओं को माह जनवरी तथा फरवरी, 2000 का वेतन तथा वर्ष 1997, 1998, 1999 का बोनस व संशोधित वेतनमान के एरियर का भुगतान अभी तक न किये जाने का क्या कारण है ? उपरोक्त समस्त भुगतान कब तक करा दिया जायगा तथा भुगतान में हुए विलम्ब के लिए दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

धनाभाव के कारण भुगतान नहीं किया जा सका है ।

निदेशालय से अपेक्षित प्रस्ताव प्राप्त किए जाने की कार्यवाही गतिमान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थ नगर में खराब पड़े राजकीय नलकूपों की संख्या तथा उसे ठीक कराने की मांग

77—श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में गत पांच वर्षों में कुल कितने राजकीय नलकूप खराब हुए तथा कितने ठीक कराये गये ? उक्त खराब नलकूपों के ठीक कराने में कुल कितनी धनराशि प्रतिवर्ष खर्च की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद सिद्धार्थनगर में विगत 5 वर्षों में अर्थात् वर्ष 1997-98 से 2001-2002 तक 291 अदद राजकीय नलकूप विद्युत एवं यांत्रिक दोष से, अस्थाई रूप से एक अथवा एक से अधिक बार खराब हुए तथा 3 नलकूप फेल होने के कारण स्थाई रूप से खराब हो गये । इसमें से अस्थाई रूप से खराब हुए समस्त 291 राजकीय नलकूप ठीक कराये गये ।

अस्थाई रूप से खराब हुए नलकूपों में से यांत्रिक दोष से खराब हुए नलकूपों को ठीक कराने में प्रतिवर्ष निम्न व्यय किया गया :—

वर्ष 1997-98	20.08 लाख
वर्ष 1998-99	19.55 लाख
वर्ष 1999-2000	23.30 लाख
वर्ष 2000-2001	2.49 लाख
वर्ष 2001-2002	23.42 लाख

जनपद गोण्डा के बलरामपुर चीनी मिल बभनान द्वारा गन्ना घटतौली की शिकायत की जांच

78–श्री राम करन आर्य–

क्या गन्ना मंत्री को जानकारी है कि बलरामपुर चीनी मिल बभनान इकाई, बभनान, जिला गोण्डा द्वारा गन्ना किसानों के गन्ने की घटतौली की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार–

जी हां ।

प्रकरण की जांच करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से सम्बद्ध श्री ओम प्रकाश शर्मा के विरुद्ध गम्भीर आरोपों की जांच विषयक प्राप्त शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

79–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैनपुरी के कार्यालय से सम्बद्ध अवकाश प्राप्त लिपिक श्री ओम प्रकाश शर्मा के विरुद्ध गम्भीर आरोपों के सम्बन्ध में श्री शिवराज सिंह यादव, संगठन मंत्री, जिला कांग्रेस कमेटी, मैनपुरी का पत्र दिनांक 5-9-2000 सदस्य, विधान सभा तिलहर (शाहजहांपुर) का पंजीकृत पत्र दिनांक 13/16 दिसम्बर, 2000 के साथ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्रश्न में संदर्भित पत्र दिनांक 5-9-2000 शिक्षा विभाग में प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है । शिकायती-पत्र की प्रति प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद मैनपुरी के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अध्यापकों के स्थानान्तरण में की गयी कथित अनियमितताओं की जांच

80–श्री आलोक कुमार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि वर्तमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मैनपुरी द्वारा जून, 2002 से अगस्त, 2002 तक प्राथमिक विद्यालय एवं जू० हा० स्कूल के कार्यरत अध्यापकों के स्थानान्तरण बहुत बड़े पैमाने पर करके अनियमिततायें एवं भ्रष्टाचार किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारी को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), आगरा द्वारा की गई, जिसमें आरोपों की पुष्टि नहीं हुई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फिरोजाबाद क्षेत्र टूण्डला के सभी तालाबों में पानी भरे जाने की जानकारी

81–श्री मोहन देव शंखवार–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र टूण्डला, जनपद फिरोजाबाद में कितने तालाब हैं ? क्या उक्त सभी तालाबों में पानी भरा जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

विधान सभा क्षेत्र टूण्डला, जनपद फिरोजाबाद के अन्तर्गत कुल 156 तालाब हैं ।

तहसीलों से प्राप्त सूचना के अनुसार इस वर्ष 49 तालाब भरे गये हैं जिसमें सिंचाई विभाग द्वारा भरे जाने वाले तालाबों की संख्या–17 है ।

सूखे की स्थिति के कारण नदियों व नहरों में पानी कम उपलब्ध होने से तालाबों का भरा जाना प्रभावित हुआ है ।

जनपद फिरोजाबाद क्षेत्र टूण्डला के कुछ गांवों में खारे पानी से फैल रही बीमारी के निराकरण का कथित प्रकरण

82–श्री मोहन देव शंखवार–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद फिरोजाबाद स्थित प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र टूण्डला के कुछ गांवों में खारे पानी के प्रयोग से इन गांवों की जनता में बीमारी फैल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके निराकरण हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम शंकर पाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ के नरही में स्थित बेसिक शिक्षा विद्यालय पर अराजक तत्वों द्वारा कब्जा करने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

83–श्री उदय राज–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री अतुल यादव (बन्टू) सभासद नरही, लखनऊ का पत्र संख्या 002060 दिनांक 7-6-2002 जो नरही स्थित बेसिक शिक्षा विद्यालय पर अराजक तत्वों द्वारा कब्जा करने के सम्बन्ध में था ? जिलाधिकारी, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

अवैधानिक कब्जा हटवाने की कार्यवाही गतिमान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

84–श्री विनोद कुमार यादव "कक्का"–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

प्रदेश सरकार द्वारा संचालित हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के कार्य हेतु परीक्षकों के पारिश्रमिक का भुगतान कराने की मांग

85–श्री ओम प्रकाश–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा 2002 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु मूल्यांकन केन्द्र शिबली नेशनल इण्टर कालेज आजमगढ़ पर कितने परीक्षकों, लघु परीक्षकों एवं संगणकों ने कार्य किया ? इनके पारिश्रमिक भुगतान हेतु परिषद् द्वारा कितना धन दिया गया ? कितने परीक्षकों, लघु परीक्षकों एवं संगणकों का भुगतान किया गया ? क्या यह सत्य है कि पारिश्रमिक के रूप में दिया गया चेक, बैंक द्वारा पैसे के अभाव में वापस कर दिया गया ? यदि हां, तो उनको पारिश्रमिक का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री महेन्द्र सिंह यादव–

हाईस्कूल परीक्षा में उप प्रधान परीक्षक–72 तथा सहायक परीक्षक–483 तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा में उप प्रधान परीक्षक–42, सहायक परीक्षक–418 ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु कार्य किया था । लघु परीक्षक एवं संगणकों की संख्या शून्य थी ।

रु० 16,21,067.00 की धनराशि आवंटित की गई थी । उक्तवत् संख्यानुसार उप प्रधान परीक्षक एवं सहायक परीक्षकों को पारिश्रमिक भुगतान किया गया ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के स्वामी सहजानन्द महाविद्यालय हरैया के प्रबन्धक द्वारा की गई अनियमितता विषयक प्राप्त शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

86–श्री ओम प्रकाश–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वामी सहजानन्द महाविद्यालय हरैया, आजमगढ़ की मान्यता/सम्बद्धता के लिए प्रबन्धक द्वारा की गई आर्थिक अनियमितता के सम्बन्ध में श्री राम जनम सिंह उपाध्यक्ष, उ० प्र० माध्यमिक शिक्षक संघ का दिनांक 2-10-02 को प्रेषित शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायती-पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

जी नहीं । महामहिम श्री राज्यपाल को सम्बोधित तथा प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा को पृष्ठांकित श्री राम जनम सिंह उपाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ का शिकायती-पत्र दिनांक 3-10-2002 प्राप्त हुआ है ।

शिकायती-पत्र में उल्लिखित विन्दुओं की जांच विश्वविद्यालय एवं जिलाधिकारी आजमगढ़ से करायी गयी । विश्वविद्यालय एवं जिलाधिकारी आजमगढ़ की जांच आख्या प्राप्त हुयी थी । जिलाधिकारी आजमगढ़ को भूमि के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु पुनः निर्देशित किया गया है । जिलाधिकारी की रिपोर्ट प्रतीक्षित है ।

जनपद आजमगढ़ श्री सुभाष इण्टर कालेज करखिया के संस्थाधिकारियों द्वारा विद्यालय के धर के दुरुपयोग विषयक प्राप्त शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

87–श्री ओम प्रकाश–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुभाष इण्टर कालेज करखिया, आजमगढ़ के संस्थाधिकारियों द्वारा हरिजन छात्रवृत्ति, छात्रनिधि, विज्ञान शुल्क, काशनमनी तथा विद्यालय के धन के दुरुपयोग के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 6-9-02 से 13-9-02 के बीच की शिकायत की जांच हेतु लिखा गया पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह यादव–

जी हां ।

जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़ द्वारा जांच की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के श्री सुभाष इण्टर कालेज करखिया में विज्ञान प्रवक्ताओं की अनियमित नियुक्ति की जांच

88–श्री ओम प्रकाश–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13-8-02 जो श्री सुभाष इण्टर कालेज करखिया आजमगढ़ में विज्ञान प्रवक्ताओं की अनियमित नियुक्ति के सम्बन्ध में था ? उन्हें तथा शिक्षा सचिव (माध्यमिक) को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह यादव–

जी हां ।

जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़ द्वारा जांच की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या एवं बन्द पड़े प्राथमिक विद्यालयों को चालू करवाने की मांग

89–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में वर्तमान में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं ? उनमें कितने चल रहे हैं ? तथा कितने विद्यालय बन्द हैं ? क्या सरकार उन बन्द प्राथमिक विद्यालयों को छात्र हित में तत्काल चालू करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जनपद शाहजहांपुर में वर्तमान में 1941 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय हैं। उनमें से सभी चल रहे हैं। कोई भी प्राथमिक विद्यालय बन्द नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच

90–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, मैनपुरी में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी द्वारा दिये गये आदेश दि० 16-9-02 पर प्रमुख सचिव/सचिव बेसिक शिक्षा द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां।

प्राप्त पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच कराये जाने के निर्देश शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ० प्र० को दिये गये थे जिसके क्रम में जांच आख्या प्राप्त हुयी। जांच आख्या के परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि शिकायती-पत्र के सभी बिन्दुओं पर जांच नहीं की गयी है। अतः पुनः विस्तृत जांच कराये जाने के आदेश दिये गये हैं। चूंकि मामले में अन्तर्ग्रस्त दोनों ही कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये विभागाध्यक्ष/विभागीय अधिकारी सक्षम प्राधिकारी हैं। अतः इस आशय के भी निर्देश दिये गये हैं कि संबंधित कर्मियों के विरुद्ध सक्षम स्तर से कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराया जाय।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के श्री सुभाष इण्टर कालेज करखिया में सार्वजनिक धन के दुरुपयोग एवं अभिलेखों के गायब किये जाने की जांच

91–श्री ओम प्रकाश

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुभाष इण्टर कालेज करखिया, आजमगढ़ के सार्वजनिक धन के दुरुपयोग एवं अभिलेखों को गायब किये जाने एवं विनष्ट किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 6-9-2002 से 13-9-02 के मध्य उन्हें एवं शिक्षा सचिव (माध्यमिक) को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह यादव–

जी हां।

जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़ द्वारा जांच की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान सैदपुर के डा० कमल नयन सहायक अध्यापक को वेतनमान दिलाये जाने सम्बन्धी प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

92–श्री रणवीर राणा–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोकदल का पत्र दिनांक 1-7-2002 जो डा० कमल नयन, सहायक अध्यापक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सैदपुर-गाजीपुर की पूर्व सेवा अवधि को वर्तमान सेवा अवधि में जोड़ने एवं सेवा में निरन्तरता एवं समान पद वेतनमान दिलाये जाने के सम्बन्ध में था जो मुख्य मंत्री उ० प्र० को सम्बोधित था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

प्रश्न में संदर्भित पत्र दिनांक 1-7-2002 शिक्षा विभाग के संबंधित अनुभागों में प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है । मा० सदस्य यदि शिकायती-पत्र की प्रति उपलब्ध करा दें, तो तद्नुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

श्री मनोज कुमार द्विवेदी जिला विद्यालय निरीक्षक देवरिया के द्वारा की जा रही वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में शिकायती-पत्र

93–श्री रणवीर राणा –

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मनीष कुमार पाण्डेय, प्रवक्ता, युवा रालोद, उ० प्र० का शिकायती-पत्र दिनांक 24-10-02 जो श्री मनोज कुमार द्विवेदी जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया द्वारा की जा रही वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में था उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह यादव–

प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उटता ।

94,95,96–श्री दिनेश सिंह–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

जनपद अम्बेडकर नगर के बी०एन०के०बी० स्नातकोत्तर महाविद्यालय में विभिन्न विषयों की मान्यता व सीटें बढ़ाये जाने की जानकारी

97–श्री राकेश पाण्डेय–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी० एन० के० बी० स्नातकोत्तर महाविद्यालय अकबरपुर, जनपद अम्बेडकर नगर में स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु कितने विषयों की मान्यता प्रदान की गयी है ? क्या विद्यार्थियों की अधिक संख्या को देखते हुए उन कक्षाओं में सीटों की संख्या बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

बी०एन०के०बी० स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर को स्नातकोत्तर स्तर पर हिन्दी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र एवं अंग्रेजी विषयों में सम्बद्धता दी गयी है ।

जी नहीं । संस्था का सीट वृद्धि का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में 5000/- रुपया निश्चित मानदेय पर 10 माह के लिये विषय विशेषज्ञ रखे जाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में जानकारी

98–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

विधान सभा के दूसरे सत्र 2002 के चौथे मंगलवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न सं०–9 के उत्तर के संदर्भ में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक विद्यालयों में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में 5000/- रुपया निश्चित मानदेय पर एक शिक्षा सत्र में 10 माह के लिए विषय विशेषज्ञ रखे जाने की व्यवस्था है ? इसकी शर्तें क्या हैं ? क्या सरकार तत्सम्बन्धी शासनादेश की एक प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री महेन्द्र सिंह यादव–

जी हां ।

1–इस योजना में विषय विशेषज्ञों को रु० 5000/- प्रतिमाह एक मुश्त निर्धारित मानदेय का भुगतान किया जाता है । नियत मानदेय के अतिरिक्त कोई अन्य भत्ता/सुविधा अनुमन्य नहीं है । यह राज्य कर्मचारी नहीं होंगे । अतः इन्हें पेंशन, भविष्य निधि, अवकाश आदि देय नहीं होंगे ।

2–ऐसे विषय विशेषज्ञ प्रति वर्ष शैक्षिक सत्र के अन्त तक कार्यरत रहेंगे । ग्रीष्मावकाश की अवधि में ऐसे विषय विशेषज्ञों को कार्यमुक्त कर दिया जायगा । एक बार चयनित विषय विशेषज्ञ अधिकतम तीन सत्र तक कार्यरत रहेंगे ।

3–मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक ऐसे विषय विशेषज्ञों को शैक्षिक आवश्यकतानुसार उन अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थापित करेंगे जहां निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापकों के नये पदों के सृजन की आवश्यकता होगी ।

प्रकरण में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों की प्रतियां मा० सदस्यों के अवलोकनार्थ अधोहस्ताक्षरी के कक्ष में उपलब्ध है ।

जनपद सिद्धार्थनगर के राम जानकी इण्टर कालेज में स्वीकृत कर्मचारियों से अधिक के वेतन भुगतान का कथित प्रकरण

99–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राम जानकी इण्टर कालेज, गिरधरपुर कुनगाई, जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 1980 तक शिक्षा निदेशालय की सूची में केवल 8 कर्मचारी अंकित हैं परन्तु 1977 से ही जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा 39 कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह यादव–

जी नहीं ।

संस्था 01 अप्रैल, 1996 से हाईस्कूल स्तर पर वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत आयी । उक्त तिथि से 38 अनुमोदित कर्मचारियों के वेतन का भुगतान हो रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर के प्रा० पाठशालाओं में प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति का कथित प्रकरण

100–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के प्रा० पाठशालाओं में प्रशिक्षित अध्यापकों के स्थान पर पी० टी०, स्काउट एवं गाइड प्रशिक्षित लोगों की नियुक्ति अध्यापन कार्य के लिए की गयी है ? यदि हां, तो क्यो ? क्या सरकार जनपद में प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

101–श्री दिनेश सिंह–

[मंत्रि-परिषद् में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया]

जनपद आजमगढ़ तहसील सागड़ी के ब्लाक अजमतगढ़ के विभिन्न ग्राम पंचायतों द्वारा जल भराव से फसलों को क्षति से बचाने विषयक कथित पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

102–श्री ज्ञानेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक अजमतगढ़, तहसील–सगड़ी, जनपद–आजमगढ़ के प्रधान ग्राम पंचायत हरई ईस्माइलपुर, प्रधान गांव पंचायत इस्माइलपुर गांव पंचायत अजगरा, प्रधान गांव पंचायत छपरा सुल्तानपुर एवं ग्राम वासियों का पंजीकृत प्रार्थना-पत्र दिनांक 13-9-2000 जो क्षेत्र में हो रहे जल भराव से किसानों की फसलों को क्षति से बचाने हेतु जल निकासी के संबंध में था, उन्हें तथा

जिलाधिकारी, आजमगढ़ तथा अधिशासी अभियन्ता बाढ़ आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं । ब्लाक अजमतगढ़, तहसील–सगड़ी, जनपद–आजमगढ़ के प्रधान, ग्राम पंचायत हरई इस्माइलपुर प्रधान गांव पंचायत इस्माइलपुर, गांव पंचायत अजगरा, प्रधान, गांव पंचायत छपरा सुल्तानपुर एवं ग्रामवासियों का पंजीकृत प्रार्थना-पत्र दिनांक 13-9-2000 प्राप्त नहीं हुआ है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इलाहाबाद द्वारा कालेजों के प्रधानाचार्य के रिक्त पदों हेतु विज्ञापन/आरक्षण की व्यवस्था की जानकारी

103–श्री अनिल कुमार वर्मा–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, 23 एलनगंज, इलाहाबाद के द्वारा हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट के कालेजों के प्रधानाचार्य के पद के लिए विज्ञापन संख्या–1/2002, दि० 8 मार्च, 2002 को 1000 पद के लिए विज्ञापन जारी हुआ था ? यदि हां, तो क्या इन 1000 रिक्त पदों में आरक्षण की व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं । उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1998 में संस्था प्रधान के एकल पद होने के कारण आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है ।

104–व–105–श्री अनिल कुमार वर्मा–

[1ले सोमवार के अता० प्र० सं०–178 व 180 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

निर्यात निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्राप्त जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही की मांग

106–श्री संजय गर्ग–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2002 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-77 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत प्रकरण में आयुक्त सहारनपुर मण्डल से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी, हां ।

कर्मचारी/अधिकारी के दोष निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, कस्बा बिलग्राम के राजकीय बालिका हाईस्कूल हेतु नये भवन की व्यवस्था की मांग

107–विश्राम सिंह यादव–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2002 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं०-17 के उत्तर के संदर्भ में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद के कस्बा बिलग्राम

का राजकीय बालिका हाई स्कूल किराये के मकान में संचालित किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त विद्यालय को नये भवन की व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के परिषदीय एवं राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकों की सुविधा

108–श्री अनिल कुमार वर्मा–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिषदीय विद्यालयों एवं राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें इस वर्ष अगस्त, 2002 में दी जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार यह सुविधा अनुदानित विद्यालयों को भी प्रदान करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित परिषदीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत सभी वर्ग के बालक/बालिकाओं को तथा कक्षा 6 से 8 तक उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं शासकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुसूचित जाति/जनजाति के बालक तथा सभी वर्ग के बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी गयी हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

योजना नहीं है ।

प्रदेश में गन्ना पेराई सत्र शीघ्र प्रारम्भ कराने की मांग

109–श्री अनिल कुमार वर्मा–

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में इस वर्ष गन्ना किसानों ने गन्ने की बुआई का कार्य पिछले कई वर्षों की अपेक्षा अधिक मात्रा में कर रखा है ? यदि हां, तो क्या सरकार गन्ना पेराई का सत्र इस वर्ष शीघ्र प्रारम्भ करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी हां ।

वर्ष 1999-2000 में 989760 हेक्टेयर क्षेत्रफल, 2000-2001 में 855742 हेक्टेयर क्षेत्रफल, 2001-2002 में 985733 हेक्टेयर क्षेत्रफल, 2002-2003 में 1103804 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गन्ना बोया गया है, किन्तु चीनी मिलों एवं गन्ना उत्पादकों के बीच गन्ना मूल्य के बारे में विवाद के कारण मिलों द्वारा गन्ना पेराई कुछ विलम्ब से प्रारम्भ की गयी । वर्तमान में सभी 100 मिलों द्वारा पेराई कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा दिनांक 15-2-2003 तक 261.10 लाख टन गन्ने की पेराई की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के बरवन राजबाहे की सफाई कराकर टेल तक पानी की आपूर्ति

110–श्री अनिल कुमार वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि हरदोई जनपद के बरवन राजवाहे में टेल तक पानी विगत कई वर्षों से नहीं पहुंच रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रजवाहे की सफाई कराकर टेल तक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

शाहजहांपुर शाखा जिससे बरवन राजबहा निकली है, का सेक्शन वर्म बढ़ जाने के कारण संकुचित हो गया है, जिससे यह परिकल्पित क्षमता से नहीं चल पाती है ।

शाहजहांपुर शाखा के संकुचित सेक्शन को ठीक कराने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, धन प्राप्त होने पर उक्त कार्य पूर्ण कराकर बरवन राजबहा में पर्याप्त जल पहुंचाना सम्भव हो सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बदायूं के जनता इण्टर कालेज नूरपुर पिनौनी से सेवानिवृत्त श्री भगवान सिंह के जी० पी० एफ० का भुगतान

111–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनता इण्टर कालेज, नूरपुर पिनौनी, जनपद–बदायूं में दस वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त शिक्षक श्री भगवान सिंह को जी० पी० एफ० का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री महेन्द्र सिंह यादव–

जी हां ।

श्री भगवान सिंह सेवानिवृत्त शिक्षक के जी०पी०एफ० खाते में जमा सम्पूर्ण धनराशि रुपया 67,550/- का भुगतान कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता

जनपद बदायूं के नगर पंचायत बबराला के अध्यक्ष द्वारा उ० प्र० कर्मचारी आचरण संहिता के उल्लंघन विषयक शिकायती-पत्र

112–श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यक्ष, नगर पंचायत बबराला (बदायूं) का पंजीकृत शिकायती-पत्र दिनांक 10-5-2002 जो उ० प्र० सरकारी कर्मचारी आचरण संहिता के उल्लंघन विषयक है, तथा जो प्रमुख सचिव, सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ० प्र० शासन, लखनऊ को सम्बोधित एवं शिक्षा निदेशक (मा०) शिविर कार्यालय, लखनऊ को पृष्ठांकित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती के कतिपय इण्टर कालेजों के अध्यापकों के रिक्द पदों पर नियुक्ति का मामला

113–श्री राम करन आर्य–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में गन्ना विकास इण्टर कालेज मुण्डेरा बाजार एवं झिनकूलाल त्रिवेणी राम इण्टर कालेज कलवारी में अध्यापकों के कितने पद रिक्त हैं? उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ?

श्री महेन्द्र सिंह यादव–

गन्ना विकास इण्टर कालेज मुण्डेरा, बस्ती में प्रवक्ता के 05 पद तथा सहायक अध्यापक के 16 पद रिक्त हैं तथा झिनकूलाल त्रिवेणी इण्टर कालेज, कलवारी बस्ती में प्रवक्ता के 05 तथा सहायक अध्यापक के 10 पद रिक्त हैं । माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इलाहाबाद को चयन हेतु अधियाचन भेजा गया है । बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध करांये जाने पर रिक्त पदों को भर दिया जायेगा ।

जनपद सिद्धार्थनगर के मौलाना आजाद इण्टर कालेज में नवीन क्लास प्रोजेक्ट कम्प्यूटर शिक्षा योजना प्रारम्भ कराने संबंधी जानकारी

114–श्री कमाल यूसुफ मलिक

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2002 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं०–76 के उत्तर के संदर्भ में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मौलाना आजाद इण्टर कालेज, सखावतगंज–कादिराबाद, जनपद सिद्धार्थनगर में क्लास प्रोजेक्ट योजना के तहत शिक्षा सत्र 2002-2003 के लिए "नवीन क्लास प्रोजेक्ट कम्प्यूटर शिक्षा योजना" प्रारम्भ कर दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह यादव–

जी नहीं ।

भारत सरकार से केन्द्रांश उपलब्ध नहीं हो सका ।

जनपद लखनऊ के सिंचाई विभाग के सिविल/यांत्रिक खण्डों में 10 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत लिपिकों के स्थानान्तरण की मांग

115–श्री सुन्दर लाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के सिंचाई विभाग के सिविल/यांत्रिक खण्डों में कितने ऐसे लिपिक हैं जिनकी सेवायें एक ही मण्डल में 10 वर्ष या उससे अधिक की पूर्ण हो चुकी हैं ? क्या शासन की स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद लखनऊ स्थित सिंचाई विभाग, उ०प्र० के सिविल/ यांत्रिक खण्डों में 89 ऐसे लिपिक कार्यरत हैं जिनकी सेवायें एक ही मण्डल के अधीन 10 वर्ष या उसे अधिक पूर्ण हो चुकी है । वर्ष 2003–2004 की स्थानान्तरण नीति में तैनाती अवधि के आधार पर विचार किया जा सकेगा ।

उपर्युक्त से स्पष्ट है ।

प्रदेश में उर्दू अकादमी के गठन व उर्दू एवार्ड प्रदान करने सम्बन्धी जानकारी

116–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

क्या भाषा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उर्दू अकादमी का गठन कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? उर्दू अकादमी द्वारा वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 में किन-किन लोगों को उर्दू एवार्ड प्रदान किये गये तथा एवार्ड देने के क्या मापदण्ड हैं ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, भाषा मंत्री (श्री श्याम देव राय चौधरी)–

जी नहीं ।

† सूची एवं सम्बन्धित नियमावली संलग्न है ।

जनपद बस्ती के सरयू ड्रेनेज खण्ड प्रथम में विगत वर्षों में कराये गये कार्यों हेतु जांच कमेटी बनाये जाने की जानकारी

117–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरयू ड्रेनेज खण्ड प्रथम बस्ती के अन्तर्गत कार्य वर्ष 1998-99, 99-2000, 2000-2001, 2001-2002 में कराये गये कार्यों में की गयी अनियमितता की जांच के लिए कोई जांच कमेटी गठित की गयी थी ? यदि हां, तो जांच कमेटी द्वारा दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फिरोजाबाद क्षेत्र टूण्डला में महिला महाविद्यालय खोलने की मांग

118–श्री मोहन देव शंखवार–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र टूण्डला एवं नगर टूण्डला में कोई महिला महाविद्यालय नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां पर महिला महाविद्यालय खोलने की कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रदेश की वर्तमान कठिन अर्थोपाय की स्थिति के दृष्टिगत असेवित क्षेत्रों में निजी प्रबन्ध तंत्रों के माध्यम से स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों की स्थापना का निर्णय लिया गया है । उक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में आय-व्ययक में नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना के मद में कोई प्राविधान नहीं है ।

---

† —नहीं —नहीं ।

जनपद फतेहपुर क्षेत्र जहानाबाद के घटमपुर रजबहा की कतिपय माइनरों में पानी टेल तक पहुंचाने की मांग

119-श्री मदन गोपाल वर्मा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के घाटमपुर रजबहा से निकलने वाली बिजौली माइनर, अमौली माइनर व सिजौली माइनर में क्या टेल तक पानी पहुंच रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त माइनरों में टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां ।

प्रश्नगत रजबहा में पानी की कमी को देखते हुए अमौली, बिजौली एवं सिजौली माइनरों के कमाण्ड को नहरी कमाण्ड से बाहर कर राजकीय नलकूप कमाण्ड में कर दिया गया है एवं पानी राजकीय नलकूप से दिया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर ग्राम पंचायत मुआडाडा विकास खण्ड जैतीपुर में बन्द पड़े प्रा० विद्यालय को चालू कराने सम्बन्धी कार्यवाही

120-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत मुआडाडा विकास खण्ड जैतीपुर, जनपद शाहजहांपुर में बन्द प्रा० विद्यालय में अध्यापक की नियुक्ति कर चालू कराने के संबंध में दिनांक 27-9-02 को मुख्य मंत्री जी प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा को आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

सन्दर्भगत प्रकरण में मा० प्रश्नकर्ता विधायक का पत्र दिनांक 13-9-2002 सचिव, मुख्य मंत्री के माध्यम से दिनांक 27-9-2002 को प्राप्त हुआ है । पत्र में संदर्भित दोनों विद्यालय संचालित हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर क्षेत्र जहानाबाद में कतिपय पम्प कैनाल द्वारा सिंचाई की व्यवस्था

121-श्री मदन गोपाल वर्मा-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद-फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के दफसौरा पम्प कैनाल व भारतपुर पम्प कैनाल सुचारु रूप से न चल पाने के कारण किसानों के खेतों की सिंचाई नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोनों पम्प कैनालों को चालू करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

प्रश्नगत विधान सभा क्षेत्र में भारतपुर पम्प नहर के नाम से कोई पम्प नहर स्थापित नहीं है , अपितु दफसौरा एवं बहादुरपुर पम्प नहरें हैं । वर्तमान में यह दोनों पम्प नहरें विद्युत उपलब्धता के अनुरूप संचालित की जा रही हैं । रबी 1410 फसली में दिनांक 25-1-2003 तक दफसौरा पम्प नहर से 150 हेक्टेयर तथा बहादुरपुर पम्प नहर से 101 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की जा चुकी है ।

शेष प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद फतेहपुर क्षेत्र जहानाबाद के विकास खण्डों की प्राइमरी पाठशालाओं में अध्यापकों की नियुक्ति सम्बन्धी जानकारी

122–श्री मदन गोपाल वर्मा–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के अमौली विकास खण्ड व खमुछा विकास खण्ड के प्राइमरी पाठशालाओं में एकल अध्यापक की व्यवस्था है जिससे अध्यापन कार्य बाधित होता है ? यदि हां, तो उक्त पाठशालाओं में और अध्यापकों की नियुक्ति की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

123–श्री मदन गोपाल वर्मा–

[1ले गुरुवार के अता०प्र०सं०–185 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बाराबंकी, तहसील फतेहपुर की ग्राम सभा पिपरौली की प्राइमरी पाठशाला की भूमि को भू-माफियों से मुक्त कराने की मांग

124–श्री राम करन आर्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा पिपरौली, ब्लाक निन्दूरा, तह० फतेहपुर, जनपद बाराबंकी में स्थित प्राइमरी पाठशाला की 5 बीघा सरकारी जमीन पर ग्राम सभा के भू-माफियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्राइमरी पाठशाला की भूमि को भू-माफियों के कब्जे से मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जमीन को भू-माफियाओं से मुक्त कराने हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी द्वारा दिनांक 7–2–2003 को उप जिलाधिकारी फतेहपुर (बाराबंकी) से अनुरोध किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बदायूं क्षेत्र सहसवान में राजकीय इण्टर कालेज के भवन का निर्माण कराने की मांग

125–श्री ओमकार सिंह यादव–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र सहसवान में पिछले सात वर्षों से राजकीय कन्या इण्टर कालेज बिना भवन के चल रहा है जिससे छात्राओं को काफी परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त राजकीय इण्टर कालेज के भवन का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह यादव–

जनपद बदायूं के विधान सभा क्षेत्र सहसवान में संचालित विद्यालय राजकीय कन्या इण्टर कालेज न होकर राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है जो वर्तमान में नगर पालिका के सामुदायिक विकास भवन में (किराया रहित) संचालित है । उक्त भवन में शिक्षण हेतु एक हाल तथा दो छोटे कक्ष उपलब्ध हैं । विद्यालय के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है । भूमि एवं वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर भवन निर्माण कराया जायेगा ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद फतेहपुर क्षेत्र जहानाबाद के खजुहा ब्लाक की जोनिहा माइनर में पुलिया निर्माण

126–श्री मदन गोपाल वर्मा–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद–फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के खजुहा ब्लाक में निचली गंगा नहर के जोनिहा माइनर कोठी के पास पुलिया न होने के कारण जनता को आने जाने में परेशानी होती है ? यदि हां, तो उक्त स्थान पर पुलिया का निर्माण कब तक कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जोनिहा कोठी के निकट जोनिहा माइनर पर बिन्दीकी से रहमतपुर गांव मार्ग पर एक पुलिया 0-4-625 पर निर्मित है तथा माइनर के मील 0-6-200 पर जोनिहा ललौली पर भी पुलिया निर्मित है । इसलिये नयी पुलिया के निर्माण की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद फतेहपुर क्षेत्र जहानाबाद के ब्लाक साहिबाजपुर माइनर की टूटी पुलिया निर्माण की कार्यवाही

127–श्री मदन गोपाल वर्मा–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के खजुहा ब्लाक सहिबाजपुर माइनर में क्रासिंग पर पुलिया टूट गई है जिससे जनता को आने जाने में परेशानी होती है ? यदि हां, तो उक्त पुलिया का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत पुलिया नहीं टूटी है, मात्र पैरापेट क्षतिग्रस्त है ।

साहिबाजपुर माइनर के मील 1-5-400 पर जोनिहा फतेहपुर पक्की सड़क क्रासिंग पर स्थित पुलिया के पैरापेट क्षतिग्रस्त है । मरम्मत हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर क्षेत्र जहानाबाद ब्लाक खजुहा की गंगा नहर के किनारे नाले पर पुलिया निर्माण की मांग

128–श्री मदन गोपाल वर्मा–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के ब्लाक खजुहा निचली गंगा नहर के किनारे नाले पर अल्लीपुर गांव के सामने पुलिया न होने के कारण जनता को आने जाने में परेशानी होती है ? यदि हां, तो उक्त स्थान पर पुलिया का निर्माण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत स्थल, जहां पुलिया की मांग की गयी है, कोई चकरोड/सड़क नहीं है । उक्त स्थल के लगभग 4 फर्लांग दूरी पर बिन्दकी–कलिलिहा मार्ग पर पुलिया निर्मित है । पुलिया की मांग तकनीकी मापदण्डों के अनुसार उचित नहीं है ।

जनपद फतेहपुर क्षेत्र जहानाबाद के ब्लाक खजुहा के ग्राम ममनापुर नहर पर पुलिया निर्माण की मांग

129–श्री मदन गोपाल वर्मा–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के ब्लाक खजुहा के ग्राम ममनापुर नहर पर नयी सड़क के पास पुलिया न होने के कारण क्षेत्र की जनता को आने जाने में परेशानी होती है ? यदि हां, तो उक्त स्थान पर पुलिया का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रतापपुर माइनर की टेल पर स्थित दांयी तरफ वाली गूल लगभग 75 मीटर की दूरी पर एक चकरोड है । इस स्थल पर एक पाइप लगा हुआ है, जिससे पानी दूसरी तरफ निकल जाता है । चकरोड एवं गूल का रख-रखाव विभाग द्वारा नहीं किया जाता है ।

जनपद फतेहपुर क्षेत्र जहानाबाद के ब्लाक खजुहा सरकन्डी माइनर पर पुलिया निर्माण की मांग

130–श्री मदन गोपाल वर्मा–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद–फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र–जहानाबाद के ब्लाक खजुहा सरकन्डी माइनर में कन्जरनडेरा के सामने स्कूल के पास पुलिया न होने के कारण जनता को परेशानी होती है? यदि हां, तो उक्त स्थान पर पुलिया का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत पुलिया का स्थल सरकन्डी माइनर पर न होकर मिस्सी स्केप पर है । इस स्केप पर वांछित स्थल से 1.00 कि०मी० पर ऊपर तथा 1.00 कि०मी० पर नीचे पहले से ही पुलिया निर्मित है । निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नई पुलिया के निर्माण की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद मैनपुरी के नहर सिंचाई विभाग का मुख्यालय स्थानान्तरण का कथित प्रकरण

131–श्री आलोक कुमार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद–मैनपुरी में बेवर ब्रान्च नहर सिंचाई विभाग का मुख्यालय मैनपुरी में था जिसे मई, 1999 में मैनपुरी से एटा डिवीजन में कर दिया गया है, जिससे किसान अपनी समस्याओं की सूचना एटा में समय पर नहीं पहुंचा पाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पूर्व की भांति बेवर ब्रान्च नहर का मुख्यालय मैनपुरी में ही करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । किन्तु किसानों को अपनी समस्याओं की सूचना समय से अधिकारियों तक पहुंचाने में कोई कठिनाई नहीं है ।

जी नहीं । बेवर ब्रान्च नहर से जनपद एटा, मैनपुरी तथा कन्नौज के क्षेत्रों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है । वर्तमान व्यवस्था में इस नहर के रख-रखाव तथा नियंत्रण का उत्तरदायित्व

सिंचाई खण्ड, एटा के अधीन एक ही स्तर पर रखा गया है जबकि पूर्व में ''रख-रखाव'' नहर के मध्य क्षेत्र पर स्थित मैनपुरी प्रखण्ड के अधीन तथा ''नियंत्रण'' शीर्ष क्षेत्र पर स्थित सिंचाई खण्ड, एटा के अधीन होने के कारण उत्तरदायित्व दो स्तरों पर था। जिससे कृषकों को सिंचाई सुविधा समुचित ढंग से उपलब्ध होने में कठिनाई महसूस की जा रही थी। कठिनाई का निराकरण करने हेतु बेवर शाखा का रख-रखाव तथा नियंत्रण सिंचाई खण्ड, एटा के अधीन करते हुए एक स्तरीय उत्तरदायित्व की व्यवस्था निर्धारित कर दी गई है। वर्तमान व्यवस्था में सभी कृषकों को समानुपातिक रूप से सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है। अतः इसमें किसी प्रतिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

जनपद मैनपुरी के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के रिक्त पदों पर नियुक्ति सम्बन्धी जानकारी

132–श्री आलोक कुमार शाक्य–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद–मैनपुरी में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के अन्तर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कितने पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह यादव–

जिला विद्यालय निरीक्षक, मैनपुरी कार्यालय के लेखा संगठन में तृतीय श्रेणी के दो पद, सहायक लेखाकार एवं एक पद लेखाकार का रिक्त है। चतुर्थ श्रेणी का कोई पद रिक्त नहीं है।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर ब्लाक बिधूना की ग्राम पंचायत सेन पश्चिम पारा क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

133–श्रीमती अरुणा तोमर–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद–कानपुर के ब्लाक बिधूना स्थित ग्राम पंचायत सेन पश्चिम पारा क्षेत्र में सिंचाई साधनों की कमी को देखते हुए क्या सरकार उक्त ब्लाक में सरकारी ट्यूबवेल स्थापित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं।

शासन द्वारा नये राजकीय नलकूपों का निर्माण प्रतिबंधित है।

जनपद कानपुर की ग्राम पंचायत सेन पूरब पारा के कैंथा नाले की सफाई व पुलिया निर्माण कराने सम्बन्धी कथित प्रकरण

134–श्रीमती अरुणा तोमर–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम पंचायत सेन पूरब पारा, जनपद कानपुर नगर स्थित कैंथा नाला की सफाई व पुलिया का निर्माण न होने से नागरिकों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो उक्त पुलिया का निर्माण व नाला की सफाई कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उ०प्र० सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग के शिक्षकों/शिक्षिकाओं की पदोन्नति व सेवा शर्तों के सम्बन्ध में शासनादेश तथा कार्यवाही की जानकारी

135–डा० अशोक बाजपेयी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० सम्बद्ध प्राइमरी शिक्षक आर्गनाइजेशन के मांग-पत्र में उल्लिखित प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग के शिक्षकों की मांगों के सम्बन्ध में 13 जुलाई, 01 को तत्कालीन मा० माध्यमिक शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सम्बद्ध प्राइमरी शिक्षकों के सेवा, भर्ती एवं अन्य सेवा लाभों के लिए माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 के अन्तर्गत विनियम प्राख्यापित करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त विनियम कब तक प्राख्यापित करा दिया जाएगा ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

शासनादेश संख्या–259/15-7-03(3)/03 दिनांक 17-2-03 द्वारा अशासकीय विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग के शिक्षकों/शिक्षिकाओं की पदोन्नति एल०टी० वेतनक्रम में 25 प्रतिशत पदों पर किए जाने सम्बन्धी आदेश निर्गत कर दिए गये है । शेष सेवा-शर्तों के सम्बन्ध में कार्यवाही गतिमान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कार्यवाही गतिमान है ।

जनपद फतेहपुर क्षेत्र जहानाबाद के राजवहा की कतिपय माइनरों में पानी टेल तक पहुंचाने की व्यवस्था

136–श्री मदन गोपाल वर्मा–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद–फतेहपुर में जहानाबाद क्षेत्र के जहानाबाद राजवहा से निकली माइनर आमौली माइनर, बिजौली माइनर, सिजौली माइनर की खुदाई व सफाई वर्ष 1995 से नहीं की गयी है ? जिससे पानी टेल तक नहीं पहुंच रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त माइनरों की खुदाई व सफाई कराकर टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । किन्तु जनपद फतेहपुर में जहानाबाद क्षेत्र में जहानाबाद नाम का कोई राजवहा नहीं है, अपितु घाटमपुर राजबहा है, जिससे प्रश्नगत माइनरें निकली हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत राजबहा में पानी की कमी को देखते हुए अमौली, बिजौली एवं सिजौली माइनरों के कमाण्ड को नहरी कमाण्ड से बाहर कर राजकीय नलकूप कमाण्ड में कर दिया गया है ।

गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान के निदेशक के पद को बहाल करने का प्रकरण

137–डा० पी० के० राय–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गेंदा सिंह प्रजनन एवं अनुसन्धान संस्थान में निदेशक का पद वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त संस्थान के हित में पुनः निदेशक का पद बहाल करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेम लता कटियार–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रशासनिक एवं मितव्ययिता की दृष्टिकोण से निदेशक का पद पुनः सृजित किये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

जनपद कुशीनगर के अमवां खास बांध का पुनर्निर्माण कराने की मांग

138–डा० पी० के० राय–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद कुशीनगर में विगत वर्ष अमवां खास बांध 1/2 कि०मी० (डेढ़ कि०मी०) की लम्बाई में कट गया था ? यदि हां, तो सरकार उक्त बांध का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर क्षेत्र जहानाबाद क्षेत्र के भारतपुर पम्प कैनाल को चालू कराने की मांग

139–श्री मदन गोपाल वर्मा–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद–फतेहपुर के जहानाबाद क्षेत्र में भारतपुर पम्प कैनाल बन्द है जिससे किसानों की जमीन असिंचित रह जाती है, परती पड़ी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पम्प कैनाल चालू करने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत विधान सभा क्षेत्र में भारतपुर पम्प नहर स्थापित नहीं है । अपितु बहादुरपुर पम्प नहर हैं । वर्तमान में यह पम्प नहर विद्युत उपलब्धता के अनुरूप चलायी जा रही है । रबी 1410 फसली में दिनांक 25-1-03 तक बहादुरपुर पम्प नहर से 101 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायर) की स्थापना विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

140–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद –

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायर) की स्थापना के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 9-8-2002 सचिव, बेसिक शिक्षा उ० प्र० को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? सरकार उक्त प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

बांदा में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु भवन निर्माण के लिये शासनादेश संख्या–54/15-11-2003-1499(28)/93, दिनांक 14 जनवरी, 2003 द्वारा वित्तीय स्वीकृत निर्गत की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा ग्राम रामपुर में प्राथमिक विद्यालय उजगरा डेरा के भवन निर्माण की मांग

141–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28-10-02 जो जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा ग्राम रामपुर में प्राथमिक विद्यालय उजगरा डेरा के भवन निर्माण को पूरा कराने एवं प्राइमरी पाठशाला चकला के भवन को पूर्ण कराने तथा प्रा० पा० बगइचा डेरा में नियमित विद्यालय खोले जाने विषयक सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग उ० प्र०, शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

ब्लाक जसपुरा के ग्राम रामपुर में प्राथमिक विद्यालय उजागरा डेरा के भवन निर्माण को पूरा कराने के लिए इंजीनियर ने मूल्यांकन कर लिया है । इस सम्बन्ध में आर०सी० के माध्यम से वसूली की कार्यवाही गतिमान है । वसूली हो जाने पर भवन पूर्ण करा लिया जायेगा । प्राथमिक विद्यालय चकला में आंशिक कार्य शेष था जो पूरा कराया जा रहा है । विद्यालय नियमित रूप से संचालित है । प्राथमिक विद्यालय बगइचा पूर्व से ही नियमित चल रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के क्षेत्र तेदुआरी में प्रा० पा० खोलवाये जाने विषयक जिलाधिकारी बांदा को सम्बोधित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

142–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 3-6-02 जिलाधिकारी, बांदा को जनपद बांदा की विधान सभा क्षेत्र तेदुआरी में 300 से अधिक आबादी वाले मजरे पुरवी में प्रा० पाठशाला तथा तीन कि०मी० की अधिक दूरी पर उच्च प्रा० पा० खोलवाये जाने विषयक प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां । प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 03-06-02 द्वारा जिन बस्तियों में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने की मांग की गयी है उनके निर्धारित मानक के अन्तर्गत न आने के कारण वहां नवीन विद्यालय खोलना सम्भव नहीं है । जिन बस्तियों में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की मांग की गयी है उनमें एक गांव महबरा में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालय खोला जा चुका है । निर्धारित मानक के अनुसार पायी गयी 04 अन्य बस्तियों में कार्यवाही गतिमान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हमीरपुर के जी०आर०वी० इण्टर कालेज, राठ के अधिकृत प्रधानाचार्य श्री राम स्वरूप त्रिपाठी को कार्यभार ग्रहण कराने सम्बन्धी मामला

143–श्री कल्याण सिंह दोहरे–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि शिक्षा अनुभाग–12 उ० प्र० शासन के आदेश संख्या–3375/15-12-2002–1600(429)/2001, दिनांक 16 सितम्बर, 2002 द्वारा जी०आर०वी० इण्टर कालेज, राठ, हमीरपुर के अधिकृत प्रधानाचार्य (राम स्वरूप त्रिपाठी) को कालेज का कार्यभार ग्रहण कराने एवं कार्य निर्वहन करने हेतु आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेशों का अनुपालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त आदेशों का अनुपालन करायेगी ?

श्री महेन्द्र सिंह यादव–

शासनादेश संख्या–3375/15-12-2002–1600(429)/2001, दिनांक 16 सितम्बर, 2002 द्वारा निम्न निर्देश दिये गये थे :–

1–जिला विद्यालय निरीक्षक, हमीरपुर के अ०शा०पत्र संख्या–मा–60-61/2001-02 दिनांक 16-1-2002 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार प्रबन्धतन्त्र के विरुद्ध वेतन वितरण अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जाय ।

2–श्री राम स्वरूप त्रिपाठी नियमित प्रधानाचार्य को कार्यभार ग्रहण कराया जाये ।

3–कार्यवाहक प्रधानाचार्य जिसके हस्ताक्षर जिला विद्यालय निरीक्षक हमीरपुर द्वारा प्रमाणित किये गये हैं, को निरस्त किया जाये ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, हमीरपुर का संस्तुति पर संयुक्त शिक्षा निदेशक झांसी मण्डल, झांसी ने अपने आदेश संख्या–226/02-03, दिनांक 9-9-2002 द्वारा वेतन वितरण अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत विद्यालय की प्रबन्ध समिति को भंग करके उप जिलाधिकारी, राठ, हमीरपुर को प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया गया । किन्तु विद्यालय के प्रबन्धतन्त्र द्वारा मा० उच्च न्यायालय में याचिका संख्या–39979/2002 योजित करके संयुक्त शिक्षा निदेशक के आदेश दिनांक 9-9-2002 पर स्थगन आदेश प्राप्त हो गया ।

प्राधिकृत नियंत्रक की कार्यवाही पर मा० न्यायालय द्वारा स्थगित हो जाने के कारण श्री राम स्वरूप त्रिपाठी को प्रधानाचार्य के पद पर कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही अवरुद्ध है, उक्त के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाहक प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर निरस्त करने की कार्यवाही अवरुद्ध हो गयी ।

प्रकरण मा० उच्च न्यायालय में लम्बित है ।

जनपद बलरामपुर के चित्तौड़गढ़ बांध निर्माण खण्ड की क्षतिग्रस्त नहरों/माइनरों के रख-रखाव/सफाई विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

144–डा० शिव प्रताप यादव–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि चित्तौड़गढ़ बांध निर्माण खण्ड बलरामपुर की क्षतिग्रस्त नहरों एवं माईनरों के रख-रखाव एवं सफाई कराने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर मंत्री जी के आदेश पत्र संख्या–4904 वी०आई०पी०/2002 दिनांक 27-9-02 प्रमुख अभियन्ता सिंचाई को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

चित्तौड़गढ़ बांध निर्माण खण्ड बलरामपुर की क्षतिग्रस्त नहरों/माइनरों के रख-रखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2002-2003 में रु० 10.00 लाख उपलब्ध कराया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

145–श्री धनन्जय सिंह–

[1ले बुधवार के अता० प्र० सं०–175 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में एकरूपता लाने सम्बन्धी प्रकरण

146–श्री धनन्जय सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में एक रूपता लाने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी जा रही है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् का अपना पाठ्यक्रम है, जो परिषद् से मान्यता प्राप्त समस्त विद्यालयों में लागू है ।

प्रदेश के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में नये प्रबन्धन पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने की मांग

147–श्री धनन्जय सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रबन्ध शास्त्र के अन्तर्गत कौन-कौन से पाठ्यक्रम शुरू किये जा रहे हैं ? क्या ऊर्जा प्रबन्धन, जल प्रबन्धन, आपदा प्रबन्धन, ग्रामीण प्रबन्धन और शहरी प्रबन्धन से जुड़े पाठ्यक्रम शुरू करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

प्रदेश के विश्वविद्यालयों द्वारा प्रबन्ध शास्त्र के अन्तर्गत बी०बी०ए०, एम०बी०ए०, होटल मैनेजमेंट, ग्रामीण विकास प्रबन्ध तथा जल प्रबन्ध पाठ्यक्रम वर्तमान में शुरू किये गये हैं ।

जी नहीं ।

विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में पाठ्यक्रमों में शिक्षण की व्यवस्था करने का अधिकार उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा–7 की उपधारा–1 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में निहित है ।

जनपद बलिया की दि सहकारी चीनी मिल्स रसड़ा पर गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान कराने की मांग

148–श्री राम इकबाल सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि सहकारी चीनी मिल्स रसड़ा जनपद बलिया में गन्ना कृषकों की कितनी धनराशि बकाया है ? बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों को कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

सहकारी चीनी मिल्स रसड़ा जनपद बलिया पर पेराई सत्र 2001-2002 का कुल रु० 883.17 लाख गन्ना मूल्य देय हुआ था जिसका कृषकों को समस्त भुगतान कर दिया गया है । वर्तमान में सत्र 2001-2002 का कोई भी गन्ना मूल्य अवशेष नहीं है ।

प्रदेश में बी०टी०सी० प्रशिक्षण समाप्त करने सम्बन्धी जानकारी

149–श्री राम इकबाल सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार बी०टी०सी० प्रशिक्षण समाप्त करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने जाने की योजना

150–श्री धनन्जय सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में कुल कितने शिक्षकों के पद रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने के लिए कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

55,674 पद ।

जी हां ।

अध्यापकों की कमी को दूर करने के लिए प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के रूप में नियुक्त किये जाने से सम्बन्धित कार्यवाही मा० उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अवरुद्ध है । शिक्षकों की कमी को दूर करने के निमित्त वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में विशिष्ट बी०टी०सी० को बी०टी०सी० की समकक्षता प्रदान करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है । साथ ही बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवानियमावली में बी०एड०/एल०टी० तथा समकक्ष योग्यताधारी अभ्यर्थियों को अप्रशिक्षित अध्यापक के रूप में नियुक्त किये जाने से सम्बन्धित बिन्दु को सम्मिलित करने हेतु सेवा नियमावली में परिवर्तन भी विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों के रिक्त पदों को प्रशिक्षित अभ्यर्थियों द्वारा भरने की योजना

151–श्री राम इकबाल सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्राथमिक विद्यालयों के रिक्त पदों पर बी०एड० वी०पी०एड०, सी०पी०एड० प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की नियुक्ति किये जाने की योजना बना रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?उक्त योजना कब तक लागू कर दी जायेगी ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

अध्यापकों की कमी को दूर करने के लिए बी०एड०/एल०टी० प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के रूप में नियुक्त किये जाने से सम्बन्धित कार्यवाही मा० उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अवरुद्ध है । शिक्षकों की कमी को दूर करने के निमित्त वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में विशिष्ट बी०टी०सी० को बी०टी०सी० की समकक्षता प्रदान करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है । साथ ही बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवानियमावली में बी०एड०/एल०टी० तथा

समकक्ष योग्यताधारी अभ्यर्थियों को अप्रशिक्षित अध्यापक के रूप में नियुक्त किये जाने से सम्बन्धित बिन्दु को सम्मिलित करने हेतु सेवानियमावली में परिवर्तन भी विचाराधीन है ।

उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण हो जाने के पश्चात् ।

152–श्री राम इकबाल सिंह–

[1ले बुधवार के अता० प्र० सं०–174 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों को नियमित करने सम्बन्धी कथित प्रकरण

153–श्री राम इकबाल सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सहकारी चीनी मिलों के कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने की कोई योजना सरकार बना रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति अत्यन्त खराब होने के कारण, गन्ना मूल्य भुगतान अवशेष होने, मशीनों की मरम्मत आदि के व्यय की व्यवस्था करने में अत्यन्त कठिनाइयों का सामना करने तथा कर्मचारियों के वेतन का समय से भुगतान करने में सक्षम न होने आदि के परिप्रेक्ष्य में समस्त सहकारी चीनी मिलों में वर्तमान में किसी भी प्रकार की नियुक्ति/नियमितीकरण न करने का नीतिगत निर्णय लिया गया है ।

मण्डल मुख्यालय गोण्डा में संयुक्त शिक्षा निदेशक के पद के सम्बन्ध में जानकारी

154–श्री शिव प्रताप यादव–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डल मुख्यालय गोण्डा में संयुक्त शिक्षा निदेशक का पद रिक्त है ? यदि हां, तो उक्त पद पर नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह यादव–

मण्डल मुख्यालय गोण्डा में संयुक्त शिक्षा निदेशक का पद सृजित नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद आजमगढ़ के श्री सुभाष इण्टर कालेज, करखिया के प्रवक्ताओं को परिवार कल्याण के अन्तर्गत एक विशेष वेतनवृद्धि का लाभ दिये जाने सम्बन्धी जानकारी

155–श्री ओम प्रकाश–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुभाष इण्टर कालेज, करखिया, आजमगढ़ में किन-किन प्रवक्ताओं को वर्ष 1975 से वर्ष 1980 के बीच परिवार कल्याण के अन्तर्गत प्रोत्साहन स्वरूप एक विशेष वेतनवृद्धि का लाभ दिया गया है ? क्या यह सही है कि कतिपय प्रवक्ताओं द्वारा तथ्यों को छिपा कर उक्त लाभ प्राप्त कर लिया गया है ? इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती-

पत्र अगस्त, 2002 के द्वितीय सप्ताह में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी प्रवक्ताओं को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह यादव–

जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ द्वारा जांच की जा रही है ।

उपरोक्तानुसार ।

जी हां ।

जांचोपरान्त कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के शिबली नेशनल इण्टर कालेज, आजमगढ़ द्वारा की जा रही अनियमितताओं के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

156–श्री ओम प्रकाश–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 8-5-2002 से 12-5-2002 के मध्य जो शिवली नेशनल इण्टर कालेज, आजमगढ़ द्वारा की जा रही अनियमितताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने विषयक था ? शिक्षा निदेशक, माध्यमिक, उ० प्र० शिविर कार्यलय, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह यादव–

अभिलेखानुसार प्रश्नगत पत्र प्राप्त नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी के पीड़ विकास खण्ड देवां के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति की मांग

157–श्री छोटे लाल यादव–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय पीड़ विकास खण्ड देवां जनपद बाराबंकी में छात्र-छात्राओं के संख्या के अनुपात में अध्यापकों की तैनाती की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अध्यापकों की तैनाती कब तक कर दी जायेगी ?

सुश्री मायावती–

जी नहीं ।

अध्यापकों की कमी के कारण ।

प्रधानाध्यापकों की पदोन्नति पर मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिका में निर्णय होने पर तथा अतिरिक्त अध्यापकों के पद रिक्त होने पर ।

जनपद शाहजहांपुर के नलकूप खण्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच आख्या पर कार्यवाही की जानकारी

158–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2002 के तीसरे मंगल हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–85 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या अधीक्षण अभियन्ता नलकूप मण्डल बरेली द्वारा प्रश्नकर्ता का साक्ष्य प्राप्त करके जांच पूर्ण कर ली गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां, मा० सदस्य के पत्र संख्या–क–2 नं०–198202, दिनांक 20-2-2000 एवं पत्र संख्या–174415, दिनांक 2-7-2002 में उल्लिखित शिकायतों के परिप्रेक्ष्य में अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल बरेली द्वारा अपने पत्रांक–8484, दिनांक 26-8-2002 द्वारा मा० सदस्य से साक्ष्य उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया जिसके क्रम में मा० सदस्य ने अपने पत्र संख्या–003262/30-8-2002 में शिकायतों की जांच अधीक्षण अभियन्ता द्वारा किए जाने पर अनिच्छा व्यक्त की ।

अतः मा० सदस्य की इच्छा का समादर करते हुए शिकायतों की जांच मुख्य अभियन्ता (नलकूप–मध्य) उ० प्र० लखनऊ द्वारा की गई । मुख्य अभियन्ता (नलकूप–मध्य) द्वारा उपलब्ध कराई गई जांच आख्या में शिकायतें प्रमाणित नहीं पायी गयीं हैं ।

जनपद शाहजहांपुर, नगर क्षेत्र तिलहर में शिक्षा अधीक्षक के रिक्त पद पर नियुक्ति की मांग

159–श्री वीरेन्द्र प्रदाप सिंह "मुन्ना"–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि नगर क्षेत्र तिलहर जनपद शाहजहांपुर में शिक्षा अधीक्षक का पद वर्ष 1995 से रिक्त है ? यदि हां, तो उपरोक्त पद पर कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

जी हां ।

जनपद शाहजहांपुर में नगर क्षेत्र शाहजहांपुर एवं नगर क्षेत्र तिलहर दो नगर क्षेत्र हैं । नगर क्षेत्र शाहजहांपुर में शिक्षा अधीक्षक कार्यरत हैं, जिन्हें नगर क्षेत्र तिलहर का भी प्रभार सौंपा गया है । ऐसी स्थिति में नगर क्षेत्र तिलहर में प्रभारी शिक्षा अधीक्षक कार्यरत हैं ।

160–डा० अरूण कुमार मेहरोत्रा–

[2सरे शुक्रवार के अता० प्र० सं०–58 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बुन्देलखण्ड के प्राथमिक विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति की मांग

161–डा० अरूण कुमार मेहरोत्रा–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देल-खण्ड में कितने प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं, जिनमें एक ही शिक्षक कार्यरत हैं ? तथा कितने प्राथमिक विद्यालयों में इस बुनियादी पाठ्यक्रम का अध्यापन अप्रशिक्षित शिक्षा-मित्रों द्वारा किया जा रहा है ? क्या सरकार उक्त प्राथमिक विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

बुन्देलखण्ड के जनपद बांदा में 50 एवं हमीरपुर में 46 प्रा०वि० ऐसे हैं, जहां पर एक ही शिक्षक कार्यरत है । बुन्देलखण्ड के किसी भी प्राथमिक विद्यालय में अप्रशिक्षित शिक्षा-मित्रों द्वारा अध्यापन नहीं किया जा रहा है ।

बी०टी०सी० प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को उप[illegible] होने एवं शिक्षा-मित्रों के प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त एकल विद्यालयों में तैनाती की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ, तहसील मोहनलालगंज के क्षेत्र गोसाईगंज की रहमतनगर माइनर से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने सम्बन्धी कथित प्रकरण

162-श्री राम इकबाल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोसाईगंज क्षेत्र तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ की रहमतनगर माइनर की सफाई न होने के कारण माह दिसम्बर, 2002 में नहर कटने से ग्राम रहमत नगर तथा महमूदपुर के सैकड़ों किसानों के खेत पानी से भर गये हैं जिससे उनकी बोई हुई फसल जलमग्न हो जाने के कारण नष्ट हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर प्रभावित किसानों को मुआवजा देने व दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं ।

जी नहीं ।

रहमतनगर माइनर की सफाई न होने के कारण नहीं कटी, अपितु कि०मी० 1.95 पर दांयी पटरी काश्तकारों द्वारा काटी गयी थी ।

श्री असलदेव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (वर्तमान में इण्टर कालेज) पीपरपुर, सुल्तानपुर में सी० टी० ग्रेड के अल्पकालिक पद के स्वतः समाप्त होने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

163-श्रीमती शारदा देवी-

विधान सभा के तृतीय सत्र 1995 के पांचवें सोम हेतु निर्धारित मा० सदस्य श्री जमुना प्रसाद मिश्र द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं०-85 के उत्तर के संदर्भ में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री असलदेव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (वर्तमान में इण्टर कालेज) पीपरपुर, सुल्तानपुर में सी० टी० ग्रेड का अल्पकालिक पद जिस पर श्री शिवभूषण उपाध्याय की नियुक्ति हुई थी, स्वतः समाप्त हो गया है ? यदि हां, तो उक्त अनियमित नियुक्ति के संदर्भ में श्री तेजभान सिंह, मा० विधायक का पत्रांक-ख-521890 दिनांक 30-8-2000 तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह यादव-

जांच की जा रही है ।

जी हां ।

जांच की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया के दोहरी घाट सहायक परियोजना नहर के खराब पड़े पम्पों को ठीक कराने की मांग

164-श्री शारदा नन्द अंचल-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि दोहरी घाट सहायक परियोजना नहर, जिला बलिया के कितने पम्प चालू है और कितने खराब हैं ? क्या सरकार सभी खराब पम्पों को ठीक करवाकर नहर को पूरी क्षमता से चलाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

दोहरी घाट सहायक परियोजना नहर जिला बलिया में कुल 10 पम्प स्थापित है, जिसमें एक स्टैण्डबाई पम्प खराब है, शेष 9 पम्प चालू है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया में दोहरी घाट मुख्य नहर व उनके कतिपय माइनरों की सफाई हेतु व्यय धनराशि का विवरण

165–श्री शारदा नन्द अंचल–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 में बलिया जनपद में दोहरी घाट मुख्य नहर उसकी शाखाएं अवराई माइनर, अहिरौली माइनर, रामपुर माइनर और पिपरौल माइनर, तथा दोहरी घाट सहायक परियोजना नहर की सफाई हेतु कितना-कितना धन स्वीकृत किया गया था और कितना-कितना खर्च हुआ है ? क्या यह सही है कि इन नहरों की सफाई के नाम पर फर्जी भुगतान किया गया है ? क्या सरकार इसकी तकनीकी सेल से जांच करा कर कार्यों का सत्यापन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद बलिया में इन नहरों पर सफाई हेतु स्वीकृत धनराशि एवं व्यय का विवरण संलग्न है ।

जी नहीं ।

जी नहीं । कार्यों का सत्यापन अभियन्ताओं की टीम द्वारा किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[देखिये नत्थी 'ग' पृष्ठ 113 पर]

लखनऊ के "सिटी मान्टेसरी स्कूलों" द्वारा मनमानी फीस व डोनेशन के नाम पर धन उगाही का कथित प्रकरण

166–श्री विजेन्द्र सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में संचालित "सिटी मान्टेसरी स्कूलों" द्वारा विद्यार्थियों के अभिभावकों से मनमानी फीस तथा डोनेशन के नाम पर धन उगाही की जा रही है ? यदि हां, तो उक्त की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती–

(क) शासनादेश दिनांक 2-12-1971 के अनुसार सिटी माण्टेसरी स्कूल संस्थान, लखनऊ द्वारा संचालित प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूलों के छात्रों से शुल्क लिया जा रहा है ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ की सूचनानुसार मनमानी फीस तथा डोनेशन के नाम पर धन उगाही की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर के नलकूप खण्ड में व्यापक भ्रष्टाचार की जांच विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

167–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का रजि० पत्र दि० 30-8-02 जो जनपद शाहजहांपुर के नलकूप खण्ड में व्यापक भ्रष्टाचार की जांच कराने के सम्बन्ध में था, अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप खण्ड, बरेली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

उक्त पत्र का संज्ञान लेते हुए मा० सदस्य के शिकायती-पत्र संख्या–क–2–198202 /दिनांक 20-2-2000 एवं पत्र संख्या–क–1–174415, दिनांक 2-7-2002 व प्रश्न में संदर्भित पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच मुख्य अभियन्ता (नलकूप–मध्य), उ० प्र० लखनऊ द्वारा पूर्ण कर ली गई है । जांच आख्या में शिकायतें प्रमाणित नहीं पायी गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन, क्षेत्र कालपी में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

168–डा० अरूण कुमार मेहरोत्रा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कालपी विधान सभा क्षेत्र (जनपद–जालौन) में अधिकांश कृषि भूमि पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं के अभाव में प्रतिवर्ष असिंचित रह जाती है ? यदि हां, तो क्या उक्त असिंचित क्षेत्रों में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु राजकीय नलकूपों की स्थापना करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

शासन की वर्तमान नीति के अनुसार नये राजकीय नलकूपों का निर्माण पूर्ण रूपेण प्रतिबन्धित है । अतः नवीन राजकीय नलकूपों की स्थापना किया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद बस्ती की मनोरमा नदी में जल कुम्भी सफाई की व्यवस्था

169–श्री राम करन आर्य–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद की मनोरमा नदी मखोडा से लालगंज तक जलकुम्भी से भर गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नदी की सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

मनोरमा नदी में जलकुम्भी सफाई की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती की बाल्टरगंज चीनी मिल को अनुदान हेतु दी गई धनराशि से किये गये कार्यों की जानकारी

170–श्री राम करन आर्य–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चीनी मिल बाल्टरगंज, बस्ती को शासन द्वारा पिछले 10 वर्षों में किस-किस मद में कितनी धनराशि अनुदान के रूप में दी गयी ? क्या अनुदान की धनराशि का उसी मद में प्रयोग किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती प्रेमलता कटियार–

पिछले 10 वर्षों में वाल्टरगंज चीनी मिल को वर्ष 1997-98 में रु० 2 लाख व वर्ष 1999-2000 में रु० 2 लाख (कुल रुपया–4 लाख) का अनुदान केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत किया गया । यह अनुदान एम०एच०ए०टी० (म्वायस्ट हाट एयर ट्रीटमेंट प्लान्ट) की स्थापना करने के बाद दिया गया है ।

जी हां । अनुदान की धनराशि का उपयोग उसी मद में किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में संस्कृत महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्यों को न्यूनतम मासिक पेंशन सम्बन्धी जानकारी

171–श्री संजय गर्ग–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संस्कृत महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्यों को न्यूनतम कितनी मासिक पेंशन अनुमन्य है ? क्या यह सही है कि विधा धर्म बधनी संस्कृत पाठशाला, बभनान, बस्ती के पूर्व प्रधानाचार्य को मात्र चवालिस रुपये प्रतिमाह पेंशन स्वीकृत की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह यादव–

प्रदेश में संस्कृत महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्यों को न्यूनतम पेंशन का प्राविधान नहीं है ।

नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के विषय-विशेषज्ञों के विनियमितीकरण का कथित प्रकरण और धर्म बधनी संस्कृत पाठशाला, बभनान बस्ती के पूर्व प्रधानाचार्य को स्वीकृत पेंशन

172–डा० अरुण कुमार मेहरोत्रा–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत विषय-विशेषज्ञों का विनियमितीकरण करने की कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विषय विशेषज्ञ राज्य कर्मचारी नहीं हैं । विषय विहोषज्ञ को नियत मानदेय प्रतिमाह 5000/- की दर से एक शैक्षिक सत्र में 10 माह के लिए आबद्ध किया जाता है । अधिकतम तीन शैक्षिक सत्र तक कार्य लिया जाता है ।

जनपद देवरिया के बाढ़ खण्ड में श्री नरेन्द्र कुमार यादव के पक्ष में अनुबन्ध के अनुसार अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता द्वारा धनराशि भुगतान कराये जाने सम्बन्धी जानकारी

173–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि वर्ष 1998-99 में गण्डक बाढ़ मण्डल गोरखपुर के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, देवरिया में श्री नरेन्द्र कुमार यादव, निवासी हर्रा की चुंगी, जनपद आजमगढ़ द्वारा अनुबन्ध के अनुसार बोल्डर, बल्ली, झांवाँ की आपूर्ति जिसकी लागत 12,28,520 रुपये होती है, की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उसका भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्ष 1998-99 में गण्डक बाढ़ मण्डल गोरखपुर के अन्तर्गत बाढ़ खण्ड, देवरिया में श्री नरेन्द्र कुमार यादव, निवासी हर्रा की चुंगी, जनपद–आजमगढ़ के पक्ष में अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता द्वारा रु० 13,44,450.00 का तीन अनुबन्ध एक कायदिश स्टोन, बोल्डर, ब्रिक बल्ली, खाली बोरी, रस्सा की आपूर्ति हेतु निर्गत किया गया था ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत कार्य टी०ए०सी० जांच में संदिग्ध पाये गये हैं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद मुजफ्फरनगर में माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी अध्यापकों के वेतन का भुगतान कराये जाने की मांग

174–श्री चितरंजन स्वरूप–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद–मुजफ्फरनगर में माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी कक्षाओं के अध्यापकों को माह जनवरी व फरवरी, वर्ष 2001 के वेतन का भुगतान किया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त वेतन का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती–

जनपद मुजफ्फरनगर के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी (बालक) के अध्यापकों का माह जनवरी व फरवरी, 2001 का वेतन भुगतान कर दिया गया है । सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी बालिका विद्यालयों के अध्यापकों का माह जनवरी व फरवरी, 2001 का वेतन भुगतान नहीं किया गया है । भुगतान हेतु अपेक्षित प्रस्ताव निदेशालय से प्राप्त किये जाने की कार्यवाही गतिमान है ।

पूर्व मुख्य अभियन्ता शारदा सहायक द्वारा कम्प्यूटर क्रय करने सम्बन्धी कथित प्रकरण

175–श्री संजय गर्ग–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 2000 में पूर्व मुख्य अभियन्ता, शारदा सहायक आर० डी० सिंह द्वारा शासन की बिना अनुमति के क्रय किये गये कम्प्यूटरों का रु० 48 लाख का नियम विरुद्ध अग्रिम भुगतान किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कानपुर नगर के ब्लाक विधूना के भैरमपुर माइनर की कुलाबा की ध्वस्त नाली का निर्माण

176–श्रीमती अरुणा तोमर–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद कानपुर नगर के ब्लाक विधूना अन्तर्गत भैरमपुर माइनर की कुलाबा नम्बर 5 की 300 मीटर लम्बी नाली ध्वस्त हो जाने से जुलाई, 2000 से सिंचाई कार्य ठप्प है ? यदि हां, तो उक्त नाली को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान में उक्त कुलाबा से सिंचाई हो रही है । कुलाबा नं०–5 पक्का है, जिसकी ईंटें कुछ स्थानों पर उखड़ गयी हैं, इसका रख-रखाव कृषकों द्वारा स्वयं किया जाता है ।

जनपद रामपुर क्षेत्र शाहाबाद के ग्राम तालकपुर पीलाखार नदी के कटान को रोकने के उपाय की जानकारी

177–श्री काशीराम–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा क्षेत्र शाहाबाद, जनपद रामपुर के ग्राम तालकपुर, पो० ब्लाक चमरखा में ग्राम से होकर बहने वाली नदी से कटान हो रहा है , जिससे किसानों की जमीनों के साथ-साथ सारे रास्ते भी कट रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार कटान के रोकने हेतु बन्धा बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत ग्राम तालकपुर पीलाखार नदी के दायें तट पर स्थित है । यह गांव नदी से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है । नदी द्वारा ग्राम के समीप कृषि भूमि का कोई विशिष्ट कटान नहीं हो रहा है । प्रश्नगत गांव को रामपुर नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाला सम्पर्क मार्ग नदी द्वारा लगभग 250 मीटर लम्बाई में क्षतिग्रस्त हुआ है, जो रामपुर नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्मित पुल से मात्र 300 मीटर की दूरी पर स्थित है । पुल एवं राष्ट्रीय राजमार्ग की बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व सिंचाई विभाग का नहीं है ।

ग्राम की बाढ़ से सुरक्षा हेतु 7.24 कि०मी० लम्बा तालकपुर दरियागढ़ तटबंध पूर्व में निर्मित है एवं इसी के साथ 4 सं० बोल्डर डैम्पनर भी कटाव रोकने हेतु बने हुये हैं । इस नदी के इसी स्थल के बायें तट पर 4 कि०मी० लम्बा संकरा-मंकरा तटबंध निर्मित है ।

जनपद फिरोजबाद क्षेत्र टूण्डला में रजवाहे व माइनर की सफाई पर विगत दो वर्षों में व्यय धनराशि का विवरण

178–श्री मोहन देव शंखवार–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र टूण्डला में कितनी माइनर एवं रजवाहे हैं ? क्या उन रजवाहों की सफाई विगत दो वर्षों में करायी गयी है ? यदि हां, तो उनकी सफाई में कितनी धनराशि व्यय की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र टूण्डला में 11 माइनर एवं 5 रजवहे है । वर्ष 2000–01 में फिरोजाबाद, बरहन, पिलखतरा राजवहे की आंशिक रूप से तथा रजावली, बछगांव, आतीपुर, पवाड़ी, महमूदाबाद, कोटकी, हजरतपुर माइनर एवं बोर्रा राजबहा की पूर्ण रूप से सिल्ट सफाई करायी गयी तथा वर्ष 2001–2002 में भी बरहन तथा पिलखतरा राजबहा एवं रजावली माइनर की आंशिक रूप से तथा बछगांव, आतीपुर, पवाड़ी, महमूदाबाद, कोटकी व हजरतपुर की सिल्ट सफाई पूर्ण रूप से करायी गयी है ।

रजबहा एवं रजावली माइनर की आंशिक रूप से तथा बछगांव, आतीपुर, पवाड़ी, महमूदाबाद, कोटकी व हजरतपुर की सिल्ट सपाई पूर्ण रूप से करायी गयी है ।

वर्ष 2000–2001 में विभागीय मद से रु० 4.10 लाख तथा वर्ष 2001–02 विभागीय मद से रु० 3.53 लाख व विधायक निधि से रु० 9.87 लाख का व्यय किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विधायक निधि से विधायकों से पैसा मांगे जाने सम्बन्धी नियम 311 की सूचना को सर्वप्रथम लिए जाने की मांग

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी' के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

(सदन प्रारम्भ होते ही विपक्षी सदस्यों ने जोर-जोर से नारे लगाने शुरू कर दिए)

(घोर व्यवधान के मध्य)

* श्री राम बिशुन आजाद–

मान्यवर, वह कैसेट दिखाया जाय.....

(व्यवधान के मध्य)

नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खां)–

अधिष्ठाता महोदय, मुझे यह कहने में कष्ट महसूस हो रहा है, 5-10 मिनट की बात थी, जो मुझे कहनी थी और आपने आपत्ति इस पर की थी, आपकी पीठ से इस बात के लिए आपत्ति हुई थी कि प्रश्नकाल का समय बड़ा कीमती है और इसे मैं अपनी बात रखकर खराब न करूं, यह मंशा थी आपकी, कहा नहीं था आपने मैंने 11.00 बजे खड़े होकर आग्रह किया था कि मुझे यह बताने दिया जाय कि किस तरह मुख्य मंत्री सुश्री मायावती ने जनता के पैसे को .....

श्री अधिष्ठाता–

यह नियम–56 में ले लिया गया है ।

(व्यवधान जारी)

श्री मोहम्मद आजम खां–

यह बात कहने के लिए मुझे 5-10 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता अब 12.23 हो रहे हैं, एक घण्टे 13 मिनट तक के लिए सदन उठा दिया गया, अगर इस समय में इस बात पर बहस हो जाती ...

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करता हूं कि यह नियम-56 में ले लिया गया है । मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं । बिना अनुमति के बोल रहे हैं, आपको बोलना नहीं चाहिए ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री मोहम्मद आज़म खां–

जनता की गाढ़ी कमाई का जो पैसा विकास कार्य के लिए इस्तेमाल होना चाहिए उसका किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है । जो घूसखोर न हो, जो चोर न हो, यह सर्टीफिकेट जारी करने का अधिकार केवल अपने दल के सदस्यों और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को हो सकता है ....

(व्यवधान जारी)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं फिर 20 मिनट के लिए सदन स्थगित करता हूं ।

(व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने 12 बजकर 24 मिनट पर सदन की कार्यवाही 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी।)

(12 बजकर 44 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव'हरीश जी' के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

(श्री अधिष्ठाता के पीठासीन होते ही विपक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, नियम–311 में हमने नोटिस दी है ।

(विपक्ष के अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर पुनः व्यवधान)

* श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, यह सबसे महत्वपूर्ण मामला है पहले इसे ले लें । यह प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण मामला है । यह विधायकों के सम्मान का मामला है, विधायकों की प्रतिष्ठा का मामला है इसलिए इसको पहले ले लें । माननीय मुख्य मंत्री जी ने विधायकों को कमीशनखोर कहा है । मुख्य मंत्री जी ने विधायकों का सम्मान मिट्टी में मिला दिया है ।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, हमने भी नियम–311 में सूचना दी थी उसको पहले ले लिया जाये । यह विधायकों के सम्मान से जुड़ा हुआ प्रश्न है ।

(व्यवधान के मध्य)

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 04 मार्च, 2003 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम–301 के अन्तर्गत कुल 16 सूचनायें प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए शलाका के आधार पर निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गयीं :–

पहली सूचना श्री कमाल यूसुफ मलिक की है, दूसरी सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की है, तीसरी सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की है, चौथी सूचना श्री राम गोविन्द चौधरी की है, पांचवीं सूचना श्री उमाशंकर कुशवाहा की है, छठी सूचना श्री संजय गर्ग की है और सातवीं सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी की है । यह सूचनायें स्वीकार की गयी हैं ।

प्रतीक्षा सूची में दो माननीय सदस्यों की सूचनाएं रखी गयी हैं । इसमें से पहली सूचना श्री प्रागी लाल अहिरवार की है और दूसरी सूचना श्री बीजू पटनायक की है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार हुई हैं वे हैं :–

श्री शारदानन्द अंचल, श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना, श्री बंशीधर राज, श्री शमीमुल हक, श्री कोविद कुमार सिंह, डा० सियाराम सागर और श्री विशम्भर प्रसाद निषाद ।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील मुख्यालय डुमरियागंज में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना किये जाने विषयक नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

1–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

[मान्यवर, जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत डुमरियागंज तहसील मुख्यालय पर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना के संबंध में सादर अनुरोध है कि यह प्रकरण उ० प्र० शासन में लम्बित है । आम जनता को सस्ता न्याय पाने के लिए डुमरियागंज से 50 कि०मी० दूर सिद्धार्थनगर और बस्ती के न्यायालयों में जाना पड़ता है । डुमरियागंज मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना के लिए सभी शर्तों को पूरा कर रहा है और जनपद न्यायाधीश महोदय ने भी अपनी आख्या उक्त न्यायालय खोलने हेतु माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को भेजी थी जिसकी संस्तुति भी शासन में आ गयी है । अतः आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश से अनुरोध है कि व्यापक जनहित के इस प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए इसी वित्तीय वर्ष में न्यायालय की स्थापना/सृजन का आदेश निर्गत करने का कष्ट करें । इस कार्य के लिए हम माननीय अध्यक्ष का तथा माननीय सदन का आभारी हूंगा ।]

जनपद आजमगढ़ के मेंहनगर क्षेत्रान्तर्गत कुवा गतवां, भुवालपुर मार्ग के बीच में लोनी नदी पर पुल निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

2–श्रीमती विद्या चौधरी–

[मान्यवर, जनपद आजमगढ़ में कुवा गतवां, भुवालपुर मार्ग के बीच में लोनी नदी पर पुल का निर्माण न होने से ग्रामीण जनता को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । दूर-दराज से आने-जाने में काफी समय बर्बाद होता है । आस-पास क्षेत्र की बालक-बालिकाओं को नदी पार करते समय अनेकों बार दुर्घटनाएं घटित होती रहती है । बरसात के दिनों में अत्यधिक कठिनाई होती है । अतः आपसे आग्रह है कि इस लोकमहत्व की अविलम्बनीय मांग को देखते हुए सदन में चर्चा कराने तथा कुवा गतवां भुवालपुर मार्ग के बीच में लोनी नदी पर पुल निर्माण तत्काल कराने का आदेश पारित किया जाए ।]

जनपद हरदोई के थानों/कोतवाली में थानाध्यक्षों का आरक्षण कोटा पूरा करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

3–श्री विश्राम सिंह यादव–

[मान्यवर, वर्तमान सरकार की वर्तमान आरक्षण नीति के तहत प्रत्येक जनपद में थाना प्रभारियों में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक व सामान्य वर्ग का कोटा निर्धारित किया गया है परन्तु इसी विधान सभा के पिछले सत्र में प्रश्न काल के दौरान सरकार की तरफ से उत्तर दिया गया था कि पिछड़े वर्ग के उपयुक्त व्यक्ति न मिलने से आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया जा सका और यह कोटा पिछड़े वर्ग का अभी भी पूरा नहीं किया गया जिससे पिछड़े वर्ग में काफी असंतोष पैदा हो गया है । अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर हरदोई जनपद के 24 थानों/कोतवाली के थाना प्रभारियों में पिछड़े वर्ग का कोटा वर्तमान आरक्षण नीति के तहत पूरा करने की मांग करता हूं ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद खीरी के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, ओयल में प्रभारी चिकित्सक के भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

4–श्री राम गोविन्द चौधरी–

[महोदय, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, ओयल, जनपद–लखीमपुर खीरी के प्रभारी चिकित्सक डा० विभा दीक्षित पर वहां की जनता एवं पत्रकारों ने गम्भीर भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के आरोप लगाये और उनकी जांच भी की गयी है। परन्तु अभी तक इनके खिलाफ न तो प्रशासनिक कार्यवाही हुई न तो अभी तक उनको दण्ड ही दिया गया, जबकि जांच अधिकारी ने अपनी आख्या में इन्हें दोषी करार दे दिया है। यही नहीं एक पत्रकार ने उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ पुलिस में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराया है। नायब तहसीलदार ने भी दोषी करार दे दिया है। बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ-साथ सभी पार्टियों के नेता कार्यकर्ता ने भी इनके खिलाफ सरकार एवं शासन से इन्हें कठोर दण्ड देने की मांग की है। चिकित्सा प्रभारी इससे चिढ़कर जनता से अवैध धन वसूली प्रताड़ना तथा मरीजों से पैसा लेना, इन्हें पैसा न देने पर भगा देना कार्य रह गया है। इनके कार्यों से जनता के मन में इनके प्रति क्षोभ, भय एवं आतंक भी उत्पन्न हो गया है। अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय पर माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं तथा मांग करता हूं कि इनके खिलाफ तत्काल कठोर कार्वाही कर इन्हें निलम्बित कर अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाए।]

जनपद गाजीपुर में रसूलपुर हबीबुल्ला के पास मगई नदी पर स्वीकृत पुल का निर्माण शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

5–श्री उमाशंकर कुशवाहा–

[महोदय अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में नोनहरा अकाबलपुर मार्ग पर रसूलपुर हबीबुल्ला के पास मगई नदी पर पुल निर्माण हेतु विभाग द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है परन्तु निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है जिससे आम जनता को काफी परेशानी होती है। अतः आपसे अनुरोध के साथ इस लोकहित के महत्वपूर्ण कार्य पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।]

महिला कल्याण निदेशालय में व्याप्त अनियमितताओं की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

6–श्री संजय गर्ग–

[मान्यवर, मैं इस सदन का ध्यान महिला कल्याण निदेशालय में व्याप्त अनियमितताओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। एक तरफ शासन अपव्ययों को रोकने के लिए लगातार प्रयत्नशील है, वहीं दूसरी ओर महिला कल्याण निदेशालय में संचालित महिला मूल्यांकन योजना जो लगभग मृत प्रायः है, तथा जिसके अन्तर्गत कार्यरत दो कनिष्ठ सहकारी (अराजपत्रित) जिन्होंने वर्ष 1991 से कोई कार्य नहीं किया है , लेकिन उन्हें निरन्तर वेतन आदि का भुगतान किया जा रहा है। पूर्व वर्षों की आडिट रिपोर्ट में भी वेतन भत्तों पर व्यय की गयी धनराशि को अपव्यय बताया गया है। अतः सरकारी खजाने से वेतन प्राप्त करने वाले इन कार्मियों द्वारा कोई सरकारी कार्य न करने तथा इस अपव्यय के संबंध में इन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही न करने संबंधी इस लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बलिया के सिकन्दरपुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मार्गों की मरम्मत कराने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

7-श्री जियाउद्दीन रिज़वी-

[महोदय आपके माध्यम से माननीय सदन का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर, जनपद-बलिया , मनियर मार्ग-सिकन्दरपुर-देवकली मार्ग, हडसड़-डहां मार्ग, बघुड़ी-बेलसडी, देवकली मार्ग, मनियर-सुल्तानपुर मार्ग, जिगीसड़-बड़ा गरांव मार्ग, विशनपुरा-ककरघट्टा मार्ग, माल्दा से बिहरा मार्ग, सिकीया से डकौनगंज-बड़ा गांव से मनियर मार्ग नगरा मार्ग से रामपुर कटराई, पन्दह से नन्नहुल लखनापुर मार्ग, लखनापार से ईसार सिया पट्टी सिसोटाररिंग बन्धा से लिलकरपुर मार्ग की हालत अत्यन्त खराब है पिचें टूट गयी हैं लम्बे समय से मरम्मत न होने के कारण सड़कों पर गड्ढे हो गये हैं बद से बदत्तर हालत में हो चुके हैं । लेकिन मरम्मत पूरी होने तक का धन स्वीकृत नहीं हो पाया है क्षेत्र में बहुत से गांव सड़कों से वंचित हैं । लोक निर्माण विभाग जब तक विशेष ध्यान नहीं देगा तब तक सड़क की व्यवस्था में सुधार सम्भव नहीं है । अतः इस लोक महत्व के प्रकरण को माननीय सदन के संज्ञान में लाते हुए अविलम्ब सामाधान की मांग करता हूं ।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता-

आज नियम-300 के अन्तर्गत कुल चार सूचनाएं प्राप्त हुई । इसमें पहली सूचना कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री अशोक बाजपेयी तथा श्री अम्बिका चौधरी जी की विधान सभा की समितियों के कार्यशील न होने के सम्बन्ध में है । मैं कुंवर रेवती रमण सिंह जी का नाम पुकार रहा हूं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह जी नहीं बोल रहे हैं मैं श्री अशोक बाजपेई का नाम पुकार रहा हूं ।

श्री अशोक बाजपेई जी भी नहीं बोल रहे हैं मैं श्री अम्बिका चौधरी जी का नाम पुकार रहा हूं ।

(किसी सदस्य के न बोलने पर)

मैं इन सारी सूचनाओं को निरस्त कर रहा हूं ।

लखनऊ महानगर को सुअरों के आतंक से मुक्त कराने विषयक श्रीमती ऊषा किरन गुप्ता निवासीगण जनपद लखनऊ आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री विद्या सागर गुप्ता-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से लखनऊ महानगर को सुअरों के आतंक से मुक्त कराने विषयक श्रीमती ऊषा किरन गुप्ता तथा श्री रूप चन्द्र अग्रवाल निवासीगण जनपद लखनऊ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

विधायक निधि से विधायकों से पैसा मांगें जाने सम्बन्धी नियम 311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग (क्रमागत)

* श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, कुमारी मायावती जी ने विधायकों और सांसदों से कमीशन लेने की बात कहीं है । आप भी इस सदन के सदस्य हैं आप भी इससे अग्छूते नहीं है । यह आप पर भी आरोप है । आप अपनी स्थिति स्पष्ट कर दें कि क्या आप कुंवारी मायावती को कमीशन देंगे । मान्यवर, अगर आपकी विश्वसनीयता जनता के बीच समाप्त हो गयी है तो कैसे सीट पर बैठ पायेंगे । अगर आपको जनता ने कमीशनखोर कह दिया तो क्या होगा । इसलिए आप इस सदन की मर्यादा के लिए इसे पहले ले लें । इस पर चर्चा करायें ताकि स्थिति साफ हो सके । मायावती ने जो नाम लिया है उसमें आपको भी माफ नहीं किया है ।

नोटः-† छापी नहीं गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी द्वारा खड़े होकर बोलने पर)

मान्यवर, मंत्रीगण को छोड़ दीजिये, यह तो [xxx] हैं। लेकिन आप [xxx] नहीं है। मायावती जी को यह अधिकार नहीं है कि वह इस तरह की बात करें।

(व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, यह मंत्री [xxx] हैं। यह मंत्री [xxx] खाते हैं। अधिष्ठाता जी आप [xxx] नहीं हैं।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशों विषयक-प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति की दिनांक 28 फरवरी, 2003 एवं 3 मार्च, 2003 को हुयी बैठकों में सदन के दिनांक 4 मार्च से 7 मार्च तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिशें की हैं :–

विधायक निधि से विधायकों से पैसा मांगे जाने सम्बन्धी नियम 311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग (क्रमागत)

नेता विरोधी दल (श्री मो० आज़म खां)-

मान्यवर, 11 बजे से हम एक ही बात को लेकर जिद्द सी कर रहे हैं नियम 311 के अन्तर्गत चर्चा के लिए।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है। यही कहा है कि नियम-56 में ले लिया जायेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, विधायकों की निधि से कमीशन दिए जाने का मामला है।

(घोर व्यवधान)

(इसी बीच श्री लाल जी वर्मा अपने स्थान पर खड़े हो गये तथा डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी जी भी अपने स्थान पर खड़े हो गये। इस पर श्री अम्बिका चौधरी, प्रो० किरण पाल सिंह, श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद सहित कई सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

श्री अधिष्ठाता–

आप पीठ के आदेशों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं ?

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशों विषयक प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता–

मैं कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशें पढ़ रहा हूं। यह पूरे सदन के लिए उपयोगी हैं। कृपया उन्हें सुनने का कष्ट करें।

दिनांक (मंगलवार) 4 मार्च, 2003–

1–श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

2–5.00 बजे अपराह्न वित्तीय वर्ष 2002–2003 के अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतिकरण।

3–निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :–

(क) उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2003

[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(ख) उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2003

(ग) उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2003

(घ) उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2003

(बुधवार) 5 मार्च, 2003–श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।

2–5.00 बजे अपराह्न (1) वित्तीय वर्ष 2002–2003 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

(2) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण –

(क) उत्तर प्रदेश व्यापार-कर (संशोधन) विधेयक, 2003

(ख) उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2003 ।

(गुरुवार) 6 मार्च, 2003–श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।

2– 3.00 बजे अपराह्न (1) वित्तीय वर्ष 2003-2004 के अन्तरिम आय-व्ययक का प्रस्तुतिकरण ।

(2) वित्तीय वर्ष 2003-2004 के एक भाग के लिए लेखानुदान का प्रस्तुतिकरण ।

(3) वित्तीय वर्ष 2003-2004 के एक भाग के लिए लेखानुदान के प्रस्ताव पर विचार, मांगों पर मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक, का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

(शुक्रवार) 7 मार्च, 2003–1–श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।

2–असरकारी कार्य ।

(2) उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 3 मार्च, 2003 को हुई बैठक में यह सिफारिश की है कि चूंकि श्री मो० आजम खां, श्री शिवपाल सिंह यादव, श्री प्रमोद कुमार, श्री राम नरेश यादव तथा श्री जगदम्बिका पाल सदस्यगण, विधान सभा जिन्होंने मा० अध्यक्ष, विधान सभा को उनके पद से हटाये जाने के संबंध में अभिसूचित अपने संकल्प को वापस लिये जाने विषयक सूचना दिनांक 3 मार्च, 2003 को दे दी है, अतः सदन के पूर्व निश्चयानुसार तत्संबंधी मद दिनांक 4 मार्च, 2003 की विधान सभा की कार्य-सूची में सम्मिलित न की जाये और प्रश्नगत प्रकरण को समाप्त माना जाये ।

माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी ।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्य-मंत्रणा विषयक संबंधी सिफारिश जिसकी सूचना माननीय अधिष्ठाता जी ने सदन को दी है से सदन सहमत है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य-मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(व्यवधान के मध्य)

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिए विधान सभा के एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव

* कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा–10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के एक सदस्य का निर्वाचन करें ?

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष माहेदंय आदेश दें, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा–10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के एक सदस्य का निर्वाचन करें "

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारी नियम–311 में सूचना है, मान्यवर, सबसे पहले उसे सुन लीजिए ।

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिए विधान सभा के एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव

कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा–10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के एक सदस्य का निर्वाचन करें । "

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा–10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के एक सदस्य का निर्वाचन करें ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मोदीपुरम् मेरठ के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मोदीपुरम् मेरठ के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा–10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें ।"

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मोदीपुरम् मेरठ के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा–10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(व्यवधान)

विधायक निधि से विधायकों से पैसा मांगे जाने सम्बन्धी नियम–311 की सूचना को सर्वप्रथम लिए जाने की मांग (क्रमागत)

* श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इस प्रदेश की मुखिया यानी मालिकिन के कंगन में, हार में सब जगह हीरे चमकते हैं, उनके कंगन में छः करोड़ के हीरे चमकते हैं।

(व्यवधान)

श्रीमन्, इतने महत्वपूर्ण विषय पर, मैंने इस प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय को वह सबूत पेश कर दिया है। मान्यवर, इन सबूतों को, इससे सम्बन्धित सारी जानकारी को इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से देखा जा रहा है, आपने भी मान्यवर, देखा होगा, श्रीमन्, मैं दो बातें कहना चाहता हूं ...

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2003†

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से "उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं"।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :– दिनांक 27 मार्च, 2003 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 4 मार्च, 2003 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 21 सूचनाएं प्राप्त हुई । जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गई । प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा । शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है । पहली श्री परमेश्वर दयाल तथा श्री राम किशुन की सूचना "पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल के जनपदों मिर्जापुर, सोनभद्र एवं चन्दौली में बढ़ रही नक्सली गतिविधियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । दूसरी श्री मो० आजम खां, श्री राम गोविन्द चौधरी, कुंवर रेवती रमण सिंह, डा० अशोक बाजपेई, श्री अम्बिका चौधरी, श्री ओम प्रकाश, श्री ओम प्रकाश गाजीपुर, श्री प्रमोद कुमार तथा श्री जगदम्बिका पाल की सूचना "विधायक निधि से विधायकों से पैसा मांगने के सम्बन्ध में" है । मैं पहली सूचना को पहले ले रहा हूं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, पहले नम्बर–2 की सूचना में नेता विरोधी दल को सुन लिया जाय ।

श्री परमेश्वर दयाल–

मान्यवर, पहले नम्बर–2 की सूचना ले ली जाय, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

एक सुझाव आया है कि नम्बर–2 की सूचना को पहले ले लिया जाय इसलिए पहले नम्बर–2 की सूचना ले रहा हूं ।

नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खां)–

अधिष्ठाता महोदय, जो गम्भीर मामला इस सदन के सामने है, उसके लिए जरूरी यह था कि नेता सदन, जो इस प्रदेश की मुख्य मंत्री भी हैं, उन्हें सदन में होना चाहिए था । अभी ठीक साढ़े ग्यारह बजे उनकी प्रेस कांफ्रेंस हुई है और उस प्रेस कांफ्रेंस में मुख्य मंत्री ने उन आरोपों का जवाब दिया है, जो आरोप एक वीडियो सीडी के एक कैसेट के द्वारा समाजवादी पार्टी की ओर से साक्ष्य के तौर पर राज्यपाल महोदय को दिये गये हैं । उसमें यह दिखाया और सुनाया गया है कि प्रदेश की मुख्य मंत्री सुश्री मायावती ने यह कह कर कि कोई विधायक और कोई सांसद ईमानदार नहीं है और कोई ऐसा नहीं है कि जो सांसद और विधायक निधि में कमीशन न लेता हो । यह हो सकता है कि तहलका कैसेट के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उसूली तौर पर नाजायज कमाई और कमीशन खोरी को बढ़ावा दिया है ।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

नेता प्रतिपक्ष ने सदन के सामने प्रेस कान्फ्रेंस का जो संदर्भ लिया है और उन्होंने यह कहा कि मुख्य मंत्री ने यह कहा है, इसका उनके पास क्या प्रमाण है ? जो इन्होंने आरोपित किया है, उसका क्या आधार है, क्या साक्ष्य है ? इसलिये अनर्गल बात कहना यहां ठीक नहीं है । यह कहना, सभी विधायक और माननीय सांसद बेईमान और चोर होते हैं, इस तरह की बात सदन में रखने का आधार क्या है ? इस तरह की अनर्गल बात नहीं कहनी चाहिये । क्या साक्ष्य दे सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष ?

(सत्ता पक्ष की ओर से सदस्यों द्वारा बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया शान्त रहिये ।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

अधिष्ठाता महोदय, मुख्य मंत्री जो कि अपनी पार्टी की नेता भी हैं, उन्हें पूरा अधिकार हासिल है...

(इस बीच सत्ता पक्ष के अनेक सदस्य खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया)

(इसके बाद विपक्ष के अनेक सदस्य भी खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया)

(सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा यह नारे लगाये गये)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, यह कौन सा माहौल बना रहे हैं ? इन लोगों को इस बात का डर है कि जिसने यह कैसेट दिया है, उसका नाम खुल जायेगा हम इनके मन का दर्द जानते हैं। यह डरे हुए हैं कि कहीं भेद न खुल जाये। लेकिन हम इन्हें बता दें कि हम भेद नहीं खोलेंगे। अधिष्ठाता महोदय, इनको शान्त कराइये।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोगों को भी अवसर मिलेगा, तब बोल लीजियेगा।

(व्यवधान जारी)

पहले नेता प्रतिपक्ष को अपना पक्ष रखने दीजिए फिर जो बोलना हो बोल लीजिए।

चिकित्सा शिक्षा, (होम्योपैथिक चिकित्सा एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा को छोड़कर) मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हाजी याकूब)–

नेता प्रतिपक्ष गलत बयानी कर रहे हैं।

(व्यवधान जारी)

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, ऐसा नहीं है कि जो भी सदस्य जैसा चाहे-बोल ले इसके लिए नियम कानून बने हैं। उस आधार पर किसी के ऊपर आरोप लगाया जाना चाहिए। मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति देने की कृपा करें।

श्री हाजी याकूब–

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष मेरी दाढ़ी की तरफ इशारा कर रहे हैं।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान जारी)

श्री अधिष्ठाता–

सदन में जो विषय उठा उसकी ग्राह्यता पर नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रख रहे हैं। यहां ऐसी बातें न कहीं जाएं जिससे उत्तेजना वगैरह फैले।

(व्यवधान जारी)

श्री अधिष्ठाता–

ग्राह्यता पर ही बोलें।

(सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर व्यवधान)

* श्री हाजी याकूब–

मान्यवर, यह मजहबी मामला है । यह मेरी दाढ़ी पर इशारा करके बोल रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

जो बातें आपत्तिजनक होंगी वह कार्यवाही से निकाल दी जायेंगी । आप शान्त रहें और उनको बोलने दीजिए ।

(घोर व्यवधान)

श्री मोहम्मद आज़म खां–

मान्यवर, आप सदन व्यवस्थित करायें । इन्हें खामोश करायें । बहुत गम्भीर मामला है । इतने गम्भीर मामले पर सत्ता पक्ष का यह रवैया होगा । बी०एस०पी० का यह आचरण होगा । इन्हें तो सदन से बाहर कर देना चाहिए ।

श्री हाजी याकूब–

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष को सदन में माफी मांगनी चाहिए । यह मेरा मज़हबी मामला था । यह मेरी दाढ़ी की तरफ इशारा करके बोल रहे थे । यह सदन की गरिमा नहीं जानते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने कह दिया है कि जो कार्यवाही में अनुचित होगा, आपत्तिजनक होगा वह निकाल दिया जायेगा । सदन में उत्तेजित न होइये । दूसरी बात यह है कि औचित्य और ग्राह्यता पर ही बोलें । नेता प्रतिपक्ष भी इस बात को ध्यान रख कर बोलें ताकि कोई उत्तेजना न पैदा हो । शांत रहें । इस तरह बोलते रहेंगे तो सुनाई नहीं देगा ।

(व्यवधान)

श्री हाजी याकूब–

नेता प्रतिपक्ष को सदन में माफी मांगनी चाहिए । सदन किसी के मजहब का अपमान करने का कोई हक नहीं देता है । इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने से पहले माफी मांगनी चाहिए ।

(व्यवधान)

(समय 1 बजकर 20 मिनट)

श्री अधिष्ठाता–

सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है ।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने 1 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही आधे घंटे तक के लिए स्थगित कर दी । 1 बजकर 50 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ''हरीश जी'' के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

टेप प्रकरण पर कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर व्यवस्था का प्रश्न

चिकित्सा शिक्षा, होम्योपैथिक चिकित्सा एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा को छोड़कर मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(विपक्ष के कई सदस्य खड़े होकर बोलने लगे)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग बैठें, माननीय लालजी वर्मा का व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं, जो प्रश्न अभी आया है, उस पर मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, आप उ० प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम–58 (3) को देखें, इसमें है कि "प्रस्ताव हाल में ही घटित किसी निर्दिष्ट विषय पर निर्बद्ध रहेगा" । मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि यह घटना कब की है जिसका माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जिक्र किया है और ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं ?

(व्यवधान के मध्य)

श्री किरन पाल सिंह–

विषय तो आया ही नहीं है । .....

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं उ० प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम–289 (क) की तरफ भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

(घोर व्यवधान)

नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, आपके फैसले पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता । .....

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, उ० प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन निरमावली के नियम–289–क की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । इसमें किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाने के सम्बन्ध में प्रक्रिया दी हुई है । "किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जायेगा, जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष की तथा सम्बन्धित मंत्री को पूर्व सूचना न दे दी हो जिसमें मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिए विषय की जांच कर सकें । परन्तु अध्यक्ष किसी भी समय सदस्य को ऐसा आरोप लगाने से प्रतिषिद्ध कर सकेंगे यदि उनकी राय हो कि ऐसा आरोप सदन की गरिमा के विरुद्ध है या ऐसा आरोप लगाने से कोई लोकहित सिद्ध नहीं होता" । मान्यवर, जो विषय माननीय नेता प्रतिपक्ष ने उठाया है यह कार्य स्थगन की सीमा में आता ही नहीं है इसलिए यह कार्य स्थगन में पूरी तरह से निरस्त करने योग्य है ।

(घोर व्यवधान जारी)

श्री अधिष्ठाता–

व्यवस्था का प्रश्न है, सुन लीजिए ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, पूरा विपक्ष शान्तिपूर्वक आपके अनुसार आपकी अनुज्ञा से अपनी बात रखना चाहता है

(घोर व्यवधान जारी)

मान्यवर, यह जबरदस्ती नहीं होगी । आप इंगित करें । यह आपके निर्देशों की अवहेलना है । इस तरह से आप कैसे सदन को चलायेंगे । आपने कुंवर रेवती रमण सिंह को आमंत्रित किया और उधर से पांच लोग खड़े हो गये । आपकी अनुमति से जो खड़ा है उसको बैठाने का काम दूसरे लोगों का नहीं है । उनकी बात आ जाय तो ही वह अपनी बात रखें ।

(व्यवधान)

मान्यवर, यह आपकी मर्यादा का ध्यान रखें ।

मुद्रण एवं लेखन सामग्री राज्य मंत्री (श्री अमर मणि त्रिपाठी)-

वर्मा जी ने एक प्रश्न उठाया है पहले आप उस पर अपनी व्यवस्था दे दें ।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आपने अनुमति दी है तभी यह बोलने के लिए खड़े हैं ।

(विपक्ष की तरफ से नारे लगने लगे प्रत्युत्तर सत्ता पक्ष की ओर से भी नारे लगने लगे)

श्री अधिष्ठाता–

जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है उस पर माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं, उन्हें कहने दीजिये । वर्मा जी का कहना यह है कि इसमें तात्कालिकता नहीं है यह 2001 का वीडियो टेप है इसलिए यह निरस्त करने योग्य है ।

श्री अमर मणि त्रिपाठी–

मान्यवर, जब एक व्यवस्था का प्रश्न आ गया है तो पहले आप उस पर अपनी व्यवस्था दें । उसके बाद कुंवर रेवती रमण सिंह जी बोलें ।

श्री अधिष्ठाता–

पहले आप कुंवर रेवती रमण सिंह जी को सुन लें ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अमर मणि त्रिपाठी–

मान्यवर, आप ग्राह्यता पर सुन रहे हैं । मान्यवर, लाल जी वर्मा ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है । आपकी पीठ से उस पर व्यवस्था आने के उपरान्त ही किसी अन्य सदस्य को बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए । जो प्रश्न उठाया गया है मान्यवर, उसे आपने गम्भीरता से सुना है, वह विधिसम्मत प्रश्न है । आपकी पीठ से व्यवस्था के उपरान्त ही किसी माननीय सदस्य को सुनना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

उनकी बात केवल सुनेंगे । अब संसदीय कार्य-मंत्री जी बोलेंगे ।

श्री अमर मणि–

आपकी पीठ ने गम्भीरता से सुना है । मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

जो व्यवस्था का प्रश्न माननीय लालजी वर्मा ने उठाया है उसमें तत्कालिकता नहीं है इस नाते सुनने योग्य नहीं है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, दूसरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि सदन में

(उनकी बात पूरी होने से पहले ही कई सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो कर बोलने लगे । इससे उनकी बात पूरी नहीं हो सकी ।)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, पहले रेवती रमण सिंह जी को सुनें फिर दूसरे को ।

[x x x]

(व्यवधान जारी)

(श्री मोहम्मद आजम खां, कुंवर रेवती रमण सिंह सहित कई सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गये ।)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, [x x x] आप सदन के अधिष्ठाता हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शांत रहें ।

श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, क्या व्यवस्था के प्रश्न के ऊपर व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाएगा ?

श्री अमरमणि त्रिपाठी–

मान्यवर, अंताक्षरी नहीं हो रही है । माननीय लालजी वर्मा ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उस पर अभी आपकी व्यवस्था नहीं मिली है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, अगर [x x x] हम आपकी शक्ति का अहसास आपको दिलाना चाहते हैं । हम आपको आपकी शक्तियों का स्मरण कराना चाहते हैं । मान्यवर, [x x x]

(इसी बीच श्री सुखदेव राजभर कुछ बोलने के लिए खड़े हो गये ।)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यगण कोई ऐसी बात न कहें जिनसे सदन का वातावरण उत्तेजनापूर्ण बने ।

श्री अम्बिका चौधरी–

ठीक है, मान्यवर ।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अधिष्ठाता–

जो व्यवस्था का प्रश्न था उसमें तात्कालिकता नहीं है । इस नाते यह निरस्त करने लायक है । कुं० रेवती रमण सिंह जी अब आप बोलिए ।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि हमारे लालजी वर्मा जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आरोप या चार्ज लगाया जाता है तो उसके लिए नियमावली में व्यवस्था है । नियमावली के नियम–289 क में व्यवस्था का एक सवाल उठाया है, पहले उस पर आप निर्णय दे दें फिर उसके बाद आप रेवती रमण जी को सुनें ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस सदन की परम्परा रही है नियम–56 में....

(श्री अमरमणि के खड़े होने पर व्यवधान)

मान्यवर, आज तक 30 साल से इस सदन का सम्मानित सदस्य रहने का मुझे भी मौका मिला । मान्यवर, आज तक मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा कि नियम–56 जब पीठ से इंकार हो जाय, उसमें ग्राह्यता पर बोलने के लिए स्वीकार हो जाय उसके बाद मान्यवर, इस तरह का आचरण सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं, यह जो ऐसी परम्परा बन रही है उसमें माननीय लालजी टण्डन जी भागीदार हैं कि किसी की बात सुनी न जाय....

(व्यवधान)

चिकित्सा, शिक्षा, होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा को छोड़कर मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

मान्यवर, आप नियम–289 को देख लें ।

कुं० रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, जब आपने सूचना को अस्वीकार कर दिया और जब आपने नेता विरोधी दल को बुलवाया और माननीय नेता जी ने जब प्रारम्भ किया तो एक माननीय मंत्री जी खड़े हो गए और नियम का हवाला देने लगे । जब उन्होंने इस सूचना को स्वीकार किया है तो इस बात को सोच कर स्वीकार किया है कि यह ग्राह्यता पर स्वीकार करने योग्य है । यह जो विद्वान लोग बैठे हैं वह आप को अपनी बात कहने नहीं दे रहे हैं । नेता प्रतिपक्ष ने मान्यवर, कोई आक्षेप नहीं लगाया, नेता प्रतिपक्ष ने कोई बात नहीं कही । (हाजी याकूब जी के खड़े होने पर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

अल्प संख्यक कल्याण एवं हज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हाजी याकूब–

मान्यवर, इन्होंने मेरे मजहब का अपमान किया है, पहले यह माफी मांगें ।

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, यह मजहब को तो जानते ही नहीं हैं और बात करते हैं मजहब की ।

(व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हों...

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, यह क्या हो रहा है ..?

मान्यवर, आपकी इजाजत से वरिष्ठतम् सदस्य कुंवर रेवती रमण सिंह जी बोल रहे हैं, यह जो सदन में व्यवधान हो रहा है, उसको आप नियंत्रित करें।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें मुद्दा यह उठ गया है कि विधान सभा में जो वह बात उठाई जा रही है तो यह वीडियो कैसेट कब का है ? इस प्रश्न का उत्तर आप दे दें तो अच्छा होता। इसकी तात्कालिकता क्या है ? इस पर आप बोलें तो ज्यादा अच्छा होता, यह वह जानना चाहते हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, सत्ता पक्ष को आप यह कह दीजिए कि यह गम्भीर बात है, पूरे प्रदेश, पूरे देश में लोगों ने इसे टेलीविजन पर एक बार नहीं अनेक बार देखा है और जैसी कि सूचना है लोकसभा में इस पर चर्चा स्वीकार कर ली गयी है। (विपक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट) यह माननीय लालजी वर्मा जी ने जो प्रश्न उठाया है कि इसकी तात्कालिकता क्या है तो जब आप पूरी बता सुनेंगे उसके बाद ही फैसला दें।

श्री अधिष्ठाता–

आप ही जवाब दे दें।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

कल टी० वी० पर लोगों ने देखा, कानों से सुना। मान्यवर, आज तक इतना गम्भीर आरोप हमारी विधायिका पर किसी ने नहीं लगाया था यह आरोप लगाया गया है कि विधायक लोग 10–परसेन्ट–20 परसेन्ट, 20–20 लाख रुपये क्षेत्रीय विधायक निधि से कमीशन लेते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आप प्रश्न तो करें।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं वही जानना चाहता हूं। यह आरोप केवल विपक्ष पर नहीं था, सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी पर आरोप लगा है। माननीय सांसदों पर आरोप लगाया गया है। उसका सबूत हम लोगों ने राज्यपाल महोदय को दिया है वह तात्कालिक घटना है उस घटना पर विधान सभा में चर्चा नहीं होगी ? तो कहां होगी ?इससे विधायिका की मर्यादा नहीं रह जायेगी, इस विधान सभा का औचित्य नहीं रहेगा।

श्री अधिष्ठाता–

यह टेप कब का है ?

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, यह घटना तात्कालिक है, कल की घटना है। उसकी तात्कालिकता यह है कि यह घटना कल की है।

मुद्रण एवं लेखन सामग्री राज्य मंत्री (श्री अमर मणि)–

मान्यवर, सदन में एक झूठा टेप दिखाकर, चरित्र हनन का प्रयास किया गया है। मान्यवर, इस पर चर्चा होगी, सदन में यह जो चर्चा होने का प्रयास किया जा रहा है।

मान्यवर, यह सदन की परम्परा रही है कि वह कभी चर्चा के लिए अखबार या टेप का संज्ञान नहीं लेता है किसी पिक्चर का संज्ञान नहीं लेता है । मान्यवर, इस तरह से सदन का बहुमूल्य समय व्यर्थ किया जा रहा है आगे और भी कार्य सूची में सब्जैक्ट्स हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, इस विषय पर जिन लोगों ने नोटिस दी है मैं निवेदन करूंगा कि सबकी बात सुनकर फिर आगे कार्यवाही करें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आपने बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

वह टेप कैसेट कब का है, यह किस समय का टेप कैसेट है ?

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मुझे सिर्फ यह कहना है कि नेता विरोधी दल को आपने सुनने की अनुमति प्रदान की है । आप प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के पृष्ठ 24 को देखने का कष्ट करें, नियम 56 में 58 देख लें । कार्य-स्थगन प्रस्ताव निम्नलिखित निर्बन्धनों के अधीन ग्राह्य होगा–पहला एक ही उपवेशन में एक से अधिक प्रस्ताव नहीं किये जायेंगे तो इससे पहले कोई प्रस्ताव नहीं आया है इसलिए यह शर्त पूरी करता है । आप 56 को 58 से ही तो संचालित करेंगे । मान्यवर, दूसरा देख लें, एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं होगी तो इनका विषय भी एक ही है । तीसरा है कि प्रस्ताव हाल में ही घटित किसी निर्दिष्ट विषय तक निर्बद्ध रहेगा तो जो यह घटना है कल से चल रही है और आज तक चल रही है । अब मान्यवर, चौथे पर आ जाइये । प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जायेगा तो नेता विरोधी दल विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठा रहे हैं और पांचवां है कि प्रस्ताव द्वारा किसी ऐसे विषय पर पुनः चर्चा नहीं हो सकेगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो तो इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हुई है । छठा है कि प्रस्ताव में कोई ऐसा विषय नहीं लाया जा सकेगा जो पहले से सदन के विचारार्थ निर्धारित किया जा चुका हो, किन्तु इस प्रस्ताव को अग्राह्य करने के सम्बन्ध में अध्यक्ष इस बात को ध्यान में रखेंगे कि प्रत्याशित विषय पर चर्चा उचित समय के भीतर सदन के समक्ष आने की सम्भावना है तो यह भी पूरा करता है और सातवां है कि प्रस्ताव का विषय ऐसा नहीं होगा कि जिस पर कोई संकल्प प्रस्तुत न किया जा सके ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आपकी बात आ गयी है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आप तो विद्वान हैं इसलिए ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है । मान्यवर, नियम 58 की ये सारी शर्तें पूरी होती हैं । अगर नेता विरोधी दल बोलते वक्त नियम 58 में उल्लिखित इन उपबन्धों के विपरीत जायें तो आपको अधिकार है आप कहें कि नियम 56 में इसके विपरीत जा रहे हैं । उसमें बताना पड़ेगा कि जो आप बोल रहे हैं वह इसमें नहीं आता है तो जब इसके विपरीत जायें तो आप कहें कि नियम का उल्लंघन कर रहे हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

जिस नियम 58 के प्रस्ताव की बात आपने कही है उसका तीसरा देखें । तीसरे में प्रश्न है कि प्रस्ताव हाल में ही घटित किसी निर्दिष्ट विषय तक निर्बद्ध रहेगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

आपने मान्यवर, सही चीज पकड़ी है ।

श्री अधिष्ठाता–

यह वीडियो कैसेट कब का है ? यह तात्कालिक नहीं है इस पर चर्चा नहीं हो सकती ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मैं आपका जवाब दे रहा हूं । माननीय नेता विरोधी दल जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं वह कल से चल रही है और आज भी चल रही है, तात्कालिक है । अब आप और हम चलते हैं और चलने के बाद देखते हैं टेलीविजन । इस वक्त भी बार-बार चर्चा आ रही है । जो मैंने औचित्य का प्रश्न दिया है उस औचित्यि के प्रश्न को आपने स्वीकार करके इसके साथ सम्बद्ध किया है तो तात्कालिकता की कोई आवश्यकता नहीं है । औचित्य का प्रश्न तो उसी समयँ उठाया जा सकता है ।

श्री अधिष्ठाता–

नियम 58 में स्पष्ट है कि तात्कालिकता का प्रश्न आयेगा अब वर्षों पुरानी कोई चीज आज नहीं उठेगी । मैं आप से पूछ रहा हूं कि यह वीडियो कैसेट कब का है ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, नेता विरोधी दल कह रहे हैं कि कल परसों का है । आपके पास क्या आधार है कि कल परसों का नहीं है ?

(व्यवधान)

[समय 2 बजकर 20 मिनट]

(घोर व्यवधान के मध्य)

मेरा औचित्य का प्रश्न है । मुझे आप यह बता दीजिये कि किस आधार पर आप इसे निरस्त करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

आप यही बात नहीं स्पष्ट कर पा रहे हैं कि यह वीडियो कैसेट कब का है ?

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

जिस चीज को सदन के संज्ञान में लाया जा रहा है, जिस चीज को कार्य-स्थगन के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है और तात्कालिक बताया जा रहा है, वह कहीं से सिद्ध नहीं हो पा रहा है कि यह मसला तात्कालिक है । यह सीधे मुख्य मंत्री पर आरोप है । इनका आरोप देख लें, इसमें केवल आरोप दिखाया गया है इसमें कोई तात्कालिकता प्रदर्शित नहीं होती है । 13वीं विधान सभा की बात 14वीं विधान सभा में रखी जा रही है । इनके नोटिस की भाषा देखिये पूरी तरह से आरोप लगाया गया है । यदि आरोप ही लगाना है तो नियमों के अन्दर लगाना चाहिए, यह नियम–56 में बिल्कुल ग्राह्य नहीं है । यह अविलम्बनीय लोकहित का मामला नहीं है, इन्होंने सीधे मुख्य मंत्री पर आरोप लगाया है, जो कि इस सदन की नेता हैं । 13वीं विधान सभा की बात 14वीं विधान सभा में लायी जा रही है, उस

समय यह मुख्य मंत्री नहीं थीं केवल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थीं । इसलिए यह नियम–56 में ग्राह्य नहीं है, क्योंकि यह तात्कालिक नहीं है । यह केवल आरोप है, इसको निरस्त होना चाहिए । वीडियो कैसेट के माध्यम से जो आरोप यह लगा रहे हैं उसका कोई आधार नहीं है, इसलिए यह नियम–56 में ग्राह्य नहीं है इसे निरस्त होना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

यह वर्ष 2001 का मसला है, काफी समय बीत चुका है, इसमें कोई तात्कालिकता नहीं है, यह लोक महत्व का नहीं है, इसलिए मैं इस सूचना को अग्राह्य एवं निरस्त करता हूं तथा मैं सदन को 20 मिनट के लिए स्थगित करता हूं ।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने 2 बजकर 25 मिनट पर सदन की कार्यवाही 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी ।

2 बजकर 45 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 3 बजकर 15 मिनट तक बढ़ा दिया है ।

3 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठाता श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी' के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं तब से उठा रहा हूं, पहले मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिये । मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपकी पीठ सर्वोच्च पीठ है । उस पर विराजमान होने वाले व्यक्ति की गरिमा भी बहुत बड़ी होती है । श्रीमन्, हम लोगों को उस समय कष्ट होता है, चाहे पक्ष के माननीय सदस्य हों या विपक्ष के माननीय सदस्य हों, चाहे बात सही हो या गलत हो, यह तो निर्णय बाद में होगा । लेकिन इस आसन की गरिमा, इसकी परम्परा, इसके महत्व को समझते हुए, सदन इस बात का जरूर विश्वास चाहती है कि पीठ से ऐसी कोई बात न हो जिससे सदन की गरिमा धूमिल हो जाये । आपकी कार्यवाही और आपकी व्यवस्था को हमने देखा ।

माननीय सदस्यों ने नियम–311 में सूचना दी और आपने उसको उठाने के लिए अनुमति दी और नाम भी पढ़े कि किसके-किसके नाम नियम–56 में है । नेता विरोधी दल ने अपनी बात कहना शुरू किया । किसी भी संसदीय परम्परा में चाहे लोक सभा हो ऐसा सुनने को नहीं मिला कि आपके बोलने की अनुमति देने के बाद किसी माननीय सदस्य के गलत व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर दे करके उसे आप निरस्त कर दें । लालजी वर्मा जी ने जो बात उठायी कि तात्कालिक नहीं है तो आज ही अखबारों की मेन हेडिंग में आया है । कल ही राज्यपाल महोदय के यहां यह बात आयी । इससे महत्वपूर्ण और तात्कालिक घटना कोई हो ही नहीं सकती । पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों की गरिमा से जुड़ा हुआ प्रश्न है । इसलिए आप अपनी पुरानी व्यवस्था पर पुनर्विचार कर नियम–56 में दी हुई सूचना को सुने, यही व्यवस्था चाहता हूं ।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री प्रमोद कुमार–

अधिष्ठाता महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

*डा० अशोक बाजपेयी–

अधिष्ठाता महोदय, आपकी अनुज्ञा से एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाह रहा हूं। नियम–311 पर जो सूचना दी थी....

श्री अधिष्ठाता–

इस विषय पर कोई बात मत करिये, इस पर विनिश्चय हो चुका है।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, आपके विनिश्चय पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। मैंने पहले व्यवस्था का प्रश्न उठाया था लेकिन आपने उस समय नहीं सुना। मैं इसमें नये तथ्य आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। कृपया सुन लें। अधिष्ठाता महोदय, जैसे ही 11.00 बजे सदन आहूत हुआ उसी समय माननीय नेता प्रतिपक्ष और कतिपय सदस्यों ने नियम–311 की सूचना दी। आपने दो बार सदन लगातार स्थगित किया। 12.20 पर दोबारा सदन बैठा तो उस समय आपने नियम 311 की सूचना को नियम–56 में परिवर्तित कर दिया। कुछ माननीय सदस्यों ने नियम–300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाया लेकिन उसे भी आपने नियम–56 के अन्तर्गत स्वीकार किया और नियम–56 पर सुनना प्रारम्भ किया।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर विनिश्चय हो चुका है। अब समाप्त करिये।

डा० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, सूचना तात्कालिक है, अभी 3 दिन पहले इस पार्टी के विधान मण्डल दल की बैठक हुई थी। इस विधान मण्डल दल की बैठक में प्रदेश की मुख्य मंत्री ने जो घोषणा की, निर्देश दिये उसी के आधार पर सूचना दी। (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर शोर/व्यवधान) तीन दिन पहले की घटना का टेप है, उसे कहा जा रहा है कि वर्ष 2001 का है। मान्यवर, 3 दिन पुरानी घटना है। यह विषय तात्कालिक है। अगर यह विषय तात्कालिक नहीं है तो कार्यसूची में नियम–56 का कोई मतलब नहीं रह जाता है। प्रदेश में सार्वजनिक जीवन में काम करने वालों पर आक्षेप लगा है। हम सारे लोग जो सार्वजनिक जीवन से लम्बे समय से जुड़े हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि 5 परसेंट 10परसेंट कमीशन विधायक निधि से लें तो यह पूरे सदन का अपमान है इससे विधायकों की गरिमा गिरी है। आप भी मान्यवर, विधान सभा के सदस्य हैं। यह सारे लोगों पर आक्षेप है। स्थिति यह हो गयी है कि जब यह सदन उठेगा और हम क्षेत्र में जायेंगे तो प्रदेश की जनता पूछेगी। प्रदेश का मुख्य मंत्री खुले आम धन की बात कर रहा है .....

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, औचित्य का प्रश्न है।

डा० अशोक बाजपेयी–

[xxx]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता-

यह नहीं लिखा जायगा । आप क्यों इसमें समय लगा रहे हैं । जो कार्यवाही नियम-56 की है वह पहले मैं ले चुका है और उस पर विनिश्चय हो चुका है । अब आगे चलने दीजिये ।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं इस विषय पर नहीं कह रहा हूं ।

डा० अशोक बाजपेयी-

[xxx]

श्री अधिष्ठाता-

मैंने कहा कि यह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा, आप समय न लगायें ।

श्री सुखदेव राजभर-

अधिष्ठाता महोदय, आपने नियम-311, नियम-56 का संकलन कर दिया है और विनिश्चय कर दिया है । उसके बाद बाजपेयी जी ने अनधिकृत रूप से अपनी बात कही । उसको आप कार्यवाही से निकलवा दें । आपके विनिश्चय के बाद आपके विनिश्चय का आदर करना चाहिए । उसके बाद इस पर चर्चा की जरूरत नहीं है । बाजपेयी जी अनधिकृत रूप से बोले हैं और आपके विनिश्चय के बाद बोले हैं तो मान्यवर, इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

डा० अशोक बाजपेयी-

आपने पहले कहा था कि यह मामला नियम-56 में सुना जायगा । उसके बाद माननीय लालजी वर्मा ने व्यवस्था का प्रश्न उठाकर सदन को अव्यवस्थित किया । मैंने सदन को कहां अव्यवस्थित किया है ?

श्री अधिष्ठाता-

इस पर विनिश्चय हो चुका है । अब इस पर कोई चर्चा नहीं होगी ।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मेरा औचित्य का प्रश्न सुन लें ।

डा० अशोक बाजपेयी-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि कार्यवाही में क्या नहीं लिखा जायगा । आपने कोई निर्देश दिया है कि लिखा नहीं जायगा तो क्या नहीं लिखा जायगा ?

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मेरा इस विषय से कोई मतलब नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता-

आप किस विषय पर बोलना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार-

मैं इस विषय पर आ रहा हूं । नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न क्या है ?

नोटः- [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अधिष्ठाता–

इस पर विनिश्चय हो चुका है । यह निरस्त हो चुका है ।

(व्यवधान जारी)

श्री प्रमोद कुमार–

आपने किस अधिकार के तहत औचित्य के प्रश्न को परिवर्तित किया है ।

श्री अधिष्ठाता–

मुझे लिखित दे दीजिये विचार कर लिया जाएगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

[xxx]

श्री अधिष्ठाता–

यह लिखा नहीं जाएगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं । जो बात कही गयी है कि सदस्य लोग पांच लाख 10 लाख कमाते हैं । ईमानदार पांच लाख कमाता है, 10 लाख बेईमान कमाता है और यह कहना कि [xxx] इससे ज्यादा घृणित बात क्या हो सकती है । यह जो हिस्से की बात हो रही है ।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, जो यह कहा गया है कि [xxx] इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाए ।

श्री अधिष्ठाता–

जिस विषय का विनिश्चय हो चुका है उसको मत उठाइये ।

हाजी याकूब–

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष ने मेरी दाढ़ी का अपमान किया है । इन्होंने हमारे मजहब का अपमान किया है । यह जब तक माफी नहीं मागेंगे मैं विरोध करता रहूंगा । यह मेरे मजहब का मामला है । इन्होंने मेरे मजहब का अपमान किया है ।

(व्यवधान जारी)

श्री अधिष्ठाता–

जो आपत्तिजनक बात होगी उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा ।

(घोर व्यवधान)

ऐसी स्थिति में जब सदन में शान्ति न हो, क्या सत्तापक्ष क्या है विपक्ष किसी की बात कुछ नहीं सुनी जा रही हो । ऐसे में जितना मैंने सुना उतना सुनकर एक विनिश्चय दे दिया कि यदि कुछ आपत्तिजनक बात कार्यवाही में होगी तो उसको निकाल दिया जायेगा । आपको घबराना नहीं चाहिए । अगर कोई आपत्तिजनक बात, जैसा संकेत किया जा रहा है, मैंने पहले ही कहा कि उसको कार्यवाही से

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

निकाल दिया जायेगा । आपस में मित्र हैं । एक दूसरे की बात का समाधान करने को यह चेयर है । कार्यवाही पुस्तिका है, उसको देखकर मैं निकाल दूंगा । किसी के मुंह से किसी को लगने वाली बात निकली हो तो उसको मैं कार्यवाही से निकाल दूंगा । नेता प्रतिपक्ष आप अपनी बात कहें लेकिन जिस पर विनिश्चय हो गया, उस पर मत बोलिएगा ।

(व्यवधान)

श्री हाजी याकूब–

मान्यवर, मुस्लिम धर्म का अपमान किया है । मैं मुस्लिमों की रहनुमाई करता हूं । मान्यवर, मेरे दिल का ठेस पहुंची है । प्रतिपक्ष के नेता पीठ के सामने माफी मांगें ।

श्री अधिष्ठाता–

नेता प्रतिपक्ष, इस सदन को चलवाने में आपका भी सहयोग होना चाहिए । कोई ऐसी बात निकल गयी जिससे सदन में उत्तेजना है । इस विषय को न लेकर और जो आप कहना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको अवसर दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

नेता विरोधी दल (श्री मोहम्द आजम खां)–

मान्यवर, सदन को व्यवस्थित करवायें । यह आपकी जिम्मेदारी है । सदन को व्यवस्थित करना आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है ।

श्री अधिष्ठाता–

यह मैं सुबह से देख रहा हूं कि सदन में इस तरह का शोरगुल दोनों तरफ से चल रहा है ।

(विपक्ष के सदस्य जोर-जोर से बोलने लगे)

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां–

नहीं मान्यवर, ऐसा नहीं है इधर से कोई शोर नहीं हुआ ।

(श्री उदयराज सिंह यादव, श्री राम विशुन आजाद, श्रीमती शारदा देवी एवं श्री राम लाल अकेला आदि सदस्य नेता विरोधी दल के आसन से कुछ आगे बढ़ने लगे और जोर-जोर से बोलने लगे किन्तु श्री अम्बिका चौधरी के प्रयास से अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये ।)

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

ऐसी स्थिति न पैदा हो कि कोई कुछ सुन न पावे ।

श्री अम्बिका चौधरी–

आपने कार्यस्थगन के प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति दी । नेता प्रतिपक्ष को सुना जाना चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता विरोधी दल बोलेंगे ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री मोहम्मद आजम खां–

अधिष्ठाता महोदय, नियम–311 के नोटिस को नियम–56 में परिवर्तित किया और आपकी पीठ से निर्देश हुए कि उसकी ग्राह्यता पर बोलें, दूसरे सारे मुद्दे खारिज कर दिये गये । आपने मुझे अनुमति दी उसके लिए मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं । मान्यवर, जिस मामले पर नोटिस थी उससे आप वाकिफ हो गये हैं । वह मामला कल रात में 12.00 बजे शुरू हुआ.....

(व्यवधान)

कल एक वीडियो कैसेट जिसमें इस प्रदेश की मुख्य मंत्री ने प्रदेश के विधायकों पर प्रदेश के सांसदों पर इल्जाम लगाया है, उन्होंने कहा है, कोई एक विधायक, कोई एक सांसद की बात नहीं है, इससे लोकतन्त्र की आस्था खत्म होने वाली है.....

(व्यवधान)

श्री हाजी याकूब–

यह मेरा मजहबी मामला है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मेरा कहना है मुख्य मंत्री इस सदन की नेता भी हैं और अपने दल की नेता हैं उन्हें अपने दल के विधयकों को, अपने दल के सदस्यों को कमीशनखोर कहना, उन्हें बेईमान कहना.....

(व्यवधान)

मान्यवर, मुख्य मंत्री ने आक्षेप लगाया है सभी सांसद और सभी विधायक कमीशन लेते हैं.....

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, यह शोर क्यों हो रहा है सदन को व्यविस्थत कराइये ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया बैठें । नेता प्रतिपक्ष आप बोलें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आप इस अव्यवस्था को मान्यता न दीजिये, आप इस व्यवस्था को मान्यता देंगे ? प्रदेश देख रहा है कि इस सदन के माध्यम से सरकार क्या चाहती है ?

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्य मंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं और सदन में शान्ति चाहिए, बहुत हो चुका । सबसे अनुरोध है, यदि नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, जो भी कहें, कृपया सुन लीजिये । निवेदन नेता प्रतिपक्ष से भी है, किस बात से उत्तेजना हो सकती है, अपनी बात को सही ढंग से ऐसे रखें कि आपकी बात बिना उत्तेजना के सुन ली जाए ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, नेता सदन जो कि मुख्य मंत्री भी हैं इस प्रदेश की और अपने दल की नेता भी हैं उन्हें पूरा अधिकार है वह अपने विधायकों को चोर कहें, रिश्वतखोर कहें.....

(सत्तापक्ष के सदस्य भी जोर-जोर से बोलने लगे)

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, हम सब लोग नेता प्रतिपक्ष हों या नेता सदन हों, सम्मान करते हैं.....

(सत्तापक्ष एवं विपक्ष के सदस्यों में नोंक-झोंक होने के कारण घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिए स्थगित की जाती है ।

(घोर व्यवधान उत्पन्न होने पर श्री अधिष्ठाता ने 3 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही आधे घण्टे तक के लिए स्थगित कर दी ।

4 बजकर 15 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया श्री अधिष्ठाता ने सदन का स्थगन 4 बजकर 25 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है ।

4 बजकर 25 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीशजी' के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री अधिष्ठाता–

नियम–56 में 21 सूचनायें प्राप्त हुई । जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गयी । प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा । शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है । पहली सूचना श्री परमेश्वर दयाल, श्री राम किशुन की पूर्वांचल एवं दक्षिणांचल के जनपदों मिर्जापुर, सोनभद्र एवं चंदौली में बढ़ रही नक्सली गतिविधियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, जब आपने स्थगन किया है तब मैं आपकी इजाजत से बोल रहा था ।

श्री अधिष्ठाता–

आगे की कार्यवाही चलने दीजिए ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मेरा अनुरोध है कि मेरा अनुरोध आप मान लें जब आपने सदन स्थगित किया....

श्री अधिष्ठाता–

विनिश्चय घोषित हो गया ।

दूसरी सूचना नियम–311 में श्री मो० आज़म खां, श्री राम गोविन्द चौधरी, कुं० रेवती रमण सिंह, डा० अशोक बाजपेयी, श्री अम्बिका चौधरी, श्री ओम प्रकाश, श्री प्रमोद कुमार, श्री जगदम्बिका पाल की विधायक निधि से विधायकों द्वारा पैसा मांगने के संबंध में है ।

तीसरी सूचना–श्री नरेश अग्रवाल, कुंवर रेवती रमण सिंह, डा०अशोक बाजपेयी की प्रदेश में तानाशाही एवं दमनात्मक रवैये से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

(व्यवधान)

(कई सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गये ।)

चौथी सूचना श्री उदय राज, श्री राम विशुन आजाद, श्री राम लाल अकेला की सरकार को समर्थन न देने के कारण प्रदेश के कुछ विधायकों को फर्जी मुकदमों में फंसाकर उत्पीड़न किये जाने के उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

(व्यवधान जारी रहा)

नेता प्रतिपक्ष में आपसे अनुरोध करता हूं कि कार्यवाही चलने दें।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, पहले नेता प्रतिपक्ष की बात तो पूरी हो जाने दीजिए। सम्भवतः यह सी०बी०आई० जांच कराना चाहते हों।

श्री अधिष्ठाता–

पांचवीं सूचना श्री अजीम भाई की प्रदेश सरकार द्वारा फर्जी चिकित्सकों के नाम पर पंजीकृत सूचीकृत वैद्यों/हकीम चिकित्सकों का उत्पीड़न करने के संबंध में है।

(श्री अधिष्ठाता के द्वारा बार-बार नाम पुकारे जाने पर उपरोक्त में से कोई भी सदस्य बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

चूंकि कोई माननीय सदस्य नहीं बोलना चाहते हैं, अतः मैं इनको निरस्त करता हूं।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं हुई हैं, अतः अस्वीकृत हुई।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद कुमार, श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल, चौधरी बृजेन्द्र सिंह, श्री अवधेश प्रसाद, श्री किरन पाल सिंह, श्री मदन चौहान, श्री जियाउद्दीन रिजवी, श्री चितरंजन स्वरूप, श्री राम किशुन, श्री दुर्गा प्रसाद यादव।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 28 फरवरी, 2003 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता हूं।"

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर....

(घोर व्यवधान)

[समय 4 बजकर 30 मिनट]

(घोर व्यवधान)

(विपक्ष के अनेक सदस्य सदन की वेल में आकर, अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा।)

श्री अधिष्ठाता–

यह चर्चा जारी रहेगी, हम सदन की कार्यवाही 4: 55 बजे तक के लिए स्थगित करते हैं ।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने 4 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही 4 बजकर 55 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी । 4.00 बजकर 55 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी' के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

(सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के सदस्यों द्वारा जोर-जोर से बोलते रहने पर सदन में निरन्तर व्यवधान बना रहा ।)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आज़म खां)–

अधिष्ठाता महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद है कि मेरे बोलते रहने पर कई बार आपने सदन का स्थगन किया है और मुझे अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया यह संसदीय परम्पराओं का हनन है । हमें बोलने का मौका मिलना चाहिए यह हमारा विपक्ष का अधिकार है । हमने नियम–311 में नोटिस दी थी उसको आपने नियम–56 में परिवर्तित किया । आपने देखा है कि विपक्ष ने सदन को चलाने में शालीनता को कायम ही नहीं रखा है बल्कि उसे आगे भी बढ़ाया है । आज आपने देखा है कि सदन में अव्यवस्था विपक्ष की वजह से नहीं बल्कि सत्ता पक्ष की वजह से रही है । लगभग पांच बजे तक यह सदन नहीं चल सका है ।

मान्यवर, मेरी नोटिस इस बात के लिए थी कि नेता सदन जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री हैं, पार्टी की मुखिया हैं उन्होंने संसदीय परम्पराओं पर, माननीय विधायकों, माननीय सांसदों पर टिप्पणी की है विधायक निधि, सांसद निधि से मिलने वाले पैसे के बारे में ।

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, मेरी बात सुन लें ।

(अनेक सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने लगे)

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशों विषयक प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं कार्य-मंत्रणा समिति का सिफारिश की सूचना दे रहा हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी आज दिनांक 4 मार्च, 2003 की बैठक में यह सिफारिश की है कि वित्तीय वर्ष 2003-2004 के एक भाग के लिए लेखानुदान पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार दिनांक 6 मार्च, 2003 के स्थान पर दिनांक 4 मार्च, 2003 को विधान सभा में अनुपूरक अनुदान की मांगों के प्रस्तुतिकरण के तुरन्त बाद प्रस्तुत किया जाए । तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2003-2004 के अन्तरिम आय-व्ययक का प्रस्तुतिकरण भी दिनांक 4 मार्च, 2003 को लेखानुदान के पूर्व होगा ।

नेता विरोधी दल (श्री मोहम्मद आज़म खां)–

मान्यवर, इस तरह से अव्यवस्था में सदन नहीं चलेगा मुख्य मंत्री के विरुद्ध [x x x] रिपोर्ट लिखी जानी चाहिये ।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्य, वस्त्रोउद्योग व रेशम उद्योग मंत्री (सुखदेव राजभर)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि –

"यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अधिष्ठाता द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।"

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य-मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(विपक्ष और सत्ता पक्ष के अनेक सदस्य नारे लगाते रहे)

(विपक्ष के सदस्य श्री अजीम भाई ने पोस्टर दिखाया)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों के विवरण का प्रस्तुतिकरण

* मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से वित्तीय वर्ष 2002-2003 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण प्रस्तुत करती हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रतियां बांट दी जायें।

(प्रातियां बांटी गयीं)

वित्तीय वर्ष 2003-2004 के अन्तरिम आय-व्ययक का प्रस्तुतिकरण

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से वित्तीय वर्ष 2003-2004 के अन्तरिम आय-व्ययक को प्रस्तुत करती हूं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रतियां बांट दी जायें।

(प्रातियां बांटी गयीं)

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं, वित्तीय वर्ष 2003-2004 का बजट, इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

यह मात्र अन्तरिम बजट है जिसमें केवल वचनबद्ध व्यय के अनुमान सम्मिलित किये गये हैं। इस समय सम्पूर्ण बजट इस कारण प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है क्योंकि प्रदेश की जनता की विकास की आशाओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप वार्षिक योजना 2003-2004 का आकार एवं स्वरूप अभी निर्धारित नहीं हो पाया है।

इस अन्तरिम बजट पर आधारित 6 महीने की अवधि का एक लेखानुदान भी भारत सरकार के संविधान के अनुच्छेद 206 के अधीन उल्लिखित प्राविधानों का उपयोग करते हुए प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके साथ एक श्वेत-पत्र भी प्रस्तुत है जिसमें इस सदन के माननीय सदस्यों के उपयोगार्थ आवश्यक सूचना का समावेश किया गया है।

मान्यवर, यह अनुमान लगाया गया हैं कि वित्तीय वर्ष 2003-2004 में कुल छप्पन हजार तीन सौ बासठ करोड चौहत्तर लाख रुपये (रु० 56362.74) करोड़ की प्राप्तियां होंगी जिसमें चौतीस हजार पांच सौ सोलह करोड़ चार लाख रुपये (रु० 34516.04 करोड़) की राजस्व प्राप्तियां, इक्कीस हजार एक सौ तिरसठ करोड़ आठ लाख रुपये (रु० 21163.08 करोड़) की लोक ऋणों से प्राप्तियां तथा छः सौ तिरासी करोड़ बासठ लाख (रु० 683.62 करोड़) की ऋणों और अग्रिमों की वसूलियों से होने वाली प्राप्तियां सम्मिलित हैं। राजस्व प्राप्तियों की चौतीस हजार पांच सौ सोलह करोड़ चार लाख रुपये (रु० 34516.04 करोड़) की राशि में राज्य के अपने कर राजस्व से चौदह हजार पांच सौ पन्द्रह करोड़ पांच लाख रुपये (रु० 14515.05 करोड़), केन्द्रीय करों में राज्यांश से बारह हजार दो सौ सात करोड़ चौबीस लाख रुपये (रु० 12207.24 करोड), करेत्तर राजस्व से एक हजार आठ सौ सैंतालिस करोड़ चौव्वन लाख रुपये (रु० 1847.54 करोड़) तथा भारत सरकार से सहायक अनुदान के रूप में पांच हजार नौ सौ छियालीस करोड़ इक्कीस लाख रुपये (रु० 5946.21 करोड़) के अनुमान सम्मिलित हैं। लोक ऋणों से इक्कीस हजार एक सौ तिरसठ करोड़ आठ लाख रुपये (रु० 21163.08 करोड़) की अनुमानित प्राप्तियों के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त चार हजार चार सौ अट्ठारह करोड़ सत्तासी लाख रुपये (रु० 4418.87 करोड़) तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त सोलह हजार सात सौ चवालिस करोड़ इक्कीस लाख रुपये (रु० 16744.21 करोड़) के ऋण सम्मिलित हैं।

बजट वर्ष में फिलहाल कुल अट्ठावन हजार पांच सौ तैंतालीस करोड़ अट्ठानबे लाख रुपये (रु० 58543.98 करोड़) का व्यय अनुमानित है जिसमें से दस हजार आठ सौ उनहत्तर करोड़ पचास लाख रुपये (रु० 10869.50 करोड़) का व्यय आयोजनागत पक्ष में तथा सैतालीस हजार छः सौ चौहत्तर करोड़ अड़तालिस लाख रुपये (रु० 47674.48 करोड़) का व्यय आयोजनेत्तर पक्ष में होगा। आयोजनेत्तर पक्ष के कुल सैंतालीस हजार छः सौ चौहत्तर करोड़ अड़तालीस लाख रु० व्यय (रु० 47674.48 करोड़) के व्यय में चौंतीस हजार चार सौ अट्ठासी करोड़ उन्नीस लाख रुपये (रु० 34488.19 करोड़) का व्यय राजस्व लेखे तथा तेरह हजार एक सौ छियासी करोड़ उन्तीस लाख रुपये 13186.29 करोड़) का व्यय पूंजी लेखे के अन्तर्गत अनुमानित है। पूंजी लेखे के व्यय के अनुमानों में कुल अठ्ठारह हजार तीन सौ इकतालीस करोड़ अड़सठ लाख रुपये (रु० 18341.68 करोड़) का व्यय निहित है, जिसमें ऋणों के प्रतिदान के लिये तेरह हजार एक सौ तीस करोड़ चौवालिस लाख रुपये (रु० 13130.44 करोड़) ऋणों और अग्रिमों के संवितरण के लिये छः सौ अस्सी करोड़ उन्तीस लाख रुपये (रु० 680.29 करोड़) एवं पूंजीगत परिव्यय के लिये चार हजार पांच सौ तीस करोड पिचानबे लाख रुपये (रु० 4530.95 करोड़) की राशियाँ सम्मिलित हैं।

इस प्रकार वर्ष 2003-2004 में राज्य की समेकित निधि में सम्प्रति कुल दो हजार एक सौ इक्यासी करोड़ चौबीस लाख रुपये (रु० 2181.24 करोड़) के घाटे का अनुमान है। लोक लेखे के अन्तर्गत तीन हजार चार सौ निन्यानबे करोड़ छब्बीस लाख रुपये (रु० 3499.26 करोड़ की अनुमानित शुद्ध प्राप्तियों

को सम्मिलित करने पर समस्त लेन-देनों का शुद्ध परिणाम एक हजार तीन सौ अट्ठारह करोड़ दो लाख रुपये (रु० 1318.82 करोड़ हो जाने की सम्भावना है ।

उपर्युक्त अनन्तिम अनुमानों के आधार पर बजट वर्ष का एक हजार दो सौ पैंतीस करोड़ अट्ठानबे लाख रुपये (रु० 1235.98 करोड़ का ऋणात्मक प्रारम्भिक शेष बयासी करोड़ चार लाख रुपये (रु० 82.04 करोड़) के अन्तिम शेष से समाप्त होने का अनुमान है । वित्तीय वर्ष 2003-2004 के अन्तिम शेष का वास्तविक अनुमान सम्पूर्ण बजट को अन्तिम रूप दिये जाने के उपरान्त उपलब्ध हो सकेगा ।

चूंकि यह अन्तरिम बजट ही है, अतः में इस चरण में माननीय सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहूंगी । माननीय सदस्यगण अपने विचार एवं सुझाव उस समय दे सकेंगे जब मैं माननीय सदन के समक्ष वर्ष 2003-2004 के लिये सम्पूर्ण बजट प्रस्तुत करूंगी । मेरा अनुरोध है माननीय सदन द्वारा इस अन्तरिम बजट को अनुमोदन प्रदान करते हुए लेखानुदान पारित किया जाय ।

मान्यवर, मैं वर्ष 2003-2004 का बजट प्रस्तुत करती हूं तथा 6 महीने की अवधि के लिये लेखानुदान भी प्रस्तुत करना चाहती हूं ।

वित्तीय वर्ष 2003–2004 के एक भाग के लिए लेखानुदान का प्रस्तुतिकरण

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)–

मान्यवर, मैं वित्तीय वर्ष 2003-2004 के एक भाग के लिए लेखानुदान प्रस्तुत करती हूँ । मैं आपकी आज्ञा से 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2003-2004 के माह अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तथा सितम्बर, 2003 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिए लेखानुदान का विवरण जो 04 मार्च, 2003 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1-7 में दिये हुए प्रत्येक विभाग या सेवा या खर्च की मद के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिए राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो 19661, 10,67,000 रुपये से अधिक न हो, का विवरण प्रस्तुत करती हूँ ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रतियाँ वितरित की जायं ।

(प्रतियां वितरित की गयीं ।)

उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2003

श्री अधिष्ठाता–

श्री राम गोविन्द चौधरी तथा श्री माता प्रसाद पाण्डेय कृपया अपना संशोधन रखें ?

(किसी सदस्य द्वारा संशोधन न रखने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन)विधेयक, 2003 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवम् रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2, अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) **विधेयक, 2003**

उत्तर प्रदेश विशेष परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2002 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम — 1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2002 की अनुसूची का संशोधन — 2–उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2002 की धारा 22 में विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जायगी, अर्थात् :–

अनुसूची

1–वायु (प्रदूषण, निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981

2–भारतीय बायलर अधिनियम, 1923

3–केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956

4–ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970

5–उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, 1952

6–उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999

7–कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952

8–कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

9–पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

10–कारखाना अधिनियम, 1948

11–औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

12–संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट सन्, 1947

13–उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964

14–उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1952

15–उत्तर प्रदेश व्यापार-कर ऐक्ट, 1948

16–व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926

17–जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974

18–जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977

श्री अधिष्ठाता–

खण्ड–2, अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री सुखदेव राजभर–

मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2003

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य राम गोविन्द चौधरी कृपया अपना संकल्प प्रस्तुत करें ।

(माननीय सदस्य द्वारा संकल्प न रखने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य राम गोविन्द चौधरी तथा श्री माता प्रसाद पाण्डेय अपना संशोधन रखें ।

(किसी सदस्य द्वारा संशोधन न रखने पर)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवम् रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से 5 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन)विधेयक, 2003

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायगा ।

(2) यह 2 नवम्बर, 2002 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997 की तृतीय अनुसूची में संशोधन

2–उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, तृतीय अनुसूची में, भाग (क) में,–

(क) शीर्षक शब्द में "पर्वतीय मार्गों और मैदानी मार्गों पर संचालित" के स्थान पर शब्द "उत्तर प्रदेश के भीतर अधिकारिता युक्त प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत परमिटों के अधीन चलाये जाने वाले" रख दिये जायेंगे ।

(ख) सारिणी में,–

(अ) अनुच्छेद एक और उसके सम्मुख की गयी प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी;

(ब) अनुच्छेद दो में,–

(एक) स्तम्भ 2 में दिये गये शब्द "मैदानी मार्ग" निकाल दिये जायेंगे;

(दो) क्रम संख्या (एक) के सम्मुख स्तम्भ 3 में दिये गये अंक "85.00" के स्थान पर अंक "100.00" रख दिये जायेंगे;

(तीन) क्रम संख्या (दो) के सम्मुख स्तम्भ 3 में दिये गये अंक "110.00" के स्थान पर अंक "130.00" रख दिये जायेंगे;

(ग) स्पष्टीकरण निकाल दिये जायेंगे ।

चतुर्थ अनुसूची में संशोधन

3–मूल अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची में;–

(क) अनुच्छेद एक में, खण्ड (क) में,–

(एक) क्रम संख्या 1, 2 और 3 और उनके सम्मुख दी गयी प्रविष्टियों को निकाल दिया जायेगा;

(दो) क्रम संख्या 4 के सम्मुख स्तम्भ 2 में दिये गये शब्द और अंक "7200 से अधिक किन्तु 9000 से अनधिक" के स्थान पर शब्द और अंक "9000 तक" रख दिये जायेंगे;

(ख) अनुच्छेद दो निकाल दिया जायेगा;

(ग) अनुच्छेद चार में, खण्ड (क) में,–

(एक) क्रम संख्या 1, 2 और 3 और उनके सम्मुख दी गयी प्रविष्टियों को निकाल दिया जायेगा;

(दो) क्रम संख्या 4 के सम्मुख स्तम्भ 2 में दिये गये शब्द और अंक "7200 से अधिक किन्तु 9000 से अनधिक" के स्थान पर शब्द और अंक "9000 तक" रख दिये जायेंगे;

(घ) अनुच्छेद पांच में खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(ख) उत्तर प्रदेश के बाहर अधिकारिता रखने वाले प्राधिकरणों द्वारा मोटर वेहिकिल्स (आल इण्डिया परमिट फार टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट आपरेटर्स) रूल्स, 1993 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन जारी किये गये परमिट के अन्तर्गत :-

उत्तर प्रदेश में संचालन के दिन	प्रत्येक सीट के लिये अतिरिक्त कर की दर (रुपये में)
(एक) 3 दिन तक	100.00
(दो) 3 दिन से अधिक किन्तु 15 दिन से अनधिक	300.00
(तीन) 15 दिन से अधिक किन्तु 30 दिन से अनधिक	500.00
(चार) 30 दिन से अधिक	500.00 और 30 दिन से अधिक दिनों के लिये यथास्थिति क्रम संख्या (एक), (दो) अथवा (तीन) के सम्मुख विनिर्दिष्ट दर पर आगणित अतिरिक्त कर।"

(ङ) स्पष्टीकरण (9) निकल दिया जायेगा।

4-मूल अधिनियम की छठी अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात् :- छठी अनुसूची का संशोधन

"छठी अनुसूची"

(धारा 10 देखिये)

ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसकी अधिकारिता उत्तर प्रदेश के बाहर हो, दिये गये अस्थायी परमिट के अधीन उत्तर प्रदेश में चलायी जाने वाली परिवहन यान द्वारा धारा 10 के अधीन देय अतिरिक्त कर की दरें :-

एक-माल वाहन — उत्तर प्रदेश में संचालन के दिनों के लिए प्रतिदिन 50.00 रुपया।

दो-लोक सेवायान

उत्तर प्रदेश में संचालन के दिनों की संख्या	प्रत्येक सीट के लिए अतिरिक्त कर की दर (रुपये में)
(क) साधारण लोक सेवायान	
(एक) 7 दिन तक	150.00
(दो) 7 दिन से अधिक किन्तु 30 दिन से अनधिक	400.00

(तीन) 30 दिन से अधिक	400.00 और 30 दिन से अधिक दिनों के लिए यथास्थिति क्रम संख्या (एक) अथवा (दो) के सम्मुख विनिर्दिष्ट दर पर आगणित अतिरिक्त कर ।
(ख) डीलक्स या सेमी डीलक्स या वातानुकूलित लोक सेवायान	
(एक) 7 दिन तक	200.00
(दो) 7 दिन से अधिक किन्तु 30 दिन से अनधिक	600.00
(तीन) 30 दिन से अधिक	600.00 और 30 दिन से अधिक दिनों के लिये यथास्थिति क्रम संख्या (एक) अथवा (दो) के सम्मुख विनिर्दिष्ट दर पर आगणित अतिरिक्त कर ।"

निरसन और अपवाद

5–(1) उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2002 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19 सन् 200.

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–5 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग [illegible] जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुखदेव राजभर–

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया [illegible] ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2003

श्री अधिष्ठाता–

कोई माननीय सदस्य संकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं ?

(श्री राम गोविन्द चौधरी तथा श्री माता प्रसाद पाण्डेय द्वारा संकल्प न रखने पर)

श्री अधिष्ठाता–

कोई माननीय सदस्य संशोधन रख रहे हैं ?

(किसी सदस्य द्वारा संशोधन न रखने पर)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग व रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से 5 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन)विधेयक, 2003

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर अधिनियम, 1983 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायगा । संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 21 नवम्बर, 2002 से प्रवृत्त हुआ माना जायगा ।

2–उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर अधिनियम, 1983 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 6 में, उपधारा (2) में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :– उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1983 की धारा 6 का संशोधन

"(क) न्यास परिषद् का अध्यक्ष एक ऐसा गैर सरकारी हिन्दू होगा जो हिन्दू धर्मशास्त्र में निष्णात हो और श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर के कार्यकलापों के प्रबन्ध और प्रशासन का और उसमें की जाने वाली पूजा, सेवा, कर्मकाण्ड या धार्मिक अनुष्ठान का अच्छा ज्ञान और अनुभव रखता हो, जिसे राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा ।"

3–मूल अधिनियम की धारा 7 में,– धारा 7 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में,

(एक) शब्द "प्रत्येक सदस्य" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष या कोई सदस्य" रख दिये जायेंगे ;

(दो) प्रथम परन्तुक में शब्द "खण्ड (क) या" निकाल दिये जायेंगे ।

(ख) उपधारा (2) में शब्द "किसी सदस्य" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य" रख दिये जायेंगे ।

4–मूल अधिनियम की धारा 8 में उपधारा (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :– धारा 8 का संशोधन

"(1) राज्य सरकार न्यास परिषद् के अध्यक्ष या किसी सदस्य को जो पदेन सदस्य से भिन्न हो, अयोग्यता या दुराचार के आधार पर हटा सकती है।

(2) न्यास परिषद् का अध्यक्ष या कोई सदस्य इस धारा के अधीन तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक उसे अपने हटाये जाने के विरुद्ध कारण दर्शित करने का युक्तिसंगत अवसर न दे दिया जाय।"

निरसन और अपवाद

5-(1) उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) अध्यादेश, 2002 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 21 सन् 2002

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-5 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 2003 को पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2003

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य श्री राम गोविन्द चौधरी, अपना संकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं ?

(माननीय सदस्य द्वारा संकल्प न रखने पर)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य श्री राम गोविन्द चौधरी तथा श्री माता प्रसाद पाण्डेय क्या आप अपना संशोधन रख रहे हैं ?

(किसी सदस्य द्वारा संशोधन न रखने पर)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवम् रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से 3 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2003

उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायेगा ।

(2) यह 10 फरवरी, 2003 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2000 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, उपधारा (1) में, खण्ड (ग) में उपखण्ड (पांच) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिया जायेगा और 27 मार्च, 2001 को बढ़ाया गया समझा जायेगा, अर्थात् :–

"(छ) उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के अधीन कोई औद्योगिक विकास क्षेत्र ;"

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2003

3–(1) उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अध्यादेश, 2003 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–3 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2003 को पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[समय 5 बजकर 15 मिनट]

(घोर व्यवधान/शोर के मध्य)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 4 मार्च, 2003 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 19 सूचनाएं प्राप्त हुईं । पहली सूचना श्री राम विशुन आजाद की है प्रदेश के राजकीय इण्टर कालेजों में प्रवक्ता के पदोन्नति कोटे में लम्बी

अवधि से रिक्त चले आ रहे पदों की पदोन्नति से भरे जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । दूसरी सूचना श्री राम गोविन्द चौधरी की, बलिया जनपद के सुरहा ताल को पक्षी विहार घोषित कर देने से वहां के हजारों मछुआरों के सामने भुखमरी उत्पन्न हो जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । तीसरी सूचना श्री संजय गर्ग की जनपद सहारनपुर में विशेष प्रकार के वायरस से सैकड़ों बच्चों की मृत्यु हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । चौथी सूचना श्री कमाल यूसुफ मलिक एवं श्री माता प्रसाद पाण्डेय की, जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत डुमरियागंज, इटवा, शोहरतगढ़, बांसी, नौगढ़ तहसीलों के अन्तर्गत विभिन्न सरकारी एजेन्सियों द्वारा 2002-2003 में खरीदे गये धान के मूल्य का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । पांचवीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की जनपद आगरा में नालों की नियमित सफाई न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । छठी सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की जनपद हरदोई के तहसील बिलग्राम स्थित नेशनल कोल्ड स्टोरेज के मालिक द्वारा आलू किसानों को मुआवजा न देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । सातवीं सूचना श्री मदन चौहान की जनपद गाजियाबाद में पशुओं की बीमारी से मर रहे सैकड़ों पशु मालिकों को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में है ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । आठवीं सूचना श्री अजीम भाई की हाथरस ब्रांच की फिरोजाबाद रजबहा में टेल तक पानी न पहुंचने से किसानों में उत्पन्न आक्रोश के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । नवीं सूचना डॉ पी० के० राय की जनपद कुशीनगर की तहसील तमकुहीराज स्थित गण्डक नदी के तटबन्ध के पुनर्निर्माण कराये जाने एवं विस्थापितों को बसाये जाने के सम्बन्ध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई ।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं :–

श्रीमती सुखदेवी वर्मा, श्री नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री प्रेम सिंह, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री उमाशंकर कुशवाहा, श्री बीजू पटनायक, श्रीमती विद्या चौधरी, श्री शारदानन्द अंचल, श्री चितरंजन स्वरूप एवं श्री उदयराज ।

अब हम उठते हैं, कल 11.00 बजे पूर्वाह्न फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 05 बजकर 16 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

दिनांक : 04 मार्च, 2003

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

(देखिये अता० प्र० संख्या–29 का उत्तर पीछे पृष्ठ 21 पर ।)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2003 के पहले मंगलवार हेतु निर्धारित श्री मशहूद खां मा० सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–29 का संलग्नक

क्रमांक	तहसील	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	नलकूप संख्या	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1	बलरामपुर	हरैया सतधरवा	हाथी गर्दा	68 बीएलजी०	
2	बलरामपुर	हरैया सतधरवा	पटवा	196 बीएलजी०	
3	तुलसीपुर	तुलसीपुर	महादेव गोसाई	157 ,,	
4	,,	,,	साहबनगर	158 ,,	
5	,,	,,	लोहेपनिया	159 ,,	
6	,,	,,	पेनहवा	160 ,,	
7	,,	,,	नहा नडीह	152 ,,	
8	,,	,,	शिव बरनडीह	148 ,,	
9	,,	,,	तदैव	149 ,,	
10	,,	,,	तदैव	150 ,,	
11	,,	,,	तदैव	151 ,,	
12	,,	,,	महराजगंज	155 ,,	
13	,,	,,	तदैव	156 ,,	
14	,,	,,	दांदव	153 ,,	
15	,,	,,	तदैव	154 ,,	
16	,,	,,	जयनगरा	136 ,,	
17	,,	,,	तदैव	137 ,,	
18	,,	,,	तदैव	138 ,,	
19	,,	,,	तदैव	139 ,,	
20	,,	,,	तदैव	147 ,,	
21	,,	,,	परसियाकला	144 ,,	
22	,,	,,	तदैव	145 ,,	
23	,,	,,	तदैव	146 ,,	
24	,,	,,	गुलहरिया	141 ,,	
25	,,	,,	तदैव	142 ,,	
26	,,	,,	तदैव	145 ,,	
27	,,	,,	लालनगर, देवनगर	43 ,,	
28	,,	,,	गटवा	95 ,,	
29	,,	,,	भंगहाबली	100 ,,	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
30	तुलसीपुर	तुलसीपुर	तुलसीपुर देहात	108 ,,	
31	,,	,,	गेंडहवा	102 बीएलजी०	
32	,,	,,	विशनहुरख-रहनिया	11 ,,	
33	,,	,,	तदैव	107 ,,	
34	,,	,,	तदैव	190 ,,	
35	,,	,,	मोहनापुर	93 ,,	
36	,,	,,	सुखरामपुर	91 ,,	
37	,,	,,	देवीपाटन	134 ,,	
38	,,	,,	सुखरामपुर	92 ,,	
39	,,	,,	तदैव	106 ,,	
40	,,	,,	बड़गांव	80 ,,	
41	,,	,,	ओड़ासार	94 ,,	
42	,,	,,	शेखड़नियाकला	13 ,,	
43	,,	,,	ठकुरापुर	14 ,,	
44	,,	,,	भगवानपुर	140 ,,	
45	,,	,,	बालापुर	57 ,,	
46	,,	,,	सुर्दनजोत	45 ,,	
47	,,	,,	तदैव	12 ,,	
48	,,	,,	देवीपाटन	58 ,,	परित्याग
49	,,	,,	मध्यनगर	109 ,,	
50	,,	,,	तदैव	110 ,,	
51	,,	,,	तदैव	112 ,,	
52	,,	,,	बिलाहबनकसिया	103 ,,	
53	,,	,,	तदैव	104 ,,	
54	,,	,,	तदैव	105 ,,	
55	,,	,,	तदैव	123 ,,	
56	,,	,,	तदैव	130 ,,	
57	,,	,,	लक्ष्मीनगर	122 ,,	
58	,,	,,	तदैव	129 ,,	
59	,,	,,	रमवापुर	67 ,,	फेल नलकूप
60	,,	,,	बिलाहाबनकसिया	50 ,,	तदैव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

देखिये अता० प्र० सं०-64 का उत्तर पीछे पृ० 32 पर ।)

संलग्नक

वर्ष 2000-2001 में शाहबाद विधान सभा क्षेत्र में करायी गयी सिल्ट सफाई व स्क्रेनिंग के कार्य का विवरण

क्रमांक	नहर का नाम	नहरों पर कराये गये सिल्ट सफाई/स्क्रेनिंग का कार्य (लम्बाई कि०मी० में)		
		कहां से	कहां तक	योग
1-	जिठनिया	0.00	2.80	2.80
2-	किरा	0.00	4.50	4.50
3-	पठबाई मा०	0.00	4.00	4.00
4-	हाजी नगर	0.00	3.20	3.20
5-	कलरख	0.00	3.20	3.20
6-	क्रमचा	0.00	9.60	9.60
7-	पठबाई राजबाहा	0.00	15.20	15.20
8-	पत्थर खेड़ा	0.00	6.00	6.00

वर्ष 2001-2002 में शाहबाद विधान सभा क्षेत्र में करायी गयी नहरों की सिल्ट सफाई व स्क्रेचिंग के कार्य का विवरण

क्रमांक	नहर का नाम	करायी गयी सिल्ट सफाई/स्क्रेनिंग का कार्य (कि०मी० में)		
		कहां से	कहां तक	योग
1-	जिठनिया	0.00	2.80	2.80
2-	बगी राजबाहा	0.00	10.80	10.80
3-	पत्थर खेड़ा	0.00	6.00	6.00
4-	किरा	0.00	4.40	4.40
5-	क्रमचा	0.00	9.60	9.60
6-	अफजलपुर	0.00	3.20	3.20
7-	अजीतपुर	0.00	2.00	2.00
8-	कलरख	0.00	3.20	3.20
9-	लोहर कोसी	0.00	12.00	12.00
10-	हाजी नगर	0.00	3.20	3.20
11-	पटबाई	0.00	4.80	4.80

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 65 पर ।)

संलग्नक

क्र०सं०	नहर का नाम	वर्ष 2001–2002		2002–2003	
		स्वीकृत धनराशि (रु०)	व्यय (रु०)	स्वीकृत धनराशि (रु०)	व्यय (रु०)
1	दोहरी घाट मुख्य नहर	—	—	495903.00	487682.00
2	औराई माइनर	इस नाम की	कोई माइनर	नहीं है ।	
3	अहिरौली माइनर	20700.00	19905.00	21500.00	21624.00
4	रामपुर माइनर	56800.00	53253.00	—	—
5	पिपरौली माइनर	134700.00	60445.00	150300.00	150230.00
6	दोहरी घाट सहायक परियोजना	1709000.00	1500000.00	1240500.00	1200000.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०–एल० 125 विधान सभा (210)–2003–813 प्रतियां (डी०टी०पी०) ।